



*fssai*


# भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित खाद्य





वार्षिक रिपोर्ट 2010-11









## विषय-सूची

| क्र. सं. | विवरण   | पृष्ठ सं. |
|----------|---|-----------|
| 1.       | अवलोकन  | 1         |
| 2.       | अधिदेश और संरचना – प्राधिकरण, सीएसी, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल्स              | 04        |
| 3.       | महत्वपूर्ण उपलब्धियां   | 16        |
| 4.       | कोडेक्स मामले   | 23        |
| 5.       | प्रयोगशालाएं  | 24        |
| 6.       | प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण   | 26        |
| 7.       | प्रशासन और मानव संसाधन  | 29        |
| 8.       | आयातित खाद्य-पदार्थों की संरक्षा  | 37        |
| 9 .      | सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी)<br>(i) जागरूकता एवं संचार<br>(ii) सूचना प्रौद्योगिकी | 39        |
| 10.      | परिणाम संरचना दस्तावेज (2010-11), एसईवीओटीटीएम                                      | 41        |
| 11.      | परामर्शी  | 53        |
| 12.      | वार्षिक लेखा 2010-11  | 54        |





## 1. अवलोकन


वर्ष 2010-11 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को प्रचालनशील बनाए जाने के तात्कालिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाने का वर्ष था। प्रारूप एफएसएस नियमावली तथा विनियमावली अधिसूचित की गई तथा पणधारकों से प्राप्त आख्याओं के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार किया गया तथा सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। एफएसएस अधिनियम की शेष धाराएं, धारा 22 में जीन-संशोधित खाद्य संबंधी प्रावधान के अपवाद को छोड़कर, 29 जुलाई, 2010 को अधिसूचित की गई। इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार में तथा राज्य सरकार दोनों में, इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्णतया नई संरचना की व्यवस्था दी गई है।

केंद्रीय स्तर पर, प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी), वैज्ञानिक समिति और भिन्न विषयों से संबंधित 08 वैज्ञानिक पैनल पहले ही गठित किए जा चुके हैं तथा कार्यशील हैं। अनेक राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति कर चुके हैं तथा पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अपील न्यायाधिकरणों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं। एफएसएसआई राज्य और संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयारी हेतु सभी कदम उठाए जाने विशेषकर अभ्यर्थियों के चयन तथा सांविधिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने हेतु अनुसरण कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र नियमावली अधिसूचित किए जाने के पश्चात ऐसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति अल्पावधि में करने हेतु तैयार हैं। राज्यों को, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं, पदनामित कार्यालयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा एफएसएस विनियमावली के अधीन नई लाइसेंसिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में सुग्राही बनाया गया है।

एफएसएस पद्धति में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा निभाई जाने वाली निर्णायक भूमिका को महसूस करते हुए, 50 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रत्यायन, जो नए कानून के तहत अनिवार्य बन चुका है, प्राप्त किए जाने के लिए उनकी आवश्यकताओं के आकलन हेतु एक अंतराल विश्लेषण संचालित किया गया। प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए कानून की अपेक्षाओं की समयबद्ध ढंग से पूर्ति हेतु संबंधित राज्यों के साथ जानकारी साझा की गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य संरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रत्यायन मानकों का प्रारूप तैयार किए जाने का कार्य पृथकतः प्रगति पर है।

एफएसएस अधिनियम में आयातित खाद्य की संरक्षा संबंधी प्रावधान प्रचालनशील बनाया जाना वर्ष की प्रमुख घटना थी। पणधारकों के साथ (सीमाशुल्क, नौपत्तन प्राधिकरण, सीमाशुल्क अभिकर्ताओं, अन्य निर्यातक संघों





के साथ) चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली में परामर्श तथा सुग्राहीकरण की अनेक बैठकों के पश्चात, एफएसएसएआई ने इन नौपत्तनों में पहुंचकर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा संदर्भित प्रेषणों के संबंध में खाद्य परीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए। ऐसे आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण में किसी भी बाधा से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाएं पैलबद्ध की गईं।

वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समिति ने वर्ष के दौरान पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य प्रारंभ किया तथा वैज्ञानिक और मानक निर्माण के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें आंशिक हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल और कैफीनयुक्त पेयों में विपक्ष वसा अम्लों (टीएफए) हेतु प्रारूप मानक शामिल हैं। आगे खाद्य विज्ञापन में स्व-नियंत्रण, खान-पान प्रतिष्ठानों में खाद्य संरक्षा, आयातित खाद्य संरक्षा विनियमावली, खाद्य संरक्षा मानक विनियमावली, प्रत्यायन और प्रमाणन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत, आहार अनुपूरकों पर नियंत्रण कुछ अन्य विषय हैं, जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद को खेसरी दाल के उपभोग के स्वास्थ्य प्रभावों के अध्ययन तथा भारतीयों द्वारा प्रसंस्कृत और गैर प्रसंस्कृत खाद्य के उपभोग आकलन के अध्ययन हेतु अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलुरु को पंचायतों के लिए खाद्य संरक्षा योजना हेतु सांचा विकसित करने की परियोजना संपूर्ण की गई है और भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), हैदराबाद द्वारा पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों एवं खाद्य संचालकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या विकसित करने में एफएसएसएआई को सहायता प्रदान की जाएगी।

खाद्य संरक्षा केंद्रों तथा उत्कृष्टता केंद्रों के प्रतिष्ठापन हेतु अभिकरणों की पहचान करने; खाद्य संरक्षा निगरानी संरचना विकसित करने; स्कूलों में संरक्षित खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित करने और सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की विरचना करने हेतु अभिरूचियों की अभिव्यक्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। क्षेत्र अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और निरीक्षण नियम-पुस्तिकाएं विकसित की जा रही हैं, जो खाद्य प्रतिष्ठानों तथा खाद्य व्यवसाय परिचालकों का भी निरीक्षण करेंगे।

एफएसएसएआई के कर्मचारियों हेतु सेवा के नियम सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। कुल नौ नियमों में से छह नियम अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस अधिनियम की धारा 90 के अधीन एफएसएसएआई स्थानांतरित अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के एकीकरण का कार्य शेष सेवा नियमों के अनुमोदन के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा। एफएसएसएआई के लिए 355 पद मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया पहले एफएसएसएआई में अवशोषण हेतु इच्छुक स्थानांतरित अधिकारियों के समायोजन द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

खाद्य तेल संबंधी आदेशों को छोड़कर एफएसएस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित आदेशों तथा विभिन्न अधिनियमनों के अधीन लाइसेंस तथा निरीक्षण कार्य, पीएफए अधिनियम के तहत अन्य सभी प्रवर्तन कार्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाने जारी रहेंगे। वर्ष के दौरान अपदूषण तथा अपमिश्रण की प्रतिवेदित अथवा संभावित आशंका के संबंध में सलाह दी गई थी।

इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों तथा अब तक निरस्त नहीं किए गए आदेशों के अधीन कार्यों का निर्वहन जारी रखते हुए, एफएसएसएआई द्वारा एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए। तथापि, क्षितिज पर कुछ नई चुनौतियां, विशेष रूप से नए मानक बनाने के साथ साथ विद्यमान मानकों की समीक्षा करने, नई जिम्मेदारियों के लिए केंद्रीय और राज्य तंत्र तैयार करने, प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसाय प्रचालकों, खाद्य संचालकों इत्यादि में जागरूकता पैदा करने की चुनौतियां सामने हैं।







## 2. अधिदेश और संरचना

### प्राधिकरण, सीएसी, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल्स

खाद्य संरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का लक्ष्य बहु-स्तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण से एकल कमान पंक्ति की ओर बढ़ने द्वारा खाद्य संरक्षा और मानकों के साथ संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु प्रतिष्ठापित करना है। इस प्रभाव हेतु, यह अधिनियम एक पृथक सांविधिक प्राधिकरण – भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रतिष्ठापन करता है।

एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पश्चात विभिन्न केंद्रीय अधिनियम तथा आदेश निरस्त हो जाएंगे

- (1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
- (2) फल उत्पाद आदेश, 1955
- (3) मीट खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
- (4) वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947
- (5) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
- (6) विलायक निष्कर्षित तेल, वि-तेलीकृत आहार तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
- (7) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1972 इत्यादि

### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) का प्रतिष्ठापन

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) केंद्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से प्रतिष्ठापित किया गया है तथा इसको एफएसएस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग और निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसआई का प्रशासनिक मंत्रालय है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव पदस्तर वर्ग में होता है। प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।



एफएसएसआई को एफएसएस अधिनियम, 2006 द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने हेतु अधिदेशित किया गया है :

- खाद्य वस्तुओं के लिए मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने हेतु विनियमों की रचना और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन की उपयुक्त प्रणाली विनिर्दिष्ट करना।
- खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन में संलग्न प्रमाणन संस्थाओं के प्रत्यायन हेतु तंत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना।
- प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना।
- केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को खाद्य संरक्षा तथा पोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में नीति तथा नियमों के बनाने संबंधी मामलों में वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- खाद्य उपभोग, जैविक जोखिम की घटना तथा विद्यमानता, खाद्य में अपदूषक, खाद्य उत्पादकों में विभिन्न अपदूषकों के अवशेष, उभरते जोखिमों की पहचान तथा त्वरित सतर्क प्रणाली लागू करने संबंधी डेटा संग्रहीत और सम्मिश्रित करना।
- सम्पूर्ण देश में सूचना नेटवर्क सृजित करना ताकि जनता, उपभोक्ता, पंचायतों इत्यादि को खाद्य संरक्षा तथा चिंता के मुद्दों पर त्वरित, विश्वसनीय तथा उद्देश्यपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके।
- खाद्य व्यवसाय में संलग्न अथवा संलग्न होने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

### एफएसएसआई की संरचना

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) में एक अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सदस्य सचिव के रूप में तथा 22 अन्य सदस्य होते हैं। यह त्रयमासिक आधार पर बैठक आयोजित करता है तथा इस वर्ष के दौरान 4 बैठकें संचालित की गईं। सीईओ एफएसएसआई को मत देने का अधिकार नहीं होता है।



**सदस्य :****अध्यक्ष :****सदस्य सचिव :****पदेन सदस्य धारा 5 (1) (क) के अधीन**

जेएस (कृषि)

जेएस (वाणिज्य)

जेएस (उपभोक्ता मामले)

जेएस (खाद्य प्रसंस्करण)

जेएस (स्वास्थ्य)

जेएस (विधायिका)

जेएस (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम)

**सदस्य :**

खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि

लघु स्तर उद्योग से

बृहद स्तर उद्योग से

उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि

तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद/वैज्ञानिक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधि

किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि

**खुदरा संगठनों का एक प्रतिनिधिकेंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)**

एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य संरक्षा आयुक्त, खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ता, अनुसंधान निकाय तथा खाद्य प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालयों से आमंत्रित शामिल होते हैं।

समिति का प्राथमिक अधिदेश प्राधिकरण को कार्य कार्यक्रम, कार्य प्राथमिकीकरण, संभावित जोखिमों की पहचान और ज्ञान की पूलिंग के बारे में सलाह देना है। वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें संचालित की गई थीं।

**वैज्ञानिक समिति****सदस्य :**

1. प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के सलाहकार
2. डा. अशोक चेंगप्पा, कुलपति, जीकेवीके बेंगलुरु
3. डा. अशोक पी. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं एक्ट. हेड, डेरी प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
4. डा. एम एस मित्यांत, पीएचडी (कृषि रसायनी) स्वतंत्र सलाहकार, पीड़कमार अवशेष तथा अपदूषक विशेषज्ञ, बेंगलुरु
5. डा. के सी बंसल, समन्वयक, पराजीन-विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क, राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6. डा. जगदीश एवस पाई, पीएचडी (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) विशेषज्ञ कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, भारतीय प्रोटीन खाद्य एवं पोषणात्मक विकास संघ, मुंबई
7. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार उत्पाद और अन्य समरूपी उत्पाद
8. नमूना तथा विश्लेषण विधि पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
9. खाद्य संयोजी, फ्लेवरिंग, प्रसंस्करण सहायता तथा खाद्य के साथ संपर्क में सामग्री
10. खाद्य चैन में अपदूषकों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
11. जीववैज्ञानिक खतरों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
12. कीटनाशकों तथा प्रतिजैविक अवशेषों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
13. लेबलिंग तथा दावों/विज्ञापनों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष



#### 14. जीन-संशोधित जीवों तथा खाद्यों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष

##### कार्य :

- वैज्ञानिक समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक अभिमत उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होगी तथा लोक सुनवाई आयोजित करने हेतु, जहां आवश्यक है, शक्तियों की धारक होगी।
- वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक अभिमत का सांतत्य सुनिश्चित करने और विशेष रूप से कार्य प्रक्रियाएं अपनाने तथा वैज्ञानिक पैनल की कार्यविधियों के सामंजस्य के संबंध में आवश्यक सामान्य समन्वय हेतु जिम्मेदार होगी।
- वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर पड़ने वाले वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर पड़ने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर और किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर नहीं पड़ने वाले मुद्दों पर अभिमत उपलब्ध कराएगी।
- जबकभी आवश्यक होगा, तथा विशेषरूप से, किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर नहीं पड़ने वाले विषयों पर, वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों का गठन करेगी और ऐसे मामलों में, यह कार्य समूहों द्वारा वैज्ञानिक अभिमत स्थापित किए जाने पर उन कार्य समूहों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी।

#### वैज्ञानिकों का पैनल (8 पैनल)

##### (I) फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यूटिक्स, आहार एवं अन्य समान उत्पादों के लिए पैनल :

##### सदस्य :

- डॉ. वी. प्रकाश निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
- डॉ. डी.बी. अन्नथा नारायण, पीएच.डी (फार्मसी) स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ न्यूट्रास्यूटिक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बंगलौर।
- सुश्री अंजू अग्रवाल, आहार विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
- डॉ. बी.सी. घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
- डॉ. के. माधवन नायर, वैज्ञानिक-ई, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद
- डॉ. शांतिकुमार नायर, पीएच.डी (सामग्री विज्ञान) – कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नैनो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

अमृता विश्वविद्यापीठ (यूनिवर्सिटी) के अनुसंधान के डीन, कोचि।

7. प्रो. बी. शशिधर राव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बायोकैमिस्ट्री विभाग, यूसीएस उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
8. डॉ. विलास रामराव श्रीहट्टी, पीएच.डी (रसायन), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फंक्शनल फूड्स एवं न्यूट्रास्यूटिक्स, वसा और तेल, मुंबई।
9. श्री कुमार भाटिया, प्रमुख सलाहकार, (फसलोत्तर प्रबंधन एवं विपणन) कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. डॉ. एन. आनंदावली, पीएच.डी, खाद्य सूक्ष्म जीवविज्ञान विशेषज्ञ – उपाध्यक्ष (तकनी.) एफएओ/यूएन खाद्य सुरक्षा सलाकार/ऑडिटर, मैसर्स फूड सेफ्टी सॉल्यूशंस इंटरनेशनल, कोचिन।
11. डॉ. अनूरा विश्वनाथ कुरपद, डीएनबी (शरीरविज्ञान) डीन, सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
12. डॉ. पी.डी. द्विवेदी, वैज्ञानिक ईआई, खाद्य विषयविज्ञान प्रभाग, भारतीय विषयविज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स सं. 80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
13. डॉ. पथ्या राय, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी, रुड़की

##### (II) नमूना एवं विश्लेषण विधि के लिए पैनल

##### सदस्य :

1. डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला – राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात।
2. डॉ. राकेश कुमार, खंडल, पीएच.डी रसायन विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
3. डॉ. पीतम चंद्रा, सहायक महानिदेशक (प्रो. इंजी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. डॉ. एन.वी. रामा राव, पीएच.डी रसायनशास्त्र, विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, अध्यक्ष, विमता लैब्स लिमि., हैदराबाद
5. डॉ. वंसथा मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप-महानिदेशक एवं प्रभाग प्रमुख बेसिक मेडिकल साइंसेज तथा स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडक्टिव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (सेवानिवृत्त)



6. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक (कीटनाशक अवशिष्ट), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली।
7. डॉ. दीपक भाजेकर, पीएच.डी (औद्योगिकी सूक्ष्मजैविकी) प्रोपराइट एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, माइक्रो कैम लेबोरेटरी, मुंबई।
8. डॉ. एम.एन मंजूनाथ, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
9. डॉ. एम.के. कुंडू, सलाहकार, पूर्व-एडिबल ऑयल कमिशनर, भारत सरकार, नई दिल्ली
10. डॉ. दिपांकर सिन्हा, प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हाइजिन एवं पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।
11. सुश्री. शोभा हेगड़े, स्वतंत्र सलाहकार, पैनलबद्ध प्रमाणन निर्धारक, मुंबई (भारतीय मानक ब्यूरो से सेवानिवृत्त)
12. डॉ. रंजन शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
13. डॉ. जोनलगदा पदमजा, वैज्ञानिक 'सी' खाद्य एवं औषध विषयविज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आईसीएमआर, हैदराबाद

### (III) फूड एडिटिक्स, फ्लेवरिंग एवं खाद्य पदार्थ के संपर्क में प्रसंस्करण साधन एवं सामग्री के लिए पैनल

#### सदस्य :

1. डॉ. अमरिंदर सिंह बावा, निदेशक, रक्षा खाद्य शोध प्रयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मैसूर।
2. डॉ. मुकुल दास, उप-निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ'), भारतीय विषयविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
3. डॉ. (श्रीमती), कलपागम पोलासा, उप-निदेशक (वरि. वैज्ञानिक 'एफ'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
4. डॉ. जोसफ लुइस, डॉ. जोसफ लुइस, पीएच.डी (रसायनिक विषयविज्ञान), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ - लेबलिंग फूड एडिटिक्स, तेल एवं वसा, मुंबई।
5. डॉ. राजीव धर, निदेशक एवं सीईओ, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई।
6. डॉ. के.एन. गुरुदत्त, प्रमुख, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।

7. डॉ. एच.एन. मिश्रा, प्रमुख, पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर, हॉल मैनेजमेंट सेंटर आईआईएच, खड़गपुर।
8. डॉ. एच.पी.एस. सचदेव, एम.डी (बाल चिकित्सा), बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, वरि. सलाहकार (बाल चिकित्सा एवं क्लिनिकल एपीडेमियोलॉजी), सीता राम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
9. डॉ. आर.बी.एन प्रसाद, वैज्ञानिक 'जी', भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद।
10. डॉ. बनवारी लाल, पीएच.डी (सूक्ष्म-जीवविज्ञान), निदेशक, पर्यावरणीय एवं औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
11. डॉ. सतीश कुलकर्णी, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।

### (IV) खाद्य श्रृंखला में संदूषकों के लिए पैनल

1. डॉ. शिव लाल, विशेष डीजीएसएस एवं निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली
2. डॉ. ए.के. शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच', प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई।
3. डॉ. एस.के. मेंदिरत्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
4. डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, प्रधान वैज्ञानिक, प्रमुख पैकेजिंग सेक्शन, मत्सय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन
5. डॉ. कृष्णा झा, प्रधान वैज्ञानिक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भोपाल।
6. डॉ. पी. सबियन, निदेशक, (कृषि व्यवसाय विकास), तमिलनाडू एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
7. डॉ. के.एल. गाबा, पीएच.डी (कृषि, डेरी, पुशपालन) - एनडीआरआई करनाल, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिक्स, फंक्शनल फूड्स एवं दूध तथा दूध उत्पाद, नई दिल्ली।
8. डॉ. लता, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
9. डॉ. जी. विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ' केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
10. डॉ. रश्मि कुलश्रेष्ठ, पीएच.डी (फार्मा), कीटनाशक अवशिष्ट एवं संदूषक विशेषज्ञ, फूड एवं फार्मा रेगुलेटरी सलाहकार, रेगुलेटरी विस्डम, नई दिल्ली।



11. डॉ. वी.के. जोशी, प्रोफेसर एवं प्रमुख (पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी) डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फोरेस्ट्री, सोलन, म.प्र.।
12. श्री प्रवीन गंगाधर, स्वतंत्र सलाहकार, खाद्य सुरक्षा विशेषग, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं, दिल्ली (बीआईएस से सेवानिवृत्त)।

#### (V) जैविक खतरों के लिए पैनल

##### सदस्य :

1. डॉ. अश्विनी कुमार, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
2. डॉ. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, करनाल।
3. डॉ. अशीष मोतीराम पातुरकर, प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, बोम्बे वेटरनेरी कॉलेज, मुंबई।
4. डॉ. भूपिंदर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनआरआई, आईएआरआई, नई दिल्ली।
5. डॉ. प्रेम कुमार जयसवाल, पूर्व-निदेशक (प्रयोगशाला), कृषि एवं सहकारिता विभाग, केंद्रीय एगमार्केट प्रयोगशाला, नागपुर।
6. डॉ. जोगिंदर सिंह बरवाल, पीएच.डी (मीट प्रौद्योगिकी), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ मीट प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली।
7. डॉ. ए. लक्ष्मीह, उप-निदेशक (वैज्ञानिक 'ई'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।
8. डॉ. सुशीलांद्रा देसाई, प्रधान वैज्ञानिक, सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।
9. डॉ. जमुना प्रकाश, रीडर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर।
10. डॉ. डी. नरसिंहा राव (सेवानिवृत्त), वैज्ञानिक 'एफ' एवं विभाग प्रमुख, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
11. डॉ. रवि शंकर, सी.एन. वरिष्ठ वैज्ञानिक, मत्सय प्रसंस्करण प्रभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसीआर), कोचिन।

12. डॉ. मालाबाइक राय, वैज्ञानिक 'एफ' / उप-महानिदेशक (वरि. ग्रे.) स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडक्टिव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

#### (VI) कीटनाशक प्रतिजैविक अवशिष्ट के लिए पैनल

1. डॉ. देबाब्राता कानुनगो, अतिरिक्त महानिदेशक (स्टे.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. डॉ. किरण नारायण भिलेगांवकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
3. डॉ. वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक 'सी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
4. डॉ. बी. सुरेंद्र नाथ, प्रधान वैज्ञानिक, एनडीआरआई, बंगलौर।
5. डॉ. जय राज बहरी, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. डॉ. ए.जी. अपूराव, वैज्ञानिक 'जी', सीएफटीआरआई, मैसूर।
7. डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क समन्वयक, परियोजना समन्वयन प्रकोष्ठ में कीटनाशक अवशिष्टों पर एआईएनपी, आईएआरआई, नई दिल्ली।
8. डॉ. तपन चक्रवर्ती, वैज्ञानिक 'जी' एवं कार्यवाहक निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
9. श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, जन विश्लेषक, खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण, दिल्ली।
10. डॉ. एस.के. हांडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. गुरुदयाल सिंह टोटेजा, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, परिषद, नई दिल्ली।

#### (VII) कीटनाशक लेबलिंग एवं दावा विज्ञानों के लिए पैनल

##### सदस्य :

1. डॉ. बी. शशिकरन, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।



2. श्री दर्शन सिंह, चढडा, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली (भारत सरकार से सेवानिवृत्त)।
3. डॉ. अनूपा सिद्धू, निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली।
4. श्री प्रदीप के. चौधरी, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिक्स, फूड लेबलिंग, पोषणीय खाद्य गुडगांव।
5. श्री मृदुल सलगामे, पीएच.डी (डैरी सूक्ष्मजीवविज्ञान), विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, प्रबंध निदेशक आईएडीएफएसी प्रयोगशाला, बंगलौर।
6. डॉ. एस. प्रेमा कुमारी, पीएच.डी (खाद्य विज्ञान एवं पोषण), आहार विशेषज्ञ, प्रो. एवं प्रमुख अविनाशलिंगम, यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडू।
7. डॉ. पुल्लाभट्टा श्रीनिवास, प्रमुख, वृक्षारोपण उत्पाद, मसाले एवं फ्लेवर प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
8. डॉ. डी.पी. अत्रे, पी.एच.डी खाद्य विज्ञान (मीट विज्ञान, सस्तरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस एवं सलाहकार, थनाजावुर (तमिलनाडू), डीआरडीओ, स्वास्थ्य मंत्रालय, एपीईडीए, डीएसटी, बीएचए स्वतंत्र सलाहकार – विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा, आईएसओ-9001, 17025, 22000, जीएपी, जीसीपी जीएलपी एवं जीएमपी, नोएडा।
9. डॉ. आर.आर. बी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
10. डॉ. नंदकिशोर नामदेव राव, जेड, प्रो. एवं प्रमुख, नागपुर वेटरनेरी कॉलेज, नागपुर।
11. डॉ. एस.के. खन्ना, सेवानिवृत्त निदेशक ग्रेड वैज्ञानिक, प्रमुख, खाद्य विषयविज्ञान प्रभाग, भारतीय विषयविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
12. डॉ. पी. बालासुब्राह्मण्यम, निदेशक, सेंटर फॉर प्लांट मोलेक्यूलर बायोलॉजी, तमिलनाडू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
13. डॉ. ललीता रामाकृष्णा गोवडा, वैज्ञानिक 'एफ', केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), मैसूर।
14. डॉ. जे. नागाराजू, वैज्ञानिक 'जी' एवं समूह प्रमुख, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायनॉस्टिक्स, हैदराबाद।
15. डॉ. डी. योगेश्वारा राव, वैज्ञानिक 'जी' एवं तकनीकी नेटवर्किंग एवं बिजनेस विकास प्रभाग प्रमुख, सीएसआईआर, नई दिल्ली।
16. डॉ. ए.बी. डोंगरे, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, नागपुर।
17. डॉ. एस.आर. राव, वैज्ञानिक 'जी', जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली।
18. डॉ. आर.पी. सिंह, प्रोफेसर, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की।
19. डॉ. सतविंदर सिंह मारवा, सीईओ, पंजाब जैव-प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, एसएसएस नगर, पंजाब।
20. डॉ. परमजीत सिंह पनेसर, सहायक प्रोफेसर, खाद्य एवं अभियंत्रिकी तकनीक विभाग, संत लोंगावल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, लोंगावल, पंजाब।
21. डॉ. सुभाष चंद, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।

नोट: वैज्ञानिक पैनल एवं समिति पुनर्गठित करने के लिए शीर्ष न्यायालय की निगरानी जरूरी है।

### (VIII) अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्य पदार्थों के लिए पैनल:

#### सदस्य:

1. डॉ. पी.एल. गौतम, चेयरमैन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, चेन्नई।
2. डॉ. रमेश वी. भट्ट, सलाहकार, एफएओ, हैदराबाद।
3. डॉ. एम. पदमावती, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।



### 3. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- (i) एफएसएस अधिनियम के सभी प्रावधान समर्थ और प्रचालनशील बनाए गए (अधिसूचना जारी की गई)।
- (ii) प्रारूप एफएसएस नियमावली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिसूचना हेतु प्रेषित किया गया।
- (iii) एफएसएस अधिनियम की धारा-47(5) आयातित खाद्य के संबंध में लागू की गई।
- (iv) 8 वैज्ञानिक पैनल तथा एक वैज्ञानिक समिति पुनरगठित की गई तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों/प्रारूप विनियमों के भिन्न पहलुओं पर नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

क. प्राधिकरण द्वारा जीएम, प्रसंस्कृत खाद्य की अंतरिम व्यवस्था हेतु प्रारूप संरचना अनुमोदित की गई, परंतु उसको भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) विधेयक, 2010 के अधीन नियमित की जानी है।

ख. आंशिक हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों (पीएचवीओ) में विपक्ष वसा अम्लों (टीएफए) के विषय में प्रारूप विनियमावली को अंतिम रूप दिया गया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रसारित की गई। विशेष पोषणात्मक अथवा आहार उपयोग हेतु खाद्य पर प्रारूप विनियमावली तैयार की गई तथा पैनल के विचाराधीन है।

ग. पूरे देश में खान-पान प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले खाद्य की संरक्षा तथा गुणवत्ता के उन्नयन हेतु "संरक्षित खाद्य, स्वादिष्ट खाद्य" नामक प्रायोगिक परियोजना परामर्श हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की गई।

घ. निम्नलिखित के संचालनार्थ विशेषज्ञ समूह गठित किया गया—

- अमेज ब्रेन फूड
- वसा और तेल
- कैफीनयुक्त पेय

- (i) वर्ष के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकें पूरी गणपूर्ति के साथ आयोजित की गईं।



केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक प्रगति पर

- (i) एफएसएसएआई के लेखा को एफएसएस अधिनियम की धारा 83 के अधीन अंतिम रूप दिया गया।
- (ii) हित विरोध, प्रकटीकरण, सदस्यों हेतु गोपनीयता प्रोटोकॉल पर प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांतों की रचना की गई।
- (iii) निम्नलिखित के उपक्रम हेतु स्कीम के विकास और कार्यान्वयन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई:
  - अनुसंधान एवं विकास
  - खाद्य संरक्षा केंद्रों का प्रतिष्ठापन,
  - उत्कृष्टता केंद्र।

उत्कृष्टता केंद्र के लिए प्रथम चरण में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) को प्राधिकरण के साथ दुग्ध आपूर्ति, दुग्ध प्रसंस्करण में संरक्षा तथा पोषण संबंधी मुद्दों के क्षेत्रों में कार्य करने हेतु चिन्हित किया गया है। दुग्ध संरक्षा हेतु



एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(i) प्रारूप आरेखित/तथा चर्चाधीन -

- एल्कोहल के संरक्षा मानक
- जल गुणवत्ता मानक

(ii) खाद्य संरक्षा प्रणालियों के प्रत्यायन तथा प्रमाणन हेतु प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जा चुके हैं तथा प्राधिकरण द्वारा, उद्योग जगत के लिए मानकों के रूप में, अपनाई जाने वाली खाद्य संरक्षा प्रणाली का आधार होंगे।

### खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

यह अधिनियम संसद द्वारा 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण हेतु प्रावधान बनाने के लिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955, जोकि 1955 में अधिनियम के विस्तार के रूप में संस्थापित की गई थी, के साथ प्रख्यापित किया गया था। मोटे तौर पर, पीएफए अधिनियम में खाद्य मानक, नमूना कार्य हेतु सामान्य प्रक्रियाएं, खाद्य विश्लेषण, प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां, दंडों की प्रकृति तथा खाद्य से संबंधित अन्य प्राचलक शामिल हैं। यह खाद्य संयोजी, संरक्षकों, वर्णक पदार्थों, खाद्य की पैकिंग एवं लेबलिंग, बिक्री के निषेधों तथा नियंत्रणों से संबंधित है। एफपीओ की तरह, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन गठित देश के भिन्न क्षेत्रों के सदस्यों वाली केंद्रीय खाद्य मानक समिति (सीसीएफएस) द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर पीएफए में संशोधन किए गए हैं। पीएफए अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2008 अधिसूचित किए जाने की तिथि से निरस्त हो जाएगा। नए मानक विनिर्दिष्ट किए जाने की तिथि तक, पीएफए अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 की अपेक्षा तथा अन्य प्रावधान खाद्य मानकों के लिए क्रान्तिकारी प्रावधान के रूप में लागू रहेंगे।

### फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955

फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955 का प्रख्यापन अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम - 1955 के अधीन, फल एवं वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण परिसर में सफाई तथा स्वच्छता स्थितियों तथा आदेश में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण करते हुए करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। कुछ गैर फल उत्पादों जैसेकि फल सिरका, सिरप तथा मिष्टकृत वातित जल सहित फल एवं वनस्पति उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए इस आदेश

के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। फल उत्पाद आदेश में स्वास्थ्यकर उत्पादन तथा गुणवत्ता मानकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं:

- फैक्टरी की अवस्थिति तथा परिवेश
- परिसर की सैनिटरी तथा स्वच्छता स्थितियां
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- जल की वहनीयता
- मशीनरी तथा उपस्कर संस्थापित क्षमता सहित
- गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा एवं तकनीकी स्टाफ
- उत्पाद मानक
- परिरक्षकों तथा अन्य योगात्मकों की सीमा

इस आदेश का कार्यान्वयन पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा (अब एफएसएसआई द्वारा) फल एवं वनस्पति परिरक्षण निदेशालय, नई दिल्ली मुख्यालय के माध्यम से किया जाता था। इस निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा पांच क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी में और उत्तर क्षेत्र के अधीन एक उप कार्यालय लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र अधिकारी विनिर्माण इकाइयों का आवधिक निरीक्षण कर कारखानों में स्वच्छता स्थितियों का अनुरक्षण सुनिश्चित करते हैं तथा कारखानों एवं बाजारों से उत्पादों के नमूने भरते हैं तथा एफपीओ के अधीन विनिर्देशों के अनुसार उत्पादों की समनुरूपता की जांच हेतु प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण करते हैं।

केंद्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति में शामिल संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग तथा उपभोक्ता संगठन फल उत्पाद आदेश में संशोधनों की अनुशंसा करते हैं।

### मीट खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ)

- मांस तथा मांस उत्पादों की खपत और इन उत्पादों हेतु उपभोक्ता अधिमान में वृद्धि हो रही है। मांस और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में, कुक्कुट मांस भारत में तीव्रतम विकासमान पशु प्रोटीन है। मांस उत्पादों का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्ष 2000 में 870 ग्रा. की मुकाबले 1.68 किग्रा हो गया है। इसमें आगे आने वाले वर्षों में और



वृद्धि होने की आशा है।

- भारतीय उपभोक्ता प्रसंस्कृत अथवा प्रशीतित मांस की अपेक्षा मंडी से ताजा मांस खरीदना पसंद करते हैं। कुक्कुट मांस के उत्पादन का एक लघु प्रतिशत (लगभग 100,000 मी.ट.) प्रसंस्कृत रूप में बेचा जाता है। इसमें से केवल 1-2 प्रतिशत के करीब ही मूल्य वर्द्धित उत्पादों (खाने/पकाने के लिए तैयार) हेतु प्रसंस्कृत किया जाता है। बड़े पशुओं का प्रसंस्करण अधिकांशतः निर्यात के प्रयोजनार्थ किया जाता है।
- मांस और मांस उत्पाद अतिशीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति के होते हैं तथा पशुओं से मानव में रोग संचारित कर सकते हैं। मांस उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ) 1973 के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जो अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। दिनांक 19.03.2004 की प्रभावी तिथि से यह कार्य निदेशालय, विपणन निरीक्षण, कृषि मंत्रालय के स्थानांतरित कर दिया गया है।
- एमएफपीओ, 1973 के प्रमुख उद्देश्य विनिर्माताओं के लाइसेंसिंग के माध्यम से मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री नियंत्रित करना, थोक मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु निर्धारित सैनिटरी तथा स्वच्छता शर्तें लागू करना, अतिशीतित कुक्कुट इत्यादि सहित मांस खाद्य उत्पादों, मछली उत्पादों के उत्पादन के सभी चरणों में गुणवत्ता नियंत्रण पर सख्ती से अमल कराना इत्यादि हैं।
- एमएफपीओ के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, पैकिंग, रीपैकिंग, रीलेबलिंग के व्यवसाय में संलग्न मांस खाद्य उत्पादों के सभी विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, परंतु इसमें ऐसे विनिर्माता शामिल नहीं हैं जो स्थल पर उपभोग हेतु उत्पाद तैयार करते हैं जैसेकि रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस, स्नैक बार, खान-पान गृह अथवा वैसा कोई अन्य प्रतिष्ठान।
- विनिर्माताओं को मांस के स्रोत के आधार पर क, ख तथा ग संवर्ग के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 31.03.2011 की तिथि के अनुसार 279 इकाइयां लाइसेंसशुदा हैं। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है :-

| क्षेत्र        | संवर्ग क | संवर्ग ख | संवर्ग ग | कुल |
|----------------|----------|----------|----------|-----|
| पश्चिम क्षेत्र | 15       | 44       | 48       | 107 |
| दक्षिण क्षेत्र | 20       | 38       | 40       | 98  |
| उत्तर क्षेत्र  | 16       | 42       | 43       | 101 |
| पूर्व क्षेत्र  | 7        | 8        | 18       | 33  |
| कुल            | 58       | 132      | 149      | 339 |

मांस का उत्पादन स्थानीय उप-विधियों के अधीन शासित होता है क्योंकि वध राज्य का विषय है तथा वधशालाएं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वर्तमान अनुमानित मांस उत्पादन 1.9 मिलियन टन है, जिसका लगभग 21 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है।

भारत 500,000 मी. टन से अधिक मांस का निर्यात करता है, जिसका बड़ा अंश भैंस मांस के रूप में होता है। भारतीय भैंस के मांस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबर्दस्त मांग है, जो इसके चर्बी रहित प्रकृति तथा जैविक प्रकृति की अति निकटता के कारण है। भारत पूरे विश्व में गोमांस का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के भैंस मांस के निर्यात में वृद्धि की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं।

मांस के जरिये मानवजाति में संचारी रोगों की उभरती स्वास्थ्य आशंकाओं के चलते मांस उपभोक्ता मांस की पौष्टिकता के प्रति अधिक सतर्क हैं तथा साफ और स्वच्छ माहौल में प्रसंस्कृत मांस तथा कुक्कुट उत्पादों की मांग कर रहे हैं और महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में "सुविधाजनक आइटमों" जैसेकि आधे पके, खाने के लिए तैयार, पकाने के लिए तैयार मांस खाद्य उत्पादों की मांग उठ रही है।

### दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संशोधन विनियमावली - 2009 (एमएमपीआर-09)

औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत 1991 में डेरी सेक्टर को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, एएच, डेरी कार्य एवं मत्स्यपालन विभाग ने, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ) 1992 प्रख्यापित किया था। इस आदेश का उद्देश्य आम जनता के हित में वांछित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूर्ति अनुरक्षित करना एवं वृद्धि करना तथा दुग्ध एवं दुग्ध का उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण नियंत्रित करना भी है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, 10,000 लीटर



प्रति दिन अथवा 500 मी.टन दुग्ध ठोस से अधिक का संचालनकर्ता किसी भी व्यक्ति/डेरी संयंत्र को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पंजीयक प्राधिकरण में पंजीयन कराना आवश्यक है।

एमएमपीओ 1992 की पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सैनिटरी तथा स्वच्छता स्थितियों, गुणवत्ता तथा खाद्य संरक्षा उपायों को लागू किया जाना पंजीयन हेतु अनिवार्य बनाए जाने के साथ नई डेरी इकाइयां स्थापित करने या दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता विस्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एमएमपीओ 1992 के पैरा 5 (5) (ख) के अनुसार अनुपालन हेतु, दो निरीक्षण अभिकरण नामतः राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) तथा भारतीय निरीक्षण परिषद (ईआईसी) को पंजीकृत डेरी इकाइयों के वार्षिक निरीक्षण, चक्रानुक्रम आधार पर, करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

जहां डेरी इकाइयों के प्रापण, प्रसंस्करण तथा विपणन की सम्पूर्ण गतिविधि राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ती है, पंजीयन प्राधिकरण संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी होगा और 200 टीएलपीडी दुग्ध या 10,000 मी.टन दुग्ध ठोस प्रति वर्ष से अधिक का संचालन करने वाली डेरी इकाई को पंजीयन केंद्रीय पंजीयन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तदनुसार पंजीयन प्राधिकरण इस आदेश के तहत अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर पंजीयन आवेदनों पर विचार करेगा तथा पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

केंद्रीय तथा राज्य पंजीयन प्राधिकरण अपने प्रारंभन के समय से 31.03.2011 तक सहकारी, निजी तथा सरकारी सेक्टर में 1163.28 लाख लीटर प्रति दिन की संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता के साथ 984 डेरी इकाइयों को पंजीयन कर चुके हैं। आगे केंद्रीय पंजीयन प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 के दौरान 21 नई पंजीकरण इकाइयों को मंजूरी प्रदान की जबकि 14 डेरी इकाइयों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमतावर्द्धन किया गया और 7 डेरी इकाइयों का पंजीयन निरस्त किया गया। अधिसूचित निरीक्षण अभिकरणों अर्थात् एनपीसी एवं ईआईसी द्वारा 316 इकाइयों का निरीक्षण किया गया।

#### 4. कोडेक्स मामले

एफएसएसआई को कोडेक्स पौष्टिकता आयोग के साथ संपर्क कायम करने तथा भारत के अंदर कोडेक्स गतिविधियों का समन्वयन करने हेतु भारत का राष्ट्रीय कोडेक्स नियंत्रण प्वाइंट (एनसीसीपी) घोषित किया गया। कोडेक्स बैठकों के भाग लेने, कोडेक्स मामलों हेतु प्रत्युत्तर तैयार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए तथा अनुवर्ती काल में अधिसूचित किए गए।



(प्रधान कार्यालय, दिल्ली में कोडेक्स पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति पर)

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में कोडेक्स की छाया समितियां गठित की गई हैं। एनसीसीपी छाया समितियों के कार्य का समन्वय करती है।

समय समय पर अंतरराष्ट्रीय अवस्थितियों में आयोजित की जाने वाली कोडेक्स बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों में सेब से संबंधित मानक, सीमापार निरीक्षणों के लिए चिली सॉस प्रक्रिया हेतु मानक तथा शिशु खाद्यों हेतु प्रारूप मानक शामिल हैं। श्री संजय दवे, निदेशक, एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण) को हाल में भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय कोडेक्स समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

एफएसएसआई ने विभिन्न कोडेक्स बैठकों में भाग लिया – पेरिस में सामान्य सिद्धांत पर कोडेक्स समिति (सीसीजीपी) का 26वां सत्र (अप्रैल, 2010), जेनेवा में आयोजित कोडेक्स पौष्टिकता आयोग (सीएसी) का 34वां सत्र (जुलाई, 2010), इंडोनेशिया में आयोजित एशिया समन्वय समिति (सीसीएशिया) का 17वां सत्र (नवम्बर, 2010)।



## 5. प्रयोगशालाएं

देशभर में 50 खाद्य प्रयोगशालाओं के संबंध में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा एक गैप विश्लेषण किया गया।



(सीईओ, एफएसएसआई द्वारा एफआरएसएल, गाजियाबाद का दौरा)

भारतीय गुणवत्ता परिषद से इस प्रकार प्राप्त गैप विश्लेषण का प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अवसंरचना, परीक्षण उपकरणों के अर्जन, कार्य-बल की पहचान और उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया जाना और एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया जाना शामिल है।

जन-विश्लेषक परीक्षा अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की गई है।

### खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद

खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए उनकी गुणवत्ता और शुद्धता के निर्धारण के उद्देश्य से बाजार से लिए गए उनके नमूनों का विश्लेषण करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1971 में स्थापित की गई थी।

खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट की जांच के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत एक अपीलीय प्रयोगशाला (केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला) है। इस प्रयोगशाला के अलावा, कोलकाता, मुंबई, सोनॉली, रक्सॉल में अन्य केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं स्थित हैं (सोनॉली और रक्सॉल प्रयोगशालाएं भारत-नेपाल सीमा पर स्थित हैं)।

### केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता निर्धारित करने और खाद्य वस्तुओं के लिए मानदंड तय करने के लिए देश भर से और बाजार से लिए गए खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत 1955 में स्थापित की गई थी। प्रारंभ में, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता के परिसर में स्थापित की गई थी और बाद में इसे 3, केवाईडी स्ट्रीट, कोलकाता-700016 स्थित इसके अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम घरेलू और आयातित दोनों खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस प्रयोगशाला को एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने का सतत प्रयास किया जाता रहा है। यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

### वर्ष 2010-11 के दौरान चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए और अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या का विवरण

| केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला का नाम | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 12 (12क) 13 (2ख) के अंतर्गत |           | विचारण न्यायालय से सीमा-शुल्क विभाग, न्यायालय, स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेष नमूनों से जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से जुड़े नहीं हैं |           | अन्वेषणात्मक नमूने और सहयोगात्मक अध्ययनों के नमूने |           | कुल       |           |
|----------------------------------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
|                                  | विश्लेषित   | अपमिश्रित | विश्लेषित   | अपमिश्रित | विश्लेषित  | अपमिश्रित | विश्लेषित | अपमिश्रित |
| सीएफएल, पुणे                     |   |           |   |           | 48   |           | 1086      | 554       |
| सीएफएल, कोलक                     |   |           |   |           | 86   |           | 1072      | 49        |
| एफआरएसएल, सीएफटीआरआई, मैसूर      |   |           |   |           | 100  |           | 575       | 406       |
|                                  |   |           |   |           |  |           | 3994      | 821       |

\* खाली स्तम्भ/श्रृंखलाएं समेकित किए जा रहे आंकड़ों को दर्शाते हैं।



## 6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण



(मुख्यालय, दिल्ली में संचालित हो रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम)

प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्रारूप प्रशिक्षण नीति विवरण पणधारकों के साथ परामर्शाधीन है। इस दस्तावेज में खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की गई है जिसे पणधारकों तथा अन्य भागीदारों द्वारा आगे ले जाया जाएगा।

### प्रमुख पहलें

- एफएसएसएआई मुख्यालय, नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (एफएससी) के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टॉट) देश में विभिन्न स्थानों पर संचालित किए गए। प्रशिक्षकों द्वारा डाउन लाइन कार्यक्रम भी कुछ राज्यों में चलाए गए हैं।
- देश में विभिन्न स्थानों पर नामित अधिकारियों के लिए 5-दिवसीय कार्यक्रम
- एफएसएस अधिनियम और नियमों के कार्यन्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी के समझने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला।

### अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिचीगन स्टेट यूनिवर्सिटी (एमएसयू) के सहयोग से नई दिल्ली में दिनांक 9-11 नवंबर, 2010 तक खाद्य सुरक्षा कार्यन्वयन हेतु सर्वोत्तम पद्धति संबंधी

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

- प्रयोगशालाओं संबंधी विदेशगत प्रशिक्षणों एवं फेलोशिप के लिए मनोनित एफएसएसएआई अधिकारी

### कार्यशालाएं

सीमा-शुल्क विभाग, विमानपत्तन प्राधिकरण, पोत-परिवहन मंत्रालय, सीमाशुल्क हाउस एजेंटों और आयात एवं निर्यात संघों इत्यादि समेत अनेक खाद्य सुरक्षा पणधारकों के लिए वर्षभर कार्यशालाएं और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं।

- सवोत्तम-सिटीजन चार्टर
- गुणवत्ता-आईएसओ प्रणालियां आईएसओ 2000, 17025 अन्य गुणवत्ता प्रणालियां
- मिशन खाद्य सुरक्षा का सशक्तीकरण
- पणधारकों का परामर्श- आयात, विनियमों का निर्माण
- खाद्य सुरक्षा व्याख्यानमाला
- कोडेक्स प्रशिक्षण
- एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

### व्यावसायिक संस्थानों से संपर्क

- क. गृहिणियों, युवा बालिकाओं को कौशलों को सिखाने के संबंध में पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
- ख. क्षमता निर्माण के लिए अर्थात् राज्य विनियामक स्टाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नामोदिष्ट अधिकारी, अधिनिर्णायक अधिकारी और खाद्य हैंडलरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच)।
- ग. आहार संपूरकों के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद



- घ. खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलोर।  
 ङ. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल— उत्कृष्टता केंद्र  
 च. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद — उत्कृष्टता केंद्र  
 छ. निर्यात निरीक्षण परिषद —आयात खाद्य नमूनों का परीक्षण  
 ज. भारतीय गुणवत्ता परिषद —प्रयोगशालाओं के लिए गैप अध्ययन।  
 झ. सीएफटीआरआई मैसूर— मांस संबंधी मामलों के लिए मैसूर स्थित नोडल प्रयोगशाला।  
 ञ. कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अभिकरण (एपीईडीए)— मानदंडों को संगत बनाने के लिए एसपीएस उपायों के संदर्भ में सूचनाओं का आदान-प्रदान।  
 त. भारतीय पशुचिकित्सा शोध संस्थान— मांस संबंधी मामले।

## प्रशासन और मानव संसाधन

मलग्न विवरणों के अनुसार एफएसएसआई की नई संरचना को अनुमोदित किया गया और 351 पद स्वीकृत किए गए। सभी निदेशकों का पद मुख्यालय में और प्रयोगशालाओं में भरा गया। विज्ञापनों के अनुसार पदों को भरने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास किए गए। धारा 90 के अंतर्गत कर्मचारियों की मानद प्रतिनियुक्तियों को अगले वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान नियमित कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के कर्मचारियों की कुल संख्या 1 मार्च 2011 को 189 है।

### कार्यालय

आयातित खाद्य पदार्थों को संभालने के लिए पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदान किए गए परिसरों में पत्तन-स्थित कार्यालय, जिसमें विमानपत्तन भी शामिल हैं, स्थापित किए गए हैं। मुंबई और एनबीसीसी स्थल पर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर भी दिल्ली में अंतिम रूप से तय किए गए हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एफडीए भवन, नई दिल्ली के समीप आबंटित स्थल पर एफएसएसआई मुख्यालय के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

संभार-तंत्र की सेवाएं, आंतरिक रखरखाव, सुरक्षा, अग्नि-सुरक्षा और संरक्षा, वातानुकूलन, बागवानी, समिति कक्ष और सभा-कक्ष में प्लाज्मा टी.वी सभी पूर्णतः कार्य कर रहे हैं। सुरक्षित और अच्छी कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किराए पर लिए गए परिसरों में विभिन्न स्थानों पर ऐसी ही सेवाओं के लिए मुख्यालय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

चूंकि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया में समय लग जाता है, कतिपय तकनीकी सेवाओं को एक स्थानीय प्रतिष्ठित एचआर अभिकरण के माध्यम से आउटसोर्स कर दिया जाता है।

### एफएसएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय

क. उत्तरी क्षेत्र : (एफएसएसआई, ईस्ट टावर, प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली-110003) दूरभाष— (011-24360936)

(i) उपक्षेत्रीय कार्यालय : एफएसएसआई हाल सं. 3, 9वां तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ-226024 दूरभाष : 0522-2381899

(ii) उपक्षेत्रीय कार्यालय : एफएसएसआई, मार्फत— विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9 क, चंडीगढ़-110017



**ख. दक्षिणी क्षेत्र :** एफएसएसएआई, दक्षिणी क्षेत्र, सी-10डी, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नै-90 दूरभाष-044-24912421 फैक्स: 044-2443569

(प्राधिकृत अधिकारी (चेन्नै डॉक) - एफएसएसएआई, मार्फत- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शास्त्री भवन, चतुर्थ तल छठी मंजिल, 26, हैड्रोज रोड, चेन्नै-600006 दूरभाष-044-28278065, फैक्स: 044-282711 मोबाइल-09444201926

**ग. पूर्वी क्षेत्र :** एफएसएसएआई, पूर्वी क्षेत्र, मयूख भवन, उच्चतम तल, सॉल्ट लेक, कोलकाता, दूरभाष-033-235580391 फैक्स: 033-235845625

प्राधिकृत अधिकारी (कोलकाता डॉक)

एफएसएसएआई, मार्फत - विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, ए-डीएफ-ब्लॉक, सेक्टर-1, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700064

**घ. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :** एफएसएसएआई, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, 6 माइल, पंजाबाड़ी रोड, पोस्ट ऑफिस पर्यावरण गुवाहाटी 761037, टेलीफैक्स: 0361-2332446

श्री पंचम, वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी

**ङ. पश्चिमी क्षेत्र :** एफएसएसएआई, पश्चिमी क्षेत्र, पुराना सीजीओ भवन, 101, एम.के. मार्ग, मुम्बई, दूरभाष-022-22071474, फैक्स: 022-2205206, ई-

1. श्री ऐईस कुमार, वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी

- प्राधिकृत अधिकारी- जेएनपीटी, मुंबई

2. डा. एस.के. हलदर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी-हल्दिया डॉक, एफएसएसएआई, मार्फत- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नया सीजीओ भवन, न्यू मैरीन लाइन्स, मुंबई-4000 दूरभाष-022-22091103

दुग्ध इकाइयों, मीट केंद्रों, फल एवं सब्जी उत्पाद विभाग के **वार्षिक रिपोर्ट** और प्रयोगशालाओं के प्रतिवेदन समय-समय पर एकत्र किए गए और समेकित किए गए।

**अंतर्मंत्रालयी समन्वय :** एफएसएसएआई ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा मामलों पर विभिन्न मंत्रालयी विभागों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, तथा अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय किया।

**कल्याण और शिकायतें :** कार्य स्थान पर यौन शोषण पर कार्रवाई के लिए एक समिति गठित की गई है। निश्चित करियर प्रगति और संशोधित निश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत मामलों जांच करने और उनका निपटान करने के लिए समिति गठित की गई।

**राजभाषा :** राजभाषा से जुड़े सभी आदेश/परिपत्र, जो राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए, परिचालित कार्यन्वित किए गए।

नाम-पट्टिकाओं, मोहरों, पत्र-शीर्षों, फाइल कवरों और ऐसी ही अन्य लेखन-सामग्रियों को यथापरिचालित में द्विभाषी प्ररूप में मुद्रित कराया गया। एफएसएसएआई राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा समिति द्वारा जारी निदेशों का पालन कर रहा है और आगे और कार्रवाई कर रहा है।

**एफएसएसएआई (मुख्यालय) / जोनल / सब-जोनल कार्यालय / प्रयोगशालाओं में पदों को दर्शाने वाला विवरण**

| पदनाम                        | संशोधन-पूर्व वेतनमान | संशोधित वेतन बैंड (रूपये) | ग्रेड वेतन (रूपये) | रखे गए पद | एमओएफ द्वारा स्वीकृत पद | कुल पद |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------|
| अध्यक्ष, एफएसएसएआई           | 26000 (नियत)         | 80000 (नियत)              | शून्य              | 1         |                         | 1      |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी      | 22400-24500          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 12000              | 1         |                         | 1      |
| उप मु.का.अ. (अलग से स्वीकृत) | 18400-22400          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 10000              | 0         | 1                       | 1      |
| मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार      | 22400-24500          | 67000-(A1@3%-79000)       |                    | 0         | 1                       | 1      |
| वैज्ञानिक समूह IV(5)         | 16400-20000          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8900               | 0         | 2                       | 2      |
| वैज्ञानिक समूह IV(4)         | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 0         | 4                       | 4      |
| वैज्ञानिक समूह IV (3)        | 12000-16500          | 15600-39100 [पीबी -3]     | 7600               | 0         | 6                       | 6      |
| वैज्ञानिक समूह IV (2)        | 10000-15200          | 15600-39100 [पीबी -3]     | 6600               | 0         | 6                       | 6      |
| वैज्ञानिक समूह IV (1)        | 8000-13500           | 15600-39100 [पीबी -3]     | 5400               | 0         | 12                      | 12     |
| मुख्य पीएक्यूए अधिकारी       | 18400-22400          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 10000              | 0         | 1                       | 1      |
| मुख्य प्रवर्तन अधिकारी       | 18400-22400          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 10000              | 0         | 1                       | 1      |
| मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी   | 18400-22400          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 10000              | 0         | 1                       | 1      |
| उप-योग                       |                      |                           |                    | 2         | 35                      | 37     |
| <b>निदेशक</b>                |                      |                           |                    |           |                         |        |
| निदेशक (पीएक्यूए)            | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 0         | 1                       | 1      |
| निदेशक (निगरानी)             | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 1         |                         | 1      |
| निदेशक (प्रवर्तन)            | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 1         |                         | 1      |
| निदेशक (प्रबंधन सेवाएं)      | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 1         |                         | 1      |
| निदेशक (कोडेक्स प्रभाग)      | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 0         | 1                       | 1      |
| जोनल निदेशक (04 जोन)         | 14300-400-18300      | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 0         | 2                       | 2      |
| जोनल निदेशक (नई दिल्ली जोन)  | 14300-400-18300      | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 1         |                         | 1      |
| उप-योग                       |                      |                           |                    | 4         | 4                       | 8      |
| वित्तीय सलाहकार              |                      |                           |                    |           |                         |        |
| वित्तीय सलाहकार              | 14300-18300          | 37400-67000 [पीबी -4]     | 8700               | 0         | 1                       | 1      |
| उप-योग                       |                      |                           |                    | 0         | 1                       | 1      |
| संयुक्त निदेशक               |                      |                           |                    |           |                         | 0      |
| संयुक्त निदेशक (पीएक्यूए)    | 12000-16500          | 15600-39100 [पीबी -3]     | 7600               | 0         |                         | 0      |



|                                    |                 |                       |      |    |    |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|----|----|
| संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन)          | 12000-16500     | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 0  | 1  |
| संयुक्त निदेशक (प्रबंधन)           | 12000-16500     | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 0  | 2  |
| संयुक्त निदेशक (एफएंडए)            | 12000-16500     | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 0  | 1  |
| संयुक्त निदेशक (सतर्कता)           | 12000-16500     | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 0  | 1  |
| संयुक्त निदेशक (04 जोनल कार्यालय)  | 12000-375-16500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 0  | 2  |
| संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन)     | 12000-375-16500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 | 1  | 1  |
| उप-योग                             |                 |                       |      | 1  | 8  |
| <b>उप निदेशक</b>                   |                 |                       |      |    |    |
| उप निदेशक (पीएक्यूए)               | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  | 1  |
| उप निदेशक (निगरानी)                | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  | 1  |
| उप निदेशक (प्रवर्तन)               | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  | 1  |
| उप निदेशक (प्रबंधन)                | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 2  | 2  |
| उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग)         | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  | 1  |
| उप निदेशक (04 जोन)                 | 10000-325-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 4  | 4  |
| उप निदेशक (नई दिल्ली जोन)          | 10000-325-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 2  | 4  |
| उप-योग                             |                 |                       |      | 12 | 14 |
| <b>सहायक निदेशक</b>                |                 |                       |      |    |    |
| सहायक निदेशक (पीएक्यूए)            | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 0  | 2  |
| सहायक निदेशक (निगरानी)             | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1  | 1  |
| सहायक निदेशक (प्रवर्तन)            | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1  | 1  |
| सहायक निदेशक (प्रबंधन)             | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 2  | 4  |
| सहायक निदेशक (सतर्कता)             | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1  | 1  |
| सहायक निदेशक (कोडेक्स)             | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1  | 1  |
| सहायक निदेशक (हिन्दी)              | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 0  | 1  |
| सहायक निदेशक (04 जोन)              | 8000-275-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 4  | 2  |
| सहायक निदेशक (नई दिल्ली जोन)       | 8000-275-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1  | 2  |
| उपयोग                              |                 |                       |      | 11 | 15 |
| <b>विधि अधिकारी</b>                |                 |                       |      |    |    |
| विधि अधिकारी                       | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 0  | 2  |
| उप-योग                             |                 |                       |      | 0  | 2  |
| <b>वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी</b> |                 |                       |      |    |    |
| वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी        | 10000-15200     | 15600-39100 [पीबी -2] | 5400 | 0  | 1  |
| उप-योग                             |                 |                       |      | 0  | 1  |
| <b>वित्त एवं लेखा अधिकारी</b>      |                 |                       |      |    |    |
| वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी        | 8000-13500      | 15600-39100 [पीबी -2] | 4800 | 0  | 3  |

|   |                    |                           |                              |    |    |    |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|----|----|----|
| वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी             | 8000-13500         | 15600-39100 [पीबी -2]     | 4800                         | 0  | 3  | 3  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 0  | 3  | 3  |
| वरि. निजी सचिव                          |                    |                           |                              |    |    |    |
| वरि. निजी सचिव                          | 8000-13500         | 15600-39100 [पीबी -2]     | 4800                         | 2  | 1  | 3  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 2  | 1  | 3  |
| निजी सचिव (पीएस)                        |                    |                           |                              |    |    | 0  |
| निजी सचिव (पीएस) – एफएसएसएआई मुख्यालय   | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी -2]      | 4200                         | 4  | 8  | 12 |
| निजी सचिव (पीएस)-04 जोन                 | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी -2]      | 4200                         | 1  | 2  | 3  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 5  | 10 | 15 |
| वैयक्तिक सहायक                          |                    |                           |                              |    |    |    |
| वैयक्तिक सहायक, एफएसएसएआई मुख्यालय      | 5500-9000          | 9300-34800 [पीबी-2]       | 4200                         | 0  | 15 | 15 |
|   | उप-योग             |                           |                              | 0  | 15 | 15 |
| तकनीकी अधिकारी                          |                    |                           |                              |    |    |    |
| तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई मुख्यालय      | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी-2]       | 4200                         | 5  |    | 5  |
| तकनीकी अधिकारी (04 जोन)                 | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी-2]       | 4200                         |    | 10 | 10 |
| तकनीकी अधिकारी (नई दिल्ली जोन)          | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी -2]      | 4200                         |    | 5  | 5  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 5  | 15 | 20 |
| प्रशासन और लेखा अधिकारी                 |                    |                           |                              |    |    |    |
| प्रशासन और लेखा अधिकारी (04 जोन)        | 8000-275-13500     | 15600-39100 [पीबी-2]      | 4800                         | 0  | 3  | 3  |
| प्रशासन और लेखा अधिकारी (नई दिल्ली जोन) | 8000-275-13500     | 15600-39100 [पीबी-2]      | 4800                         | 0  | 1  | 1  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 0  | 4  | 4  |
| सहायक                                   |                    |                           |                              |    |    |    |
| सहायक –एफएसएसएआई मुख्यालय               | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी -2]      | 4200                         | 0  | 5  | 5  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 0  | 5  | 5  |
| परियोजना एसोसिएट                        |                    |                           |                              |    |    |    |
| परियोजना एसोसिएट –एफएसएसएआई मुख्यालय    | आर्थिक कार्य विभाग | की इंटर्न योजना के अनुसार | संविदा आधार पर लिए जाने वाले |    |    |    |
| लाइब्रेरियन                             |                    |                           |                              |    |    |    |
| लाइब्रेरियन, –एफएसएसएआई मुख्यालय        | 6500-10500         | 9300-34800 [पीबी -2]      | 4200                         | 0  | 1  | 1  |
|   | उप-योग             |                           |                              | 0  | 1  | 1  |
| चपरासी (*)                              |                    |                           |                              |    |    |    |
| चपरासी, एफएसएसएआई मुख्यालय              | 2650-4000          | 4440-7440 [-1S]           | 1650                         | 22 |    | 22 |





|   |             |                       |      |    |            |     |
|---|-------------|-----------------------|------|----|------------|-----|
| चपरासी, एफएसएसआई मुख्यालय   | 2650-4000   | 4440-7440 [-IS]       | 1650 |    |            |     |
| चपरासी (04 जोन)   | 2650-4000   | 4440-7440 [-IS]       | 1650 |    |            |     |
| चपरासी (नई दिल्ली जोन)  | 2650-4000   | 4440-7440 [-IS]       | 1650 | 22 |            | 22  |
| उप-योग  |             |                       |      | 22 |            | 22  |
| (*) इनमें सफाईकर्मी, चौकीदार, ग्रेडिंग परिचर, चपरासी, दरबान शामिल हैं |             |                       |      |    | उप-योग (क) | 198 |
| प्रयोगशाला स्टाफ  |             |                       |      |    |            |     |
| केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता                                    |             |                       |      |    |            |     |
| निदेशक  | 14300-18300 | 37400-67000 [पीबी -4] | 8700 | 1  |            | 1   |
| संयुक्त निदेशक  | 12000-16500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 |    | 1          | 1   |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी  | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  |            | 1   |
| मुख्य तकनीकी अधिकारी  | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  | 1          | 2   |
| उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)   | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 |    | 1          | 1   |
| वरि. लेखा अधिकारी   | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -2] | 5400 |    | 1          | 1   |
| वरि. विश्लेषक   | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 2  | 1          | 3   |
| निजी सचिव   | 6500-12000  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 1          | 1   |
| तकनीकी अधिकारी /व्याख्याता  |             |                       |      |    |            |     |
| कनिष्ठ विश्लेषक (4) + कनिष्ठ विश्लेषक (सूक्ष्मजीवविज्ञानी) [1]        | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 | 6  | 9          | 15  |
| लेखा सहायक  | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 1          | 1   |
| सहायक   | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 2          | 2   |
| वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक   | 4500-7000   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 2800 | 4  | 1          | 5   |
| प्रयोगशाला सहायक  | 3200-4900   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 2000 | 8  | 2          | 10  |
| अवर श्रेणी लिपिक  | 3050-4590   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 1  |            | 1   |
| स्टोर कीपर/ अवर श्रेणी लिपिक  | 3050-4590   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 1  |            | 1   |
| हिंदी टंकक / अवर श्रेणी लिपिक   | 3050-4590   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 1  |            | 1   |
| स्टोर लिपिक   | 3050-4590   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 1  |            | 1   |
| प्रयोगशाला परिचर  | 2650-4000   | 4440-7440 [S-1]       | 1650 | 13 |            | 13  |
| चपरासी  | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]       | 1300 | 3  |            | 3   |
| दरबान   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]       | 1300 | 1  |            | 1   |
| चौकीदार   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]       | 1300 | 2  |            | 2   |
| सफाईकर्मी   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]       | 1300 | 2  |            | 2   |
| उप-योग  |             |                       |      | 48 | 21         | 69  |
| एफआरएसएल, गाजियाबाद   |             |                       |      |    |            |     |
| निदेशक  | 14300-18300 | 37400-67000 [पीबी -4] | 8700 | 1  |            | 1   |
| संयुक्त निदेशक  | 12000-16500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 |    | 1          | 1   |
| मुख्य तकनीकी अधिकारी  | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  |            | 1   |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी  | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1  |            | 1   |
| उप निदेशक (म)   | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 |    | 1          | 1   |



|                         |            |                       |      |    |    |    |
|-------------------------|------------|-----------------------|------|----|----|----|
| वरि. लेखा अधिकारी       | 8000-13500 | 15600-39100 [पीबी -2] | 5400 |    | 1  | 1  |
| वरि. विश्लेषक           | 8000-13500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 2  |    | 2  |
| निजी सचिव               | 6500-12000 | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 1  | 1  |
| कनिष्ठ विश्लेषक / टी.ओ. | 6500-10500 | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 | 4  | 11 | 15 |
| लेखा सहायक              | 6500-10500 | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 1  | 1  |
| सहायक                   | 6500-10500 | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |    | 2  | 2  |
| वरि. प्रयोगशाला सहायक   | 4500-7000  | 5200-20200 [पीबी -1]  | 2800 | 1  | 2  | 3  |
| प्रयोगशाला सहायक        | 3200-4900  | 5200-20200 [पीबी -1]  | 2000 | 3  |    | 3  |
| अवर श्रेणी लिपिक        | 3050-4590  | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 2  |    | 2  |
| चालक                    | 3050-4590  | 5200-20200 [पीबी -1]  | 1900 | 1  |    | 1  |
| प्रयोगशाला परिचर        | 2650-4000  | 4440-7440 [S-1]       | 1650 | 6  |    | 6  |
| चपरासी                  | 2550-3200  | 4440-7440 [S-1]       | 1300 | 1  |    | 1  |
| उप-योग                  |            |                       |      | 23 | 20 | 43 |

|                                  |             |                       |      |   |   |    |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|------|---|---|----|
| रक्सौल एवं सोनौली प्रयोगशालाएं   |             |                       |      |   |   |    |
| वरि. विश्लेषक                    | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 2 |   | 2  |
| कनिष्ठ विश्लेषक                  | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 | 2 |   | 2  |
| प्रयोगशाला सहायक                 | 3200-4900   | 5200-20200 [पीबी -1]  | 2000 | 2 | 2 | 4  |
| सहायक                            | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |   | 2 | 2  |
| चपरासी                           | 2650-3200   | 4440-7440 [S-1]       | 1650 |   |   | 0  |
| उप-योग                           |             |                       |      | 6 | 4 | 10 |
| केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुंबई |             |                       |      |   |   |    |
| निदेशक                           | 14300-18300 | 37400-67000 [पीबी -4] | 8700 | 1 |   | 1  |
| संयुक्त निदेशक                   | 12000-16500 | 15600-39100 [पीबी -3] | 7600 |   | 1 | 1  |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी / सीटीओ       | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 | 1 | 2 | 3  |
| उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)    | 10000-15200 | 15600-39100 [पीबी -3] | 6600 |   | 1 | 1  |
| वरि. विश्लेषक (जीएम फूड्स)       | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1 | 3 | 4  |
| वरि. विश्लेषक                    | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -3] | 5400 | 1 |   | 1  |
| वरि. लेखा अधिकारी                | 8000-13500  | 15600-39100 [पीबी -2] | 5400 |   | 1 | 1  |
| निजी सचिव                        | 6500-12000  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |   | 1 | 1  |
| लेखा सहायक                       | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |   | 1 | 1  |
| सहायक                            | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 |   | 1 | 1  |
| कनिष्ठ विश्लेषक                  | 6500-10500  | 9300-34800 [पीबी -2]  | 4200 | 1 | 8 | 9  |
| कनिष्ठ विश्लेषक (जीएम)           |             |                       |      |   |   |    |





|                              |            |                      |      |    |    |     |
|------------------------------|------------|----------------------|------|----|----|-----|
| कनिष्ठ विश्लेषक (जीएम फूड्स) | 6500-10500 | 9300-34800 [पीबी -2] | 4200 | 1  |    |     |
| वरि. प्रयोगशाला सहायक        | 4500-7000  | 5200-20200(पीबी -1)  | 2800 |    | 4  |     |
| प्रयोगशाला सहायक             | 3200-4900  | 5200-20200 [पीबी -1] | 2000 | 4  | 2  |     |
| उप-योग                       |            |                      |      | 10 | 25 | 35  |
| योग (ख)                      |            |                      |      |    |    | 157 |
| महायोग (क) + (ख)             |            |                      |      |    |    | 355 |

### संसद मामले, सूचना अधिकार संबंधी अनुरोध, अदालती मामले

संसद के सत्र के दौरान अपमिश्रण, कीटनाशक अपशिष्टों, एफएसएस नियमों, प्रयोगशाला मानदंडों, वैज्ञानिक पैनलों इत्यादि के गठन के संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए। उत्तरों को समेकित किया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

सूचना के अधिकार संबंधी अनुरोध समेकित किए गए और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर समयबद्ध तरीके से दिए गए। सूचना के अधिकार संबंधी मामलों के लिए एफएसएसएआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएसएसएआई अपीलीय प्राधिकारी हैं।



## 8. आयातित खाद्य-पदार्थों की संरक्षा



यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयातित खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं, एक खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (एफआईसीएस) के संकल्पना-निर्माण, अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए एफएसएसएआई द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) हैदराबाद की सेवाएं ली गईं।

एनआईएसजी ने निम्नलिखित समुद्री और विमानपत्तनों पर आयातित खाद्य-पदार्थ स्वीकृति प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए एफएसएसएआई की मदद भी की।

- 1) चेन्नै समुद्री और विमानपत्तन
- 2) मुंबई समुद्री और विमानपत्तन न्यास, मुंबई
- 3) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, न्हावा शेवा, मुंबई
- 4) कोलकाता समुद्री और विमानपत्तन न्यास, कोलकाता और
- 5) हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स, पुर्बा, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल
- 6) नई दिल्ली विमानपत्तन
- 7) तुगलकाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), दादरी आईसीडी-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

एफएसएसएआई ने आयातित खाद्य-पदार्थ की स्वीकृति के लिए धारा 47(5) के अधीन प्राधिकृत





अधिकारियों को अधिसूचित किया। वर्ष के दौरान सभी पणधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई।

आयात खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं—

1. सीमा-शुल्क हाउस एजेंटों से नमूने का अनुरोध
2. खाद्य पदार्थ का इसके खतरों के अनुरूप नमूना लेना
3. नमूने को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में प्रस्तुत करना
4. प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्राप्ति
5. खाद्य आयात की स्वीकृति के लिए सीमा-शुल्क विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना।

## 9. सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

### (I) जागरूकता और संचार

#### खाद्य सुरक्षा संबंधी विज्ञापन—पैन इंडिया

अन्य पणधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त संचार की एक अधिक सूक्ष्म कार्यनीति अपनाई गई। एफएसएसआई ने अपने पैनल के अभिकरणों के माध्यम से देश भर में बहुभाषी रूप में प्रिंट मीडिया विज्ञापनों को अंतिम रूप देकर जारी किया। एफएसएसआई के पर्व, विवरणिकाएं और ऐसी ही अन्य लिखित सामग्रियां तैयार की गईं और वितरित की गईं। खाद्य सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न टी.वी.चैनलों पर टी.वी. स्पॉट डिजाइन करने, बनाने और जारी करने के लिए डीएवीपी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

#### आकाशवाणी पर रेडियो संगीत—ध्वनि (पैन इंडिया)

एफएम गोल्ड तथा आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर इस प्रकार अंतिम रूप दी गई रेडियो संगीत—ध्वनियां प्रसारित की गईं जिनसे आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2011 के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

#### दूरदर्शन पर फीचर कार्यक्रम—“कल्याणी”।

दूरदर्शन के 8 क्षेत्रीय स्टेशनों— लखनऊ, भोपाल, जयपुर, रायपुर, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और पटना से प्रसारित किए जाने के लिए 30 मिनट के 6 एपिसोड वाले खाद्य सुरक्षा संबंधी “कल्याणी कार्यक्रम” हेतु दूरदर्शन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

जनता के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करना और खाद्य सुरक्षा मुद्दों हेतु लक्षित श्रोता-दर्शक वर्ग की पहचान करना संचार कार्यनीति का केंद्र बिन्दु रहा है। तथापि, एक और अधिक मुद्दा आधारित जागरूकता अभियान तैयार किया जा रहा है जिसमें नए खाद्य संबंधी नियमों और विनियमों, प्रवर्तन प्रक्रियाओं के पहलुओं, मानदंडों, लेबलिंग, निगरानी, खाद्य-पदार्थ की वापसी के संबंध में जागरूकता को शामिल किया जाएगा। इसमें खाद्य पदार्थों संबंधी नए नियमों और उनके विनियमों के संबंध में सामान्य जागरूकता हेतु सुधार सूचनाओं को भी शामिल किया जाएगा। जागरूकता अभियान गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया संसाधन व्यक्तियों के व्यापार निकायों और उद्योग संघों इत्यादि को शामिल करके बहुभाषी और बहुमाध्यम वाले प्रारूप में होगा।



## (II) सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय सेवाएँ

प्राधिकरण के सभी कार्य अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं। एफपीओ, पीएफए से संबंधित पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण, एनआईसी के आंकड़ा केंद्र में एफएसएसआई वेबसाइट की होस्टिंग, एनआईसी केंद्र में राखे गए सर्वरों, एनआईसी परिसर में एफएसएसआई आंकड़ा पुनर्प्राप्ति केंद्र संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा परीक्षा और ई-ऑफिस प्रशिक्षण और कार्यान्वयन एनआईसी टीम द्वारा किया जाता है।

आयातित खाद्य-पदार्थों की स्वीकृति के लिए सॉफ्टवेयर सहायता एनआईसी द्वारा आंतरिक अभिकर्ताओं को मेसर्स लॉजिक्सॉफ्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है। केंद्रीय अनुज्ञप्ति सॉफ्टवेयर अभिकल्पन और विकास विचाराधीन है और यदि इसे कार्य-योग्य पाया गया, तो इसे राज्यों से मिलने वाली निविदियों के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।

एफएसएसआई के सभी कार्यालय, जिसमें सभी पत्तनों और समुद्रपत्तनों पर स्थित कार्यालय भी शामिल हैं और प्रयोगशालाएं आधुनिक कम्प्यूटरों और मुद्रण/रेप्रोग्राफिक युक्तियों के साथ 100 प्रतिशत सूचना-प्रौद्योगिकी संपन्न हैं। इनके एक बार पूर्णतः क्रियाशील और प्रशिक्षित हो जाने के बाद, सभी कर्मचारियों को ई-कार्यालय उपलब्ध हो जाएगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली को संगठन के अंदर ही अभिकल्पित किया गया है।

**पुस्तकालय सेवाएं**— खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा संबंधी संगत पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि पुस्तकालय उपलब्ध हैं। प्रकाशनों के सभी महत्वपूर्ण अंक एफडीए भवन पुस्तकालय, दिल्ली में उपलब्ध हैं।

एफएसएसआई ने पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं को कर्मचारियों हेतु संदर्भ के लिए और जारी किए जाने के लिए अमेरिकन सेंटर की संस्थागत सदस्यता, और डेलनेट (दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क) की ब्रिटीश काउन्सिल पुस्तकालय सदस्यता ली हुई है। बैठक के कार्यवृत्त, नियम-विनियमों की प्रतियां, अधिसूचनाओं, करियर संबंधी विज्ञापनों, सूचना-पत्रों, पैनलों और वैज्ञानिक समिति के प्रतिवेदनों, आरएफडी, प्रशिक्षण मॉड्यूलों और मीडिया से जुड़े दस्तावेजों को भी संदर्भ हेतु पुस्तकालय में रखा जाता है।



## 10. परिणाम ढाँचा दस्तावेज (आर.एफ.डी. 2010-11)

आर.एफ.डी. 2010-11 कारवाई, वितरण योग्य तथा यह सेवा वितरण के मानकों को भी शामिल किया।

### सेवोत्तम परियोजना :

प्राधिकरण के उद्देश्य, दूर दृष्टि दस्तावेज तथा अन्य वितरण योग्य सेवाओं पर विचार विमर्श किया गया तथा परामर्श के लिए प्रारूप को परिचालित किया गया था। अंतिम रूप पाने के बाद यह प्राधिकरण का 'सिटीजन चार्टर' होगा।

### दूरदृष्टि :

भारतीय खाद्य सुरक्षा जो सरकार, निजी तथा सार्वजनिक संस्था एवं संगठन, खाद्य व्यापार, ऑपरेटर, उपभोक्ताओं तथा अन्य शेयर धारकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा यह विश्वास दिलाती है कि उपलब्ध खाना सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकारी है तथा अन्तराष्ट्रीय मानकों का दृढ़ता से पालन करती है।

### लक्ष्य :

प्राधिकारी सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक स्वीकार्य स्तर की विश्वसनीयता तथा एक प्रभावी भोजन विनियमन तथा आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक निगरानी प्रणाली बनाने में तथा सभी हितधारकों को भोजन से संबंधित विज्ञान आधारित सूचना प्रदान करने में मदद करेगी ताकि वो भोजन से संबंधित विकल्प चुन सकें और एक स्वस्थ एवं गुणवत्ता/उत्पादक जीवन व्यतीत करें।

### उद्देश्य :

- पीएफए तथा अन्य आदेशों से एफएसएसए अधिनियम की ओर संक्रमण
- राज्यों में खाद्य सुरक्षा विनियमन को मजबूत करना
- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करना
- मौजूदा खाद्य मानकों की समीक्षा तथा नये मानकों का विकास करना





- खाद्य सुरक्षा की निगरानी
- विनियामक कर्मचारियों/हितधारकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण करना।
- प्राधिकारी के संरचना की स्थापना करना
- खाद्य सुरक्षा पर संचार अभियान
- अनुसंधान और विकास

### अधिनियम के तहत निर्धारित कार्य :

- भोजन से संबंधित नियमावली/लेख के विनियमों, मानकों तथा दिशानिर्देश तैयार करना।
- मान्यता प्राप्त निकायों/प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन दिशानिर्देश।
- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से संबंधित क्षेत्रों में नीति एवं नियम तैयार करने के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैधानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जोखिम विश्लेषण की विधि प्रणाली से संबंधित कार्यवाही तथा दिशानिर्देश तैयार करना।
- खाद्य सुरक्षा के विषय में देश भर में सूचना का प्रसार तथा नेटवर्क बनाना।
- विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण करना।
- भोजन के लिए अन्तराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान तथा उसे एक हद तक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।
- खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य मानकों के विषय में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना।

### प्रमुख उद्देश्यों और सफलता के संकेतकों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

| क्र.सं. | उद्देश्य  | वजन   | कार्य/प्रक्रिया  | सफलता संकेतक   | इकाई   | वजन  | लक्ष्य/मानदंड मूल्य |                   |                   |                   |                   |
|---------|---|-------|--|--|--------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |   |       |  |  |        |      | उत्कृष्ट            | बहुत अच्छा        | अच्छा             | औसत               | कमजोर             |
| 1.      | पीएफए और अन्य आदेशों से एफएसएस अधिनियम में परिवर्तन (संक्रमण) | 16.00 | क) एफएसएस नियमों और विनियमों की अधिसूचना<br>ख) लाइसेंस की नई प्रणाली के लिए परिवर्तन आरंभ करें<br>ग) एफएसएसआई को विभिन्न कार्यों को स्वीकार करने में सक्षम करने के लिए अधिनियम के शेष अनुभागों की अधिसूचना   | अधिसूचना के लिए मंत्रालय को मसौदा नियम भेजें।<br>रूपरेखा और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दें<br>अनुभागों की अधिसूचना  | दिनांक | 4.00 | 100%<br>30.10.2010  | 90%<br>30.11.2010 | 80%<br>31.12.2010 | 70%<br>31.01.2011 | 60%<br>28.02.2011 |
| 2.      | राज्यों में खाद्य संस्था विनियमन सुदृढीकरण                    | 14.00 | क) राज्यों में खाद्य संस्था नियमों को मजबूत बनाने के लिए योजना की रूपरेखा का विकास<br>ख) खाद्य संस्था प्रबंधन प्रणाली (एफएसएसएमएस) और अनुपालन की व्यवस्था<br>ग) भारत – एचएसीसीपी/मान्यता व्यवस्था  | मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और राज्यों के साथ परामर्श के बाद योजना को अंतिम रूप दें<br>मसौदा तैयार करें/मसौदे पर विचार-विमर्श आरंभ करें<br>एफएसएसएमएस (पर दस्तावेजों को अंतिम रूप दें<br>मसौदा तैयार करें/मसौदे पर विचार-विमर्श आरंभ करें<br>भारत-एचएसीसीपी को अंतिम रूप दें | दिनांक | 4.00 | 05.03.2011          | 12.03.2011        | 19.03.2011        | 26.03.2011        | 31.03.2011        |
| 3.      | परिक्षण प्रयोगशाला सुदृढीकरण सुविधाएं                         | 13.00 | क) सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की पहचान<br>ख) खाद्य प्रयोगशालाओं को सूचित करें/मानक को अंतिम रूप दें और राज्यों में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चिह्नित प्रयोगशालाओं का उन्नयन आरंभ करें।<br>ग) अधिनियम की धारा 43 के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना | सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की पहचान<br>राज्यों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दें<br>मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दें<br>सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की पहचान<br>राज्यों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दें            | दिनांक | 2.00 | 31.12.2010          | 17.01.2011        | 31.01.2011        | 14.02.2011        | 28.02.2011        |
|         | परिक्षण प्रयोगशाला सुदृढीकरण सुविधाएं                         | 13.00 | क) सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की पहचान<br>ख) खाद्य प्रयोगशालाओं को सूचित करें/मानक को अंतिम रूप दें और राज्यों में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चिह्नित प्रयोगशालाओं का उन्नयन आरंभ करें।  | सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की पहचान<br>राज्यों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दें   | दिनांक | 4.00 | 05.03.2011          | 12.03.2011        | 19.03.2011        | 26.03.2011        | 31.03.2011        |



|  |  |   |        |      |            |            |            |            |            |
|--|--|---|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | ग) अधिनियम की धारा 43 के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना  | मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दें   | दिनांक | 3.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | घ) सिफारिश की गई (रेफरल) प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया और लेखापरीक्षा/ प्रमाण पत्र की व्यवस्था के लिए सूचित करें | सिफारिश की गई (रेफरल) प्रयोगशालाओं को सूचित करें/ और अधिसूचना के लिए लेखा परीक्षा/ प्रमाणन की व्यवस्था को अंतिम रूप दें | दिनांक | 2.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | ङ) खाद्य आयातों के परीक्षण के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचित करें                                   | प्रयोगशालाओं और अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करें   | दिनांक | 2.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | क) मानकों की समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं विकसित करें  | मानकों के संशोधन के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दें  | दिनांक | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|  | ख) कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, आहार परिपूरकों आदि के लिए नए नियमों का विकास                                   | अंतिम मसौदा विनियमों की तैयारी  | दिनांक | 1.00 | 30.10.2010 | 15.11.2010 | 30.11.2010 | 15.12.2010 | 31.12.2010 |
|  | ग) खाद्य योज्यों की मा 'खुदा सरवना की समीक्षा  | वैज्ञानिक फेल/ समिति स वैज्ञानिक राय और खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन एफएसएसआई द्वारा विनियमों को अंतिम रूप दें            | दिनांक | 1.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | घ) जीएम खाद्य के सुरक्षा मूल्यांकन/ विनियमन के लिए क्षमता निर्माण  | वैज्ञानिक फेल/ समिति से प्राधिकरण का अनुमोदन विनियमों को अंतिम रूप दें  | दिनांक | 0.20 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | ङ) पीने के पानी के लिए मानकों का विकास, बोटलबंद पानी के लिए मानकों में संशोधन                                | दिशा निर्देश का मसौदा बनाएं - परामर्श- अंतिम दिशा निर्देश मानकों का मसौदा बनाएं/ मसौदे पर परामर्श प्राप्त करें          | दिनांक | 1.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | च) सरकार से ट्रांस फैटी एसिड के लिए मानकों की सिफारिश  | सिफारिशों को अंतिम रूप दें  | दिनांक | 1.00 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 | 15.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | छ) लेबलिंग और दावा विनियम  | विनियम का मसौदा बनाएं परामर्श प्राप्त करें  | दिनांक | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|  | ज) स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश  | मसौदा बनाएं - परामर्श- दिशा निर्देश   | दिनांक | 1.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | झ) कोडेक्स पट्टिका आयोग की बैठकों में भागीदारी   | समितियों और प्रांतीय मंडलों की पहचान करें- देश की स्थिति- प्रचलित प्रक्रियाएं तैयार करें                                | दिनांक | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|  | क) खाद्य निगरानी के लिए संस्थानों/ खाद्य संस्था केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना                                 | संस्थानों - निगरानी ढांचे को चिह्नित करें   | दिनांक | 4.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|  | ख) पांच प्रमुख बंदरगाहों पर जगह खाद्य संस्था समूहों की व्यवस्था करना   | प्रविष्टि के पांच प्रमुख बंदरगाहों पर निगरानी रखें  | दिनांक | 3.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |

|   |      |  |  |        |      |            |            |            |            |            |
|---|------|--|--|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| खाद्य संस्था निगरानी  | 9.00 | क) खाद्य निगरानी के लिए संस्थानों/ खाद्य संस्था केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना<br>ख) पांच प्रमुख बंदरगाहों पर जगह खाद्य संस्था समूहों की व्यवस्था करना<br>ग) दूध में उर्कृष्टता के लिए राज्य/ केंद्र के साथ सहयोग से दूध सुरक्षा कार्य-योजना   | संस्थानों - निगरानी ढांचे को चिह्नित करें<br>प्रविष्टि के पांच प्रमुख बंदरगाहों पर निगरानी रखें<br>दिशा निर्देशों और कार्य- योजना का मसौदा बनाएं<br>उर्कृष्टता के चिह्नित केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन  | दिनांक | 4.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
| विनियामक कर्मचारियों/ विचारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | 8.00 | क) एफएसएसआई के लिए प्रशिक्षण नीति को अंतिम रूप दें<br>ख) एक खाद्य संस्था आयुक्त / खाद्य संस्था अधिकारी के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम<br>ग) नियुक्त अधिकारियों और नियुक्त करने वाले अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम<br>घ) गुणित और स्कूल बच्चों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने में इन्हन के साथ सहयोग<br>ङ) विनियामक कर्मचारियों और खाद्य संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ काम करें।<br>च) खाद्य विश्लेषकों के लिए परीक्षा का आयोजन और मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा | प्रशिक्षण नीति<br>एफएसआई के लिए पुस्तकें<br>प्रशिक्षण सामग्री और पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास<br>जहां 'ऑन' और 'ऑफ' ज को नियुक्त किया गया है उन राज्यों के साथ मिलकर प्रशिक्षण और आवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास।<br>परियोजना को अंतिम रूप दें | दिनांक | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
| प्राधिकरण की सरचना की स्थापना                                     | 6.00 | क) पदों का सृजन और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें<br>ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करें   | पदों का सृजन<br>भर्ती के नियमों को अंतिम रूप दें   | दिनांक | 2.00 | 30.10.2010 | 15.11.2010 | 30.11.2010 | 15.12.2010 | 31.12.2010 |
| खाद्य संस्था पर संचार अभियान                                      | 5.00 | क) एक संचार रणनीति बनाएं<br>ख) खाद्य संस्था संदेश का प्रसार करने के लिए एक संचार अभियान आरंभ करें<br>ग) रै-संचारी स 'गठनों' और अन्य नागरिक संगठनों को खाद्य संस्था में संबद्ध करने के लिए एक योजना विकसित करें।<br>घ) प्रसार और क्षमता निर्माण के लिए उद्योग अंतरफलक (इंटरफेस) का विकास  | संचार रणनीति को अंतिम रूप दें<br>अभियान की डिजाइन बनाएं -आरंभ करें<br>योजना को अंतिम रूप दें<br>अंतरफलक (इंटरफेस) व्यवस्था को अंतिम रूप दें  | दिनांक | 2.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
| अनुसंधान और विकास   | 4.00 | क) प्रतिद्वंद्वितात्मक रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पहली किस्त सौंपना आरंभ करें।<br>ख) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफएसएसआई की सहायता के लिए उर्कृष्टता के केंद्रों की पहचान करें, मानक तैयार करने में अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी जानकारी के आदानों का उपयोग करें।  | कार्यक्रम को अंतिम रूप दें- परियोजनाओं को चिह्नित करें<br>केंद्रों की पहचान करें-अनुबंध के लिए प्राप्ति को अंतिम रूप दें   | दिनांक | 2.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |



|  |  |      |   |  |        |      |            |            |            |            |            |
|--|--|------|---|--|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | आरएफडी प्रणाली का कुशल कामकाज                            | 5.00 | अनुमोदन के लिए मसौदे को समय पर जमा करना       | समय से जमा करना  | दिनांक | 2.00 | 5.3.2010   | 8.3.2010   | 9.3.2010   | 10.3.2010  | 11.3.2010  |
|  |  |      | परिणाम को समय से जमा करना                     | समय से जमा करना  | दिनांक | 1.00 | 2.5.2011   | 3.5.2011   | 4.5.2011   | 5.5.2011   | 6.5.2011   |
|  |  |      | एक रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दे              | अगले वर्षों के लिए रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दे   | दिनांक | 2.00 | 10.12.2010 | 15.12.2010 | 20.12.2010 | 24.12.2010 | 31.12.2010 |
|  |  |      | सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आरएफडी का विकास | शामिल किए गए कार्यालयों का प्रतिशत   | %      | 2.00 | 100        | 95         | 90         | 85         | 80         |
|  | संगठन की आंतरिक दक्षता / जवाबदेही / वितरण सेवा में सुधार | 6.00 | सेवाओं का कार्यान्वयन                         | नागरिक चार्टर को लागू करने, निगरानी और समीक्षा के लिए सेवाओं के अनुरूप प्रणाली बनाना   | दिनांक | 1.00 | 30.12.2010 | 10.01.2011 | 14.01.2011 | 20.01.2011 | 25.01.2011 |
|  |  |      |   | जनता की शिकायतों पर नजर रखने और उनके निवारण के लिए सेवाओं के अनुरूप एक प्रणाली बनाना   | Date   | 1.00 | 30.12.2010 | 10.01.2011 | 14.01.2011 | 20.01.2011 | 25.01.2011 |
|  |  |      |   | नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा  | %      | 1.00 | 100        | 95         | 90         | 85         | 80         |
|  |  |      |   | लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा  | %      | 1.00 | 100        | 95         | 90         | 85         | 80         |
|  |  |      |   | वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रशंसा की तारीख से निवृत्त तारीख के भीतर (4 महीने) जमा किए गए एटीएन का प्रतिशत | %      | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |  |      |   | सी एवं एजी ) ऑडिट पर एटीएनएस (को समय से जमा करना   | %      | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |  |      |   | पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय में समय पर जमा किए गए एटीआर   | %      | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |  |      |   | 31.03.2010 से पहले संसद में पेश की गई एजी रिपोर्टों के पास पर रिपोर्ट की ऑडिट पर लंबित एटीएन का जल्दी निपटारा                  | %      | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |  |      |   | 31.03.2010 से पहले संसद में पेश की गई एजी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर (ATRs) का जल्दी निपटारा                                     | %      | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |

### अनुभाग 3 : सफलता के संकेतकों के रुझान के मान

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) 2008 में स्थापित किया गया था और अभी भी खाद्य क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे के विकास की प्रक्रिया में है। ऊपर के अनुभाग 2 से, यह देखा जा सकता है कि अधिकांश उद्देश्यों और उनसे संबंधित कार्रवाइयों के लिए नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के विकास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एफएसएसएआई की गतिविधियों के संदर्भ में इस स्तर पर सफलता संकेतकों के लिए रुझान मानों के संकेत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। एफएसएसएआई सर्वेक्षणों, अध्ययनों आदि की एक श्रृंखला के माध्यम से केंद्रीय, राज्य और निचले स्तर पर वर्तमान खाद्य संरक्षा एवं विनियमन के स्तर को चिह्नित करने का प्रस्ताव करता है। यह हमें खाद्य संरक्षा के नियमों के आधार स्तर और प्रत्येक क्षेत्र में अलग लक्ष्य रूपरेखा निर्धारित करने में सक्षम करेगा।

25.06.2010 को सरकार से आरएफडी रूपरेखा के बारे में जानकारी (संचार) प्राप्त की गई थी। आरएफडी दस्तावेज को अंतिम रूप देने का कार्य 11.08.2010 को पूरा किया गया। मार्च 2011 तक पूरा होने की संभावित दर के साथ कार्रवाइयों को अगले साल के लिए अलग-अलग संकेतित किया गया है।

### अनुभाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

- खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन सितंबर 2008 में किया गया था और प्राधिकरण की पहली बैठक दिसंबर, 2008 में आयोजित की गई थी। मई 2009 में 8 वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया। अक्टूबर 2009 में 45 सदस्यों की केंद्रीय सलाहकार समिति स्थापित की गई थी।
- विभिन्न खाद्य संबंधित आदेशों से संबंधित कर्मचारियों को एकीकृत किया गया है और मौजूदा लाइसेंस प्रक्रियाओं को एफएसएसएआई के दायरे में लाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी नए प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है। वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति ने भी कार्य आरंभ कर दिया है।
- व्यापक विचार-विमर्श के बाद पीएफए से एफएसएसए में अवास्थांतरण के लिए नियम और विनियमों को अंतिम रूप दिया गया है और अधिसूचना के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि सितंबर 2010 के बाद से इन्हें राज्यों में आरंभ कर दिया जाएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन की तत्परता और समर्थन के आवश्यक उपायों का जायजा लेने के लिए राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।
- यह देखा जा सकता है कि पहले साल में प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालयों से कर्मियों को एकीकृत करने और प्राधिकरण के विभिन्न अंगों की स्थापना में लगा रहा है। प्राधिकरण के कामकाज के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है और इन्हें सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। वैज्ञानिक प्राधिकरण के कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों की अपेक्षित संख्या को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के साथ ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।



5. वर्तमान में प्राधिकरण, प्राधिकरण और हितधारकों के बाहर की एजेंसियों की एक बड़ी संख्या वैज्ञानिक कौशल का आकलन कर रहा है। प्राधिकरण के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मानकों के निर्धारण आनेवाली मुख्य कठिनाइयों में से एक है खाद्य जनित रोगों, विभिन्न खाद्य पदार्थों में संदूषण के विशिष्ट स्तर, हितधारकों में खाद्य संरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण परिमाणों से संबंधित जानकारी की गंभीर कमी और सर्वेक्षण और अध्ययन, खाद्य संरक्षा के विनियमों के मौजूदा स्तर के प्रभावी अंक का अभाव। खाद्य प्राधिकरण ने प्रोफाइल सर्वेक्षण का एक विस्तृत सेट तैयार करने और खाद्य संरक्षा विनियमों के वर्तमान स्तर और कानूनों के कार्यान्वयन, विभिन्न खाद्य पदार्थों के संदूषण, खाद्य संरक्षण निगरानी और विभिन्न विनियामक उपायों के प्रभाव को चिह्नित करने का प्रस्ताव किया है। अगले कुछ वर्षों में इन आंकड़ों के प्राप्त होने तक, सफलता के मानकों के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्राधिकरण के पहले 2-3 साल विभिन्न खाद्य संरक्षा नियमों को बनाने, वर्तमान मानकों के संशोधन, विभिन्न खाद्य कानूनों की प्रभावशीलता और संदूषणों के मौजूदा स्तर के अध्ययन और सर्वेक्षण की शुरुआत कर अपराध विनियामक उपस्थिति स्थापित करने में व्यतीत हो जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान इनके शुरु होने की उम्मीद जा रही है। खाद्य संरक्षा के विनियमों, खाद्य संदूषण और विनियामक प्रभाव से संबंधित विश्वसनीय और पर्याप्त रूप से गैर-एकीकृत आंकड़ों के प्राप्त होते ही, इन्हें प्राधिकरण के प्रदर्शन प्रबंधन दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

#### पारिभाषिक शब्दावली

**खाद्य संरक्षा योजना** — का आशय पंचायत, तालुका, नगरपालिका या जिला जैसे एक खास इलाके की खाद्य संरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यवाही क्षेत्रों और जिम्मेदारियों को चिह्नित करने के योजना, कार्यक्रम या तरीकों को संदर्भित करता है। खाद्य संरक्षा कार्यक्रम में गांव/शहर, समुदाय, स्थानीय निकायों, पंचायत और अन्य हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद की जाती है।

**खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)** — का आशय खाद्य व्यापार के लिए विनियमन द्वारा निर्दिष्ट अच्छे विनिर्माण आचरण (जीएमपी), स्वच्छता आचरण (जीएचपी), जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु तथा इस तरह के अन्य तरीकों को अपनाने से है। किया जा सकता है। एफएसएसएआई एक संदर्भ खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा जो सुरक्षा के स्तर को निर्धारित कर सकती है और ऐसे दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है और जिसका उसी समय मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह के मानक खाद्य व्यापार संचालकों को व्यापक रूप से उपलब्ध होना चाहिए जो अपने पास के संसाधनों के साथ उन्हें अपना सकते हैं और धीरे-धीरे सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वयं अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा और विस्तृत निरीक्षण के लिए की आवश्यकता कम कर देता है।

**भारत-एचएसीसीपी — जोखिम विश्लेषण और जटिल नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी)** — कोडेक्स एचएसीसीपी दिशानिर्देशों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पहली प्रकाशित खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली थी। हालांकि, कोई घरेलू एचएसीसीपी मानक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। एफएसएसएआई ने अपना नि

एफएसएसएआई — भारत-एचएसीसीपी मानक विकसित करने का प्रस्ताव किया है, जो घरेलू बाजार में खानपान का काम करने वाली इकाइयों और इस मानक के खिलाफ एक स्वैच्छिक एचएसीसीपी प्रमाणीकरण प्रणाली को पेश किया जा सकता है। खाद्य व्यवसायों द्वारा सुरक्षा नियमों के अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

**कार्यात्मक खाद्य पदार्थ** — वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें किसी संशोधित खाद्य या उपादान सहित ऐसे संभावित स्वस्थ उत्पाद होते हैं जो परंपरागत पोषक तत्वों के परे एक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। एफएसएसएआई कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए विकासशील नियमों पर काम कर रहा है। वर्तमान में कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए कोई नियम नहीं है।

**खाद्य योज्य** — का आशय किसी भी ऐसे पदार्थ से है जिसका खाद्य के एक विशिष्ट उपादान के रूप में इस्तेमाल किया गया हो और जिसे निर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन आदि एक तकनीकी उद्देश्य के लिए जानबूझकर खाद्य में मिलाया गया हो। एफएसएसएआई खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कोडेक्स मानकों और सबसे अच्छे अभ्यास के साथ सामंजस्य लाने के लिए खाद्य योज्यों के मौजूदा मानकों की समीक्षा करेगा।

**जीएम खाद्य पदार्थों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण** — खाद्य प्राधिकरण को एफएसएस अधिनियम के अनुसार आनुवंशिक रूप से संशोधित सभी खाद्य पदार्थों को विनियमित करना होता है। जीएम खाद्य पदार्थों के लिए अंतिम विनियामक रूपरेखा तैयार होने तक यह एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर है, एफएसएसएआई ने प्रासंगिक अनुभागों को सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर जीएम खाद्य पदार्थों का सुरक्षा मूल्यांकन आरंभ करने के लिए क्षमता निर्मित करने का प्रस्ताव किया है।

**ट्रांस फैटी एसिड** — ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) प्राथमिक रूप से आंशिक हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान वनस्पति के साथ जुड़े हैं जो भारतीय आहार के एक महत्वपूर्ण घटक को प्रभावित करता है। मधुमेह और हृदय रोग (CVDs) के साथ ट्रांस फैटी एसिडों का संबंध अच्छी तरह ज्ञात है। इनसे जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए, एफएसएसएआई ने ट्रांस फैटी एसिड के लिए नियामक मानक आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

**उत्कृष्टता के केंद्र** — उत्कृष्टता केंद्र एक मौजूदा संस्थान है जहां मापने योग्य वैज्ञानिक उत्पादन (प्रशिक्षण सहित) तथा/अथवा तकनीकी नवाचार के मामले में एक उच्च स्तर के अनुसंधान और तकनीकी विकास का निष्पादन किया जाता है। एफएसएसएआई ने खाद्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफएसएसएआई की सहायता करने, अनुसंधान एवं विकास करने और विज्ञान आधारित मानकों के विकास में तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए देश में स्थित उत्कृष्टता के केंद्रों के साथ एक संरचनात्मक करार करने का प्रस्ताव किया है।

**निगरानी के लिए संस्थानों का नेटवर्क** — एफएसएसएआई ने आरंभ में मौजूदा डेटाबेस पर कब्जा कर, इस कार्य में शामिल विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और नेटवर्किंग द्वारा खाद्य संरक्षा निगरानी के लिए एक ढांचा बनाने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा खाद्य विज्ञान कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान इसमें शामिल हो





सकते हैं। एफएसएसआई खाद्य संरक्षा निगरानी के लिए एक उपयुक्त संरचना विकसित कर रहा है ताकि सरकार को आवश्यक उपयुक्त प्रतिक्रियाओं पर सलाह दे सके और बाजार की स्थितियों और सुरक्षा स्तर पर जानकारी प्रदान कर सके।

**आयात के लिए खाद्य संरक्षा समूह** — एफएसएसआई भारत में आने वाले आयातित खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर अधिकृत अधिकारियों को नियुक्ति कर रहा है और खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया के जोखिम विश्लेषण के एक ढांचे को विकसित कर रहा है।

**कोडेक्स पौष्टिकता आयोग** — उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और व्यवहार के सिद्धांतों जैसे संबंधित विषयों को विकसित करने के लिए एफएओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा 1963 में कोडेक्स पौष्टिकता आयोग बनाया गया था और अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा सभी खाद्य मानकों के समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य आरंभ किया गया। राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) अब एफएसएसआई में है। एफएसएसआई कोडेक्स के मुद्दों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, जनशक्ति पर्याप्त बजटीय प्रावधान के मामले में कोडेक्स सेल को मजबूत कर रहा है।

**इग्नू** — इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) एक शीर्ष निकाय है जो देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का समन्वय करता है और उस पर नज़र रखता है। यह मुक्त शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा तरीके के माध्यम से वितरण के लिए पाठ्यक्रमों का विकास और उत्पादन करता है और अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारित शिक्षा गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। एफएसएसआई ने खाद्य संरक्षा की अवधारणा को जमीनी स्तर तक प्रसारित करने के लिए दूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इग्नू की विशेषज्ञता की मदद लेने का प्रस्ताव किया है।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य का भारतीय संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ) आईआईपीएच** — हैदराबाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के अत्यधिक योग्य और विविध संकाय के पूल का उपयोग कर सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्षमता निर्माण में शामिल प्रमुख संस्थान है। एफएसएसआई खाद्य संरक्षा नियामकों और खाद्य प्रबंधकर्ताओं के क्षमता निर्माण के अपने कार्यक्रम में आईआईपीएच के साथ काम करने का प्रस्ताव किया है।

**मान्यता** — एक अनुरूपता मूल्यांकन निकाय से संबंधित तीसरे पक्ष द्वारा किया जाने वाला सत्यापन है जो इसके विशिष्ट अनुरूप मूल्यांकन कार्य को करने की योग्यता के संदेश का औपचारिक प्रदर्शन है। भारत में, भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) खाद्य संरक्षा के लिए प्रमाणीकरण योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों और खाद्य प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के लिए मुख्य प्रत्यायन निकाय है।

**संचार अभियान**— खाद्य संरक्षा के संदेश को पंचायतों, स्कूली बच्चों, परिवारों और उद्योग जैसे विभिन्न



हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाना चाहिए। सुरक्षित भोजन के लिए मांग के निर्माण और सभी संबंधित लोगों को आवश्यक कदम उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है। खाद्य संरक्षा एक बहु-हितधारक गतिविधि है जिसके लिए प्रभावी और ध्यान केंद्रित संचार की आवश्यकता होती है।

**गैर-सरकारी संगठन**— उपभोक्ता खाद्य संरक्षा में मुख्य हितधारक है और एफएसएसआई की गतिविधियों का उपभोक्ता को उपलब्ध भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मानक विकास में उपभोक्ताओं के प्रभावी सहयोग, क्षमता निर्माण, निगरानी, और सूचित पसंद में प्रभावशीलता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है।

**उद्योग अंतराफलक (इंटरफेस)**— एफएसएस अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी खाद्य व्यापार संचालकों पर है। इसको ध्यान में रखते हुए एफएसएसआई ने खाद्य संरक्षा और खाद्य संरक्षा हासिल करने के लिए क्षमता निर्माण की अवधारणा के प्रसार के लिए उद्योग अंतराफलक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव किया है।

**आर एवं डी — अनुसंधान और विकास:** भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानकों को स्थापित करने के जनादेश के साथ, एफएसएसआई विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार द्वारा खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित नवीन अनुसंधान और विकास प्रस्तावों की अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देने का प्रस्ताव करता है।

**मानकों के संशोधन की प्रक्रिया:** कानून के तहत एफएसएसआई द्वारा अपनी सिफारिश को आगे सरकार के पास भेजने से पहले जोखिम मूल्यांकन और सार्वजनिक परामर्श करना अपेक्षित है। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले मसौदा प्रस्तावों और जोखिम आकलन रिपोर्टों का संबंधित वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। चूंकि ज्यादातर मामलों में व्यापार शामिल है, सार्वजनिक परामर्श की एक अवधि के साथ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत अधिसूचना अनिवार्य है। एक बार को अंतिम रूप दे दिए जाने पर मसौदे को, अधिसूचना के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय सार्वजनिक टिप्पणी के लिए मसौदे को फिर से सूचित करता है और उसके बाद, अधिसूचना के लिए इसे राजपत्र में भेजता है।

**अन्य विभागों और मंत्रालयों से विशिष्ट आवश्यकताएं**

**अधिनियम के शेष लेखों की अधिसूचना**

1. उचित नियमों और विनियमों को तैयार करने से पहले खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न वर्गों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। पीएफए और खाद्य संबंधित अन्य आदेशों से एफएसएसए में अवस्थांतरण (संक्रमण) के संबंध में नियमों और विनियमों को मई 2010 में मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें लाइसेंस देने से संबंधित नियम शामिल हैं जो विभिन्न आदेशों के तहत मौजूदा लाइसेंस के प्रावधानों को एक ही प्रारूप में एकीकृत करता है। इन नियमों और विनियमों का मसौदा हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद मसौदा तैयार किया गया है और मसौदे को पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। प्रासंगिक नियमों और विनियमों को स्वीकार करने से पहले सूचनाओं को सक्षम करना आवश्यक है।



## पदों की मंजूरी

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पशुपालन विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के विभिन्न खाद्य संबंधित आदेशों के प्रशासन कर्मचारियों से कुल 250 पदों के खाद्य प्राधिकरण के दायरे से भीतर लाया गया है। ये वे कर्मचारी हैं जो विभिन्न आदेशों का प्रबंध करते हैं और विभिन्न विषयों की तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हैं। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत, खाद्य प्राधिकरण को खाद्य संरक्षा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के नियमन, खाद्य संरक्षा योजना की तैयारी, प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण, भोजन के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना आदि जैसे अनेक नए कार्यों को करना आवश्यक है। इन अतिरिक्त कार्यों के लिए विषयों की एक श्रृंखला में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो प्राधिकरण के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अन्य खाद्य प्राधिकरण के अनुभव और आवश्यक वैज्ञानिक कौशल की एक समीक्षा के आधार पर, खाद्य प्राधिकरण के पदों की एक न्यूनतम आवश्यकता तैयार की है और उसे मंत्रालय को सौंप दिया है। इस समय ये वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं। प्राधिकरण को अधिनियम द्वारा अपेक्षित अपने कार्यों की पूरी श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम करने के लिए 150 पदों की आवश्यक संख्या के लिए स्वीकृति मिलनी आवश्यक है।

## पर्याप्त बजट आवंटन

3. वर्ष 2009-10 के लिए बजट आवंटन 10 करोड़ रुपये की सीमा में था। वर्ष 2010-11 के लिए प्राधिकरण ने 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। आने वाले वर्षों में इसके काफी आगे जाने की संभावना है। प्राधिकरण द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान आवश्यक होगा।

## खाद्य संरक्षा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करना

4. खाद्य संबंधित कानूनों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के द्वारा लागू किया जाता है। हालांकि, मानकों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों पर टिका हुआ है। लाइसेंस के नए प्रावधानों के तहत, उच्च जोखिम की संभावना वाले उप क्षेत्रों या अंतरराष्ट्रीय असर वालों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जाना और विनियमित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, खाद्य विनियमन का प्रमुख हिस्सा नगर पालिकाओं, पंचायतों और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर होगा। राज्य सरकारों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के बारे में सूचित करना आवश्यक है। उन्हें मौजूदा रिक्तियों को भरना होगा और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी और अधिक विश्वसनीयता से भोजन का परीक्षण करने में सक्षम होने के लिए स्वयं को उन्नत करना होगा। भोजन निगरानी, नमूने, अभियोजन मामले आदि जैसे कार्यों का भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। अलग-अलग राज्यों में खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन के मौजूदा स्तर में भिन्नता है, उन से जुड़ी प्राथमिकताओं के आधार पर, संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे और नेतृत्व भी प्रदान किया जाएगा। देश में खाद्य कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

## 11. चेतावनी जारी

### चेतावनी जारी (पीएफए नियम के तहत राज्यों को जारी सहित)

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा खाद्य और अधिनियम केंद्रीय आदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान उन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने भी खाद्य कानून के समग्र प्रबंधन में एफएसएसआई की मदद की, जिनके पास वैज्ञानिक अनुसंधान पर आंकड़े (डेटा) हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की पीएफए शाखा ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्य से संबंधित मिलावट, संदूषित पदार्थ आदि के बारे में परामर्श जारी किए और समय-समय पर उनकी भी समीक्षा की गई।

वर्ष के दौरान एफएसएसआई द्वारा विशेष प्रयास के रूप में सुनामी और जापान में विकिरण रिसाव के बाद खाद्य में विकिरण सहित विभिन्न जारी मुद्दों के साथ-साथ चीन से आयातित दूध और दूध उत्पादों के संदूषित पदार्थों पर चेतावनी भी जारी की गई थी।

पैनल से प्राप्त जानकारी के साथ ही इस विषय पर अनुसंधान के आदानों के आधार पर परामर्श दिए गए।

- (i) शहद में प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स)
- (ii) खाद्य को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के उपयोग के निषेध।
- (iii) पीएफए नियम के तहत बोतलबंद (पैकड) पीने के पानी की गुणवत्ता का नियंत्रण।
- (iv) टीवी और अन्य मीडिया पर भोजन और पेय के बारे में गुमराह करने वाले दावे।
- (v) खतरनाक रसायन भरी गई (इंजेक्शन दी गई) सब्जी और रंगी हुई सब्जियों की बिक्री।
- (vi) स्टेरॉयड युक्त उत्पाद/जैसे पदार्थों का आहार अनुपूरक के रूप में विपणन।
- (vii) बंदरगाहों पर आयातित खाद्य तेल की मिलावट।
- (viii) खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेष पर निगरानी
- (ix) दालचीनी और कैसिया के नमूनों का विश्लेषण।



## लेखा

### भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र

|  | अनुसूची | 2010-11            | 2009-10            |
|--|---------|--------------------|--------------------|
|  |         | रु.                | रु.                |
| <b>कोष / पूंजी निधि एवं देनदारियां</b> |         |                    |                    |
| कोष / पूंजी निधि                       | 1       | 5,93,02,240        | 7,71,70,934        |
| आरक्षित एवं अधिशेष                     | 2       | -                  | -                  |
| ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि                | 3       | -                  | -                  |
| सुरक्षित ऋण एवं उधार                   | 4       | -                  | -                  |
| असुरक्षित ऋण एवं उधार                  | 5       | -                  | -                  |
| आस्थगित क्रेडिट देयताएं                | 6       | -                  | -                  |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान              | 7       | 1,10,46,809        | 1,52,56,504        |
| <b>कुल</b>                             |         | <b>7,03,49,049</b> | <b>9,24,27,438</b> |
| <b>संपत्ति</b>                         |         |                    |                    |
| अचल संपत्ति                            | 8       | 1,45,20,205        | 1,11,47,456        |
| निवेश - ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि से     | 9       | -                  | -                  |
| निवेश - अन्य                           | 10      | -                  | -                  |
| वर्तमान संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि  | 11      | 5,58,28,844        | 8,12,79,982        |
| विविध खर्च                             |         | -                  | -                  |
| (आय पर अतिरिक्त व्यय)                  |         |                    |                    |
| <b>कुल</b>                             |         | <b>7,03,49,049</b> | <b>9,24,27,438</b> |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 24

आकस्मिक देयताएं और खाता टिप्पणियां 25

### भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

| आय  | अनुसूची | 2010-11              | 2009-10             |
|---|---------|----------------------|---------------------|
|   |         | रु.                  | रु.                 |
| बिक्री और सेवा से आय                      | 12      | -                    | -                   |
| अनुदान/सब्सिडी                            | 13      | 32,37,00,000         | 21,00,00,000        |
| शुल्क/सदस्यता                             | 14      | -                    | -                   |
| निवेश से आय                               | 15      | -                    | -                   |
| रॉयल्टी, प्रकाशन से आय                    | 16      | -                    | -                   |
| अर्जित ब्याज                              | 17      | 9,90,147             | 9,00,022            |
| अन्य आय                                   | 18      | 55,11,901            | 40,57,497           |
| स्टॉक में वृद्धि/घाटा                     | 19      | -                    | -                   |
| पूर्व अवधि आय से पहले कुल आय              |         | 33,02,02,048         | 21,49,57,519        |
| पूर्व अवधि आय                             |         | 6,94,201             | 26,070              |
| <b>पूर्व अवधि आय के बाद कुल आय</b>        |         | <b>33,08,96,249</b>  | <b>21,49,83,589</b> |
| <b>व्यय</b>                               |         |                      |                     |
| स्थापना व्यय                              | 20      | 8,36,77,855          | 6,21,80,898         |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                       | 21      | 25,21,81,242         | 10,39,82,613        |
| अनुदान, सब्सक्रिप्शन आदि पर व्यय          | 22      | 90,00,000            | 1,15,00,000         |
| ब्याज                                     | 23      | 15,633               | 10,262              |
| मूल्यहास                                  |         | 35,90,998            | 35,74,366           |
| पूर्व अवधि व्यय से पहले कुल खर्च          |         | 34,84,65,728         | 18,12,48,139        |
| पूर्व अवधि व्यय                           |         | 2,99,215             | 45,88,465           |
| पूर्व अवधि व्यय के बाद कुल खर्च           |         | 34,87,64,943         | 18,58,36,604        |
| <b>व्यय पर आय/(आय पर व्यय)</b>            |         | <b>(1,78,68,694)</b> | <b>3,37,09,380</b>  |
| <b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां</b>         | 24      |                      |                     |
| <b>आकस्मिक देयताएं और खाता टिप्पणियां</b> | 25      |                      |                     |



**भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण**  
**31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग**

|   | 2010-11            | 2009-10            |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>अनुसूची 1:- कोष / पूंजी निधि</b>         | रु.                | रु.                |
| वर्ष के आरंभ में शेष                        | 7,71,70,934        | 4,80,23,949        |
| जोड़ें: कोष / पूंजी निधि की दिशा में योगदान | 0                  | -                  |
| जोड़ें (घटाएं): शुद्ध/आय (व्यय) से शेष      | (1,78,68,694.04)   | 2,91,46,985        |
| आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित शेष         |                    |                    |
| <b>वर्ष की समाप्ति पर शेष:-</b>             | <b>5,93,02,240</b> | <b>7,71,70,934</b> |
| <b>अनुसूची 2:- आरक्षित एवं अधिशेष</b>       | <b>चालू वर्ष</b>   | <b>पिछला वर्ष</b>  |
| <b>1. पूंजी आरक्षित</b>                     |                    |                    |
| अंतिम खाते के अनुसार                        | 0                  |                    |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना                | 0                  |                    |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना                  | 0                  | -                  |
| <b>2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित</b>            |                    |                    |
| अंतिम खाते के अनुसार                        | 0                  |                    |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना                | 0                  |                    |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना                  | 0                  | -                  |
| <b>3. विशेष आरक्षित</b>                     |                    |                    |
| अंतिम खाते के अनुसार                        | 0                  |                    |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना                | 0                  |                    |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना                  | 0                  | -                  |
| <b>4. सामान्य आरक्षित*</b>                  |                    |                    |
| अंतिम खाते के अनुसार                        |                    |                    |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना                |                    |                    |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना                  |                    |                    |
| <b>वर्ष के अंत में शेष:</b>                 |                    |                    |
| <b>अनुसूची 3:- ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि</b>  | <b>चालू वर्ष</b>   | <b>पिछला वर्ष</b>  |
| क) निधियों का आरंभिक शेष                    | 0                  | -                  |
| ख) निधियों में जोड़ना:                      | 0                  | -                  |
| 1. चंदा/अनुदान                              | 0                  | -                  |
| 2. निधियों के खाते से हुए निवेश पर आय       | 0                  | -                  |
| 3. अन्य जोड़                                | 0                  | -                  |
| <b>कुल (क+ख)</b>                            |                    |                    |
| ग) निधियों के उद्देश्य की ओर उपयोग/व्यय     |                    |                    |
| 1. पूंजी व्यय                               | 0                  | -                  |
| - अचल संपत्ति                               | 0                  | -                  |
| - अन्य                                      | 0                  | -                  |

**भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण**  
**31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग**

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| कुल  | 0                | -                 |
| <b>2. राजस्व व्यय</b>                        |                  |                   |
| - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि                 | 0                | -                 |
| - किराया                                     | 0                | -                 |
| - अन्य प्रशासनिक व्यय                        | 0                | -                 |
| <b>कुल</b>                                   | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>कुल (ग)</b>                               | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>अनुसूची 4:- सुरक्षित ऋण एवं उधार:</b>     | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| 1. केंद्रीय सरकार                            | 0                | -                 |
| 2. राज्य सरकार                               | 0                | -                 |
| 3. वित्तीय संस्थान:                          |                  |                   |
| क) अवधि ऋण                                   | 0                | -                 |
| ख) उस पर अर्जित ब्याज                        | 0                | -                 |
| 4. बैंक:                                     |                  |                   |
| क) अवधि ऋण                                   | 0                | -                 |
| ख) उस पर अर्जित ब्याज एवं देय                | 0                | -                 |
| 5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां                | 0                | -                 |
| 6. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र                       | 0                | -                 |
| 7. अन्य                                      | 0                | -                 |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष</b>              | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>अनुसूची 5:- असुरक्षित ऋण एवं उधार:</b>    | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| 1. केंद्रीय सरकार                            | 0                | -                 |
| 2. राज्य सरकार                               | 0                | -                 |
| 3. वित्तीय संस्थान:                          | 0                | -                 |
| 4. बैंक:                                     |                  |                   |
| क) अवधि ऋण                                   | 0                | -                 |
| ख) अन्य                                      |                  | -                 |
| 5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां                | 0                | -                 |
| 6. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र                       | 0                | -                 |
| 7. सावधि जमा                                 | 0                | -                 |
| 8. अन्य                                      | 0                | -                 |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष</b>              | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>अनुसूची 6:- आस्थगित क्रेडिट देयताएं</b>   | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| क) पूंजी दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति | 0                | -                 |
| उपकरण और अन्य संपत्ति                        | 0                | -                 |
| ख) अन्य                                      | 0                | -                 |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष</b>              | <b>0</b>         | <b>-</b>          |



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

| अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान | चालू वर्ष          | पिछला वर्ष         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| क) चालू देयताएं                       |                    |                    |
| 1. स्वीकृत बिल                        | 0                  | -                  |
| 2. विविध लेनदार                       |                    |                    |
| - वस्तु/सेवाओं के लिए                 | 60,73,150          | 32,92,206          |
| - देय व्यय                            | 15,55,235          | 95,93,700          |
| 3. प्राप्त अग्रिम                     | 5,90,000           | 35,000             |
| 4. ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं:       |                    |                    |
| - सुरक्षित ऋण/उधार                    | 0                  | -                  |
| - असुरक्षित ऋण/उधार                   | 0                  | -                  |
| 5. वैधानिक देयता                      |                    |                    |
| क) अतिदेय                             | 0                  | -                  |
| ख) टीडीएस देय                         | 13,61,770          | 20,76,235          |
| ग) सीपीएफ देय                         | 5,25,703           | 2,58,183           |
| घ) पेशेवर कर                          | 0                  | 1,150              |
| ड.) पुराने चेक                        | 9,40,951           | -                  |
| <b>कुल (क)</b>                        | <b>1,10,46,809</b> | <b>1,52,56,504</b> |
| ख. प्रावधान                           |                    |                    |
| 1. कराधान के लिए                      | 0                  | -                  |
| 2. उपदान                              | 0                  | -                  |
| 3. सेवानिवृत्ति/पेंशन                 | 0                  | -                  |
| 4. संचित छुट्टी नकदीकरण               | 0                  | -                  |
| 5. व्यापार वारंटियां/दावा             | 0                  | -                  |
| 6. अन्य                               | 0                  | -                  |
| <b>कुल (ख)</b>                        | <b>0</b>           | <b>-</b>           |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख)</b> | <b>1,10,46,809</b> | <b>1,52,56,504</b> |

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग  
अनुसूची 8:- अचल संपत्ति

| विवरण                             | 01-04-2010 को शेष | 30-09-2010 तक जोड़ | 30-09-2010 के बाद जोड़ | विशेष     | कुल | आरंभिक शेष पर | 30-09-2010 से पहले जोड़ | 30-09-2010 के बाद जोड़ | 01-04-2010 को | वर्ष के दौरान | 31-03-2011 को कुल | निवल ब्लॉक 31-03-2011 को | 31-03-2010 को |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| भूमि:                             |                   |                    |                        |           |     |               |                         |                        |               |               |                   |                          |               |
| क) तालुका                         | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| ख) पट्टे पर                       | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| ग) तालुका भूमि पर                 | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| घ) स्वामित्व                      | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| प्लेट/परिसर                       | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| च) भूमि पर अविरचना                | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| संस्था से संबंधित नहीं हैं        | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण         | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| प्रयोगशाला उपकरण                  | 15%               | -                  | 79,054                 | 4,14,115  | -   | 4,93,169      | -                       | 11,858                 | 31,059        | -             | 42,917            | 42,917                   | 4,50,251      |
| पानी की पाइपलाइन                  | 15%               | -                  | -                      | 12,35,000 | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | 92,625            | 92,625                   | 11,42,375     |
| वाहन - एम्बेस्डर कार              | 15.00%            | 5,63,772           | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर              | 10.00%            | 10,16,513          | 5,04,086               | 6,14,352  | -   | 5,63,772      | 53,271                  | -                      | 2,08,633      | 53,271        | 2,61,904          | 3,01,868                 | 3,55,139      |
| कार्यालय उपकरण                    | -                 | -                  | -                      | -         | -   | -             | -                       | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| 1) इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी मशीन       | 15.00%            | 56,019             | 24,589                 | -         | -   | 80,608        | 7,773                   | 3,688                  | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| 2) फोटोकॉपी मशीन                  | 15.00%            | 12,09,934          | 3,26,858               | 3,23,318  | -   | 18,60,110     | 1,65,450                | 49,029                 | 24,249        | 1,06,937      | 2,38,727          | 3,45,664                 | 15,14,446     |
| 3) फ्रिज                          | 15.00%            | 34,320             | -                      | 81,775    | -   | 1,16,095      | 4,376                   | -                      | 6,133         | 10,509        | 15,657            | 1,00,438                 | 29,172        |
| 4) स्कैनिंग मशीन                  | 15.00%            | 1,56,750           | -                      | -         | -   | 1,56,750      | 21,749                  | -                      | 11,756        | 21,749        | 33,505            | 1,23,245                 | 1,44,994      |
| 5) वेक्यूम क्लीनर                 | 15.00%            | 7,790              | -                      | -         | -   | 7,790         | 993                     | -                      | 1,169         | 993           | 2,162             | 5,628                    | 6,622         |
| 6) योजीए सिंचर                    | 15.00%            | 19,800             | 19,800                 | -         | -   | 39,600        | 2,747                   | 2,970                  | 1,485         | 5,717         | 7,202             | 32,398                   | 18,315        |
| 7) बीटल टिवन फोन                  | 15.00%            | 7,228              | -                      | -         | -   | 7,228         | 814                     | -                      | 1,804         | 814           | 2,618             | 4,610                    | 5,424         |
| 8) मोबाइल फोन                     | 15.00%            | 83,799             | 12,900                 | -         | -   | 96,699        | 10,034                  | 1,935                  | 16,908        | 11,969        | 28,876            | 67,822                   | 66,891        |
| 9) कोर्डलेस फोन                   | 15.00%            | 8,476              | -                      | -         | -   | 8,476         | 915                     | -                      | 2,376         | 915           | 3,291             | 5,185                    | 6,100         |
| 10) फेक्स मशीन                    | 15.00%            | 1,68,196           | -                      | 46,614    | -   | 2,14,810      | 21,652                  | -                      | 23,852        | 25,148        | 49,000            | 1,65,810                 | 1,44,344      |
| 11) माइक्रो वेब                   | 15.00%            | 16,042             | -                      | -         | -   | 16,042        | 1,732                   | -                      | 4,496         | 1,732         | 6,228             | 9,814                    | 11,546        |
| 12) ऑयल फ्रील्ड रेडिएटर           | 15.00%            | 13,350             | -                      | -         | -   | 13,350        | 1,528                   | -                      | 3,162         | 1,528         | 4,690             | 8,660                    | 10,188        |
| 13) वाल्टेज स्टेपलाइजर            | 15.00%            | 25,365             | -                      | -         | -   | 25,365        | 2,986                   | -                      | 5,457         | 2,986         | 8,443             | 16,922                   | 19,908        |
| 14) वाटर डिस्टेंसर                | 15.00%            | 25,950             | -                      | -         | -   | 25,950        | 3,121                   | -                      | 5,144         | 3,121         | 8,265             | 17,685                   | 20,806        |
| 15) ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम       | 15.00%            | 6,500              | 7,000                  | 7,000     | -   | 20,500        | 702                     | 1,050                  | 1,822         | 2,277         | 4,098             | 16,401                   | 4,678         |
| 16) एलसीडी टीवी                   | 15.00%            | 10,51,812          | -                      | -         | -   | 10,51,812     | 1,23,827                | -                      | 2,26,300      | 1,23,827      | 3,50,127          | 7,01,688                 | 8,25,512      |
| 17) लाजमा टीवी                    | 15.00%            | 13,69,209          | 2,58,900               | 58,000    | -   | 16,86,109     | 1,70,653                | 38,835                 | 4,350         | 2,31,520      | 2,13,838          | 4,45,358                 | 12,40,751     |
| 18) डाटा स्काई एवं ईपीआरएस सिस्टम | 15.00%            | 25,68,875          | -                      | -         | -   | 25,68,875     | 2,97,198                | -                      | 5,87,555      | 2,97,198      | 8,84,753          | 16,84,122                | 19,81,320     |
| 19) सीमन हाई पाथ 1150 डिजीटल      | 15.00%            | 29,495             | -                      | -         | -   | 29,495        | 3,732                   | -                      | 4,613         | 3,732         | 8,345             | 21,150                   | 24,882        |
| 20) स्पीकर                        | 15.00%            | 3,01,573           | -                      | -         | -   | 3,01,573      | 33,976                  | -                      | 75,065        | 33,976        | 1,09,041          | 1,92,532                 | 2,26,508      |
| 21) डिजीटल कैमरा                  | 15.00%            | 14,350             | -                      | -         | -   | 14,350        | 1,830                   | -                      | 2,153         | 1,830         | 3,982             | 10,367                   | 12,198        |
| 22) कार्यालय यंत्र                | 15.00%            | 33,800             | -                      | 49,250    | -   | 83,050        | 3,979                   | -                      | 7,272         | 3,979         | 14,945            | 68,105                   | 26,528        |
| 23) ब्लू रे डिस्क प्लेयर          | 15.00%            | 25,363             | -                      | -         | -   | 25,363        | 3,519                   | -                      | 3,694         | 3,519         | 5,421             | 19,942                   | 23,461        |
| 24) एलसीडी प्रोजेक्टर             | 15.00%            | -                  | 99,000                 | -         | -   | 99,000        | -                       | 14,850                 | 1,902         | 3,519         | 5,421             | 19,942                   | 23,461        |
| 25) कुलर                          | 15.00%            | -                  | 1,62,000               | -         | -   | 1,62,000      | -                       | 24,300                 | -             | 14,850        | 14,850            | 84,150                   | -             |
| 26) शेडरस                         | 15.00%            | -                  | -                      | 72,000    | -   | 72,000        | -                       | -                      | -             | 24,300        | 24,300            | 1,37,700                 | -             |
| 27) विजोक्लर एवं डीप फ्रीजर       | 15.00%            | -                  | -                      | 3,44,940  | -   | 3,44,940      | -                       | -                      | 5,400         | 5,400         | 24,300            | 66,600                   | -             |
| 28) फोन                           | 15.00%            | -                  | -                      | 8,677     | -   | 8,677         | -                       | -                      | 25,871        | 25,871        | 25,871            | 3,19,069                 | -             |
| 29) डीवीडी राइटर                  | 15.00%            | -                  | -                      | 68,000    | -   | 68,000        | -                       | -                      | 651           | 651           | 8,026             | -                        | -             |
| 30) डाटा स्काई                    | 15.00%            | -                  | -                      | 3,600     | -   | 3,600         | -                       | -                      | 5,100         | 5,100         | 62,900            | -                        | -             |
| 40) डाटा वॉकी वायरलेस फोन         | 15.00%            | -                  | 3,099                  | 4,239     | -   | 4,239         | -                       | -                      | 3,600         | 3,600         | -                 | -                        | -             |
| 41) वॉल ब्लॉक                     | 15.00%            | -                  | 1,500                  | -         | -   | 1,500         | -                       | -                      | 4,239         | 4,239         | -                 | -                        | -             |
| 42) कंप्यूटर सहायक सामग्री        | 15.00%            | -                  | -                      | 1,181     | -   | 1,181         | -                       | -                      | 3,099         | 3,099         | -                 | -                        | -             |
| 1) कंप्यूटर                       | 60%               | 34,87,232          | 9,33,050               | 13,46,610 | -   | 57,66,892     | 3,84,502                | 5,59,830               | 4,03,983      | 23,86,166     | 13,48,315         | 37,34,481                | 15,72,181     |
| 2) यूपीएस                         | 15%               | 3,75,604           | 62,889                 | 88,998    | -   | 5,27,491      | 35,517                  | 9,433                  | 6,675         | 1,38,821      | 51,626            | 1,90,447                 | 3,37,044      |
| 3) प्रिंटर एवं स्कैनर             | 15%               | 17,00,957          | 1,02,096               | 46,303    | -   | 18,49,356     | 1,40,314                | 15,314                 | 3,473         | 7,65,531      | 1,59,101          | 9,24,632                 | 9,24,724      |
| 4) सिसको 2821 सिक्वैरिटी बंडल     | 15%               | 1,71,306           | -                      | -         | -   | 1,71,306      | 23,769                  | -                      | -             | -             | -                 | -                        | -             |
| 5) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर             | 60%               | 91,050             | 5,48,564               | 3,33,385  | -   | 9,72,999      | 33,309                  | 3,29,138               | 35,535        | 4,62,463      | 4,97,998          | 4,75,001                 | 55,515        |
| 6) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर सिस्टम     | 60%               | 2,28,800           | -                      | -         | -   | 2,28,800      | 96,096                  | -                      | 68,640        | 96,096        | 1,64,736          | 64,064                   | 1,60,160      |
| 7) नेटवर्किंग उपकरण               | 15%               | 1,44,321           | -                      | 2,08,249  | -   | 3,52,570      | 19,292                  | -                      | 15,619        | 15,704        | 34,911            | 50,616                   | 3,01,955      |
| 8) वेब कैम                        | 15%               | 18,900             | -                      | -         | -   | 18,900        | 2,481                   | -                      | 2,363         | 2,481         | 4,843             | 14,057                   | 16,538        |
| पुस्तकालय पुस्तकें                | 100%              | 2,68,775           | 1,11,383               | 5,07,703  | -   | 8,87,861      | 40,071                  | 1,11,383               | 2,53,852      | 2,28,705      | 4,05,305          | 6,34,010                 | 2,53,851      |
| चालू वर्ष का कुल                  | -                 | 1,47,37,454        | 32,56,768              | 58,63,309 | -   | 2,44,21,303   | 17,96,098               | 12,28,622              | 10,26,506     | 53,89,639     | 40,81,228         | 94,40,864                | 1,45,26,205   |
| पिछला वर्ष                        | -                 | 1,16,60,930        | 10,05,488              | 43,30,907 | -   | 1,69,97,325   | 23,74,562               | 4,02,781               | 7,97,023      | 22,75,503     | 35,74,366         | 58,49,869                | 1,11,47,456   |





## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

| अनुसूची 9:- ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि से निवेश    | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
|---|-------------|-------------|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में                      | 0           | -           |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां                    | 0           | -           |
| 3. शेयर   | 0           | -           |
| 4. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र                          | 0           | -           |
| 5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम            | 0           | -           |
| 6. अन्य   | 0           | -           |
| वर्ष के अंत में निवल शेष                        | 0           | -           |
| अनुसूची 10:- निवेश (अन्य)                       | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में                      | 0           | -           |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां                    | 0           | -           |
| 3. शेयर   | 0           | -           |
| 4. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र                          | 0           | -           |
| 5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम            | 0           | -           |
| 6. अन्य   | 0           | -           |
| वर्ष के अंत में निवल शेष                        | 0           | -           |
| अनुसूची 11:- चालू संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
| क) चालू संपत्तियां                              |             |             |
| 1. माल सूची                                     |             |             |
| क) स्टोर एवं पुर्जे                             | 0           | -           |
| ख) खुले औजार                                    | 0           | -           |
| ग) विक्रेय स्टाक                                |             |             |
| निर्मित माल                                     | 0           | -           |
| अर्धनिर्मित उत्पादन                             | 0           | -           |
| कच्चा माल                                       | 0           | -           |
| 2. विविध देनदार                                 |             |             |
| क) 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया            | 0           | -           |
| ख) अन्य   | 0           | -           |
| 3. हाथ में नकदी शेष                             | 10,000      | -           |
| 4. बैंक शेष:                                    |             |             |
| क) अनुसूचित बैंक के साथ                         |             |             |
| - चालू खाते में                                 | 0           | -           |
| - जमा खाते में                                  | 0           | -           |
| - बचत खाते में                                  | 2,55,99,749 | 6,28,91,646 |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ                   |             |             |
| - चालू खाते में                                 | 0           | -           |

## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| - जमा खाते में                                     | 0                  | -                  |
| - बचत खाते में                                     | 0                  | -                  |
| 5. डाक घर - बचत खाता                               |                    | -                  |
| <b>कुल (क)</b>                                     | <b>2,56,09,749</b> | <b>6,28,91,646</b> |
| <b>ख. ऋण एवं अग्रिम:-</b>                          |                    |                    |
| 1. ऋण  |                    |                    |
| क) स्टाफ   | 17,06,473          | 8,01,279           |
| ख) समान गतिविधियों में लगी हुई अन्य संस्थाएं       | 0                  | -                  |
| ग) अन्य  | 1,79,31,439        | 1,08,97,807        |
| 2. नकदी या वस्तु या के लिए के रूप में अग्रिम वसूली |                    |                    |
| प्राप्त किया जाने वाला मूल्य:                      |                    |                    |
| क) पूंजीगत खाते पर                                 | 0                  | -                  |
| ख) अन्य (प्रतिभूती जमा)                            | 1,05,81,183        | 66,89,250          |
| 3. अर्जित ब्याज:-                                  |                    |                    |
| क) ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि से निवेश पर             | 0                  | -                  |
| ख) बैंक शेष पर                                     | 0                  | -                  |
| ग) ऋण एवं अग्रिम पर                                | 0                  | -                  |
| घ) अन्य  | 0                  | -                  |
| 4. प्राप्य दावे:-                                  |                    |                    |
| <b>कुल (ख)</b>                                     | <b>3,02,19,095</b> | <b>1,83,88,336</b> |
| <b>कुल</b>   | <b>5,58,28,844</b> | <b>8,12,79,982</b> |



## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

| अनुसूची 12 – बिक्री/सेवा से आय          | चालू वर्ष           | पिछला वर्ष          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1. बिक्री से आय</b>                  |                     |                     |
| क) निर्मित माल की बिक्री                | 0                   | -                   |
| ख) कच्चे माल की बिक्री                  | 0                   | -                   |
| ग) रद्दी की बिक्री                      | 0                   | -                   |
| <b>2. सेवा से आय:</b>                   |                     |                     |
| क) मजदूरी एवं प्रसंस्करण रसीद           | 0                   | -                   |
| ख) व्यावसायिक परामर्श शुल्क             | 0                   | -                   |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली               | 0                   | -                   |
| घ) रखरखाव सेवाएं                        | 0                   | -                   |
| ड.) अन्य                                | 0                   | -                   |
| <b>कुल</b>                              | <b>0</b>            | <b>-</b>            |
| <b>अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी:-</b>    | <b>चालू वर्ष</b>    | <b>पिछला वर्ष</b>   |
| 1. केंद्रीय सरकार                       | 32,37,00,000        | 21,00,00,000        |
| 2. राज्य सरकार                          | 0                   | -                   |
| 3. सरकारी एजेंसियां                     | 0                   | -                   |
| 4. संस्थान/कल्याण निकाय                 | 0                   | -                   |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन                 | 0                   | -                   |
| 6. अन्य                                 | 0                   | -                   |
| <b>कुल</b>                              | <b>32,37,00,000</b> | <b>21,00,00,000</b> |
| <b>अनुसूची 14 – शुल्क/सबरिक्रप्शन:-</b> | <b>चालू वर्ष</b>    | <b>पिछला वर्ष</b>   |
| 1. प्रवेश शुल्क                         | 0                   | -                   |
| 2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता                | 0                   | -                   |
| 3. सेमिनार शुल्क / कार्यक्रम शुल्क      | 0                   | -                   |
| 4. परामर्श शुल्क                        | 0                   | -                   |
| 5. अन्य                                 | 0                   | -                   |
| <b>कुल</b>                              | <b>0</b>            | <b>-</b>            |
| <b>अनुसूची 15 – निवेश से आय</b>         | <b>चालू वर्ष</b>    | <b>पिछला वर्ष</b>   |
| <b>1. से ब्याज:</b>                     |                     |                     |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों से               | 0                   | -                   |
| ख) अन्य बंधपत्र/ऋण-पत्र                 | 0                   | -                   |
| <b>2. पर लाभांश:</b>                    |                     |                     |
| क) शेयरों पर                            | 0                   | -                   |
| ख) म्यूचुअल फंड की प्रतिभूतियों पर      | 0                   | -                   |
| 3. किराया                               | 0                   | -                   |
| 4. अन्य                                 | 0                   | -                   |
| <b>कुल</b>                              | <b>0</b>            | <b>-</b>            |

## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

| अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन से आय           | चालू वर्ष        | पिछला वर्ष        |
|---|------------------|-------------------|
| 1. रॉयल्टी से आय                              | 0                | -                 |
| 2. प्रकाशन से आय                              | 0                | -                 |
| 3. अन्य                                       | 0                | -                 |
| <b>कुल</b>                                    | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज:</b>             | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| <b>1. अवधि जमा पर:</b>                        |                  |                   |
| क) अनुसूचित बैंक के साथ                       | 0                | -                 |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ                   | 0                | -                 |
| ग) संस्थानों के साथ                           | 0                | -                 |
| घ) अन्य                                       | 0                | -                 |
| <b>2. बचत खाते पर:</b>                        |                  |                   |
| क) अनुसूचित बैंक के साथ                       | 9,90,147         | 9,00,022          |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ                   | 0                | -                 |
| ग) संस्थानों के साथ                           | 0                | -                 |
| घ) अन्य                                       | 0                | -                 |
| <b>3. ऋण पर</b>                               |                  |                   |
| क) कर्मचारी/स्टाफ                             | 0                | -                 |
| ख) अन्य                                       | 0                | -                 |
| <b>4. देनदार और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज</b> | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>कुल</b>                                    | <b>9,90,147</b>  | <b>9,00,022</b>   |
| <b>अनुसूची 18 – अन्य आय</b>                   | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| <b>1. बिक्री पर लाभ / संपत्ति का निपटान</b>   |                  |                   |
| क) स्वामित्व वाली संपत्तियां                  | 0                | -                 |
| ख) अनुदान, या निरुशुल्क अधिग्रहण से संपत्ति   | 0                | -                 |
| <b>2. प्रोत्साहन संपादित निर्यात</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| <b>3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क</b>           | <b>54,19,065</b> | <b>40,31,972</b>  |
| <b>4. विविध आय</b>                            | <b>92,836</b>    | <b>25,525</b>     |
| <b>वर्ष के अंत में निवल शेष</b>               | <b>55,11,901</b> | <b>40,57,497</b>  |



## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

| अनुसूची 19 – निर्मित स्टॉक, डब्ल्यू.आई.पी. एवं कच्चे माल के स्टॉक में वृद्धि/घाटा | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
|---|-------------|-------------|
| क) आरंभिक शेष   |             |             |
| – निर्मित स्टॉक   | 0           | -           |
| – अर्धनिर्मित उत्पादन   | 0           | -           |
| ख) घटाएं: आरंभिक शेष  |             |             |
| – निर्मित स्टॉक   | 0           | -           |
| – अर्धनिर्मित उत्पादन   | 0           | -           |
| स्टॉक में वृद्धि/घाटा (क – ख)   | 0           | -           |
| अनुसूची 20 – स्थापना व्यय:  | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
| क) वेतन एवं मजदूरी  | 8,05,94,152 | 5,75,54,136 |
| ख) भत्ते  | 24,90,722   | 33,91,232   |
| ग) पीएफ में योगदान  | 0           | -           |
| घ) अन्य निधि में योगदान   | 0           | -           |
| ड.) स्टाफ कल्याण व्यय   | 3,374       | 2,47,704    |
| च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं लाभों पर व्यय  | 0           | -           |
| छ) चिकित्सा व्यय  | 5,89,557    | 9,87,826    |
| कुल   | 8,36,77,855 | 6,21,80,898 |
| अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय  | चालू वर्ष   | पिछला वर्ष  |
| क) खरीद   |             | -           |
| ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण शुल्क (संविदात्मक कर्मचारियों को वेतन)                   | 92,03,823   | 56,12,540   |
| ग) टुलाई और आवक माल भाड़ा   | 0           | 28,348      |
| घ) बिजली एवं पावर   | 37,07,360   | 45,57,303   |
| ड.) पानी शुल्क  | 4,34,151    | 800         |
| च) बीमा   | 0           | 8,552       |
| छ) मरम्मत एवं रखरखाव  | 1,17,78,644 | 37,21,040   |
| ज) उत्पाद शुल्क   | 0           | -           |
| झ) किराया, दर एवं कर  | 3,70,86,349 | 2,09,29,941 |
| ञ) चल रहे वाहन एवं रखरखाव   | 1,22,583    | 3,02,802    |
| ट) डाक और तार   | 2,98,594    | 88,848      |
| ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी   | 29,39,094   | 28,66,734   |
| ड) यात्रा एवं वाहन व्यय   | 1,01,97,780 | 69,84,766   |

## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| ढ) सेमिनार, बैठक एवं सम्मेलन व्यय       | 37,54,765    | 36,90,377    |
| ण) सदस्यता व्यय                         | 2,75,251     | 2,68,467     |
| त) शुल्क                                | 0            | 70,000       |
| थ) लेखा परीक्षक क्षतिपूर्ति             | 2,23,981     | 66,000       |
| द) गृह व्यवस्था और सुरक्षा व्यय         | 2,12,981     | 15,39,999    |
| ध) पेशेवर शुल्क                         | 1,85,51,027  | 3,74,26,680  |
| न) विज्ञापन व्यय                        | 14,18,33,263 | 67,55,565    |
| न) अन्य प्रशासनिक व्यय                  | 1,15,61,596  | 90,64,251    |
| कुल                                     | 25,21,81,242 | 10,39,82,613 |
| अनुसूची 22 – अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष   |
| क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान    | 90,000       | 1,15,00,000  |
| ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी    | 0            | -            |
| कुल                                     | 90,000       | 1,15,00,000  |
| अनुसूची 23 – अर्जित ब्याज               | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष   |
| क) निश्चित ऋण पर                        |              |              |
| ख) अन्य ऋण पर                           | 0            | -            |
| ग) अन्य                                 | 15,633       | 10,262       |
| कुल                                     | 15,633       | 10,262       |



## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अनुसूचियों के समूहीकृत का भाग

| देय व्यय का विवरण                   |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| विज्ञापन                            | 0                | 1,06,812         |
| देय लेखा परीक्षा शुल्क              | 0                | 66,000           |
| देय सम्मेलन सेमिनार व्यय            | 10,88,790        | 11,21,215        |
| देय ब्याज                           | 0                | 10,262           |
| देय वार्षिक रखरखाव शुल्क            | 0                | 33,945           |
| देय परामर्श शुल्क                   | 0                | 8,470            |
| देय उपभोज्य भंडार                   | 0                | 41,065           |
| देय कूरियर व्यय                     | 15,000           | 60,000           |
| देय अंकीकरण शुल्क                   | 0                | 2,90,000         |
| देय गेस्ट हाउस सामान्य व्यय         | 11,700           | 15,000           |
| देय कानूनी शुल्क                    | 0                | 7,855            |
| मोटर टैक्सी भाड़ा शुल्क             | 0                | 3,59,184         |
| अखबार एवं सदस्यता शुल्क             | 0                | 8,283            |
| देय कार्यालय रखरखाव                 | 0                | 2,71,792         |
| देय तेल एवं जीजल शुल्क              | 0                | 18,594           |
| देय प्रकाशन व्यय                    | 0                | 76,888           |
| देय संविदात्मक कर्मचारियों को वेतन  | 0                | 6,61,861         |
| देय सुरक्षा व्यय                    | 1,30,537         | 91,499           |
| देय कार्यालय व्यय                   | 0                | 5,310            |
| देय प्रशिक्षण व्यय                  | 1,82,094         | 1,82,094         |
| देय व्यापार किराया एवं कर           | 0                | 24,44,248        |
| देय वेतन                            | 73,911           | 33,71,323        |
| देय टेलीफोन व्यय                    | 32,634           | 28,956           |
| देय ब्याज                           | 20,569           | -                |
| <b>कुल</b>                          | <b>15,55,235</b> | <b>95,93,700</b> |
| <b>स्टाफ को दिए अग्रिम का विवरण</b> |                  |                  |
| विदेशी दौरे के लिए अग्रिम           | 10,52,354        |                  |
| उप-निदेशक, चेन्नई                   | 1,10,000         | 60,000           |
| उप-निदेशक, कोलकाता                  | 52,336           | 13,090           |
| उप-निदेशक, मुंबई                    | 10,000           | 10,000           |
| एलटीसी अग्रिम                       | 85,631           | 2,65,317         |
| वरिष्ठ एओ डीओ एफएसएसएआई             | 0                | 10,000           |
| श्री. एस.बी. डोंगरे                 | 68,475           | 1,08,340         |
| श्री अनिल मेहता                     | 0                | 1,69,725         |
| अशोक कुमार दास                      | 0                | 3,300            |
| पी. कार्तिकेयन                      | 0                | 3,000            |
| आर. विजय                            | 0                | 49,525           |
| एस.के. हलदर                         | 10,000           | 30,000           |
| एस.के. शर्मा                        | 0                | 9,750            |
| अग्रिम छुट्टी नकदीकरण               | 0                | 69,232           |
| उप-निदेशक (एफएवंवीपी) एनबीसीसी      | 95,000           | -                |
| उप-निदेशक गुवाहटी                   | 10,000           | -                |
| जेपी डोंगरे                         | 2,09,077         | -                |
| आर के सक्सेना                       | 3,600            | -                |
| <b>कुल</b>                          | <b>17,06,473</b> | <b>8,01,279</b>  |

| विविध आय का विवरण:-                       |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| आरटीआई शुल्क                              | 820                | 835              |
| अखबारों की बिक्री                         | 9,616              | 10,340           |
| निविदा प्रपत्र की बिक्री                  | 3,000              | 14,350           |
| अन्य विविध आय                             | 79,400             |                  |
| <b>कुल</b>                                | <b>92,836</b>      | <b>25,525</b>    |
| <b>भुगतान किए गए भत्तों की विवरण:-</b>    |                    |                  |
| अधिकारियों/स्टाफ को भुगतान किए गए टीए/डीए | 24,62,632          | 33,59,654        |
| समयोपरि भत्ते                             | 28,140             | 31,578           |
| <b>कुल</b>                                | <b>24,90,772</b>   | <b>33,91,232</b> |
| <b>स्टाफ कल्याण व्यय का विवरण:-</b>       |                    |                  |
| स्टाफ कल्याण व्यय                         | 3,374              | 2,24,495         |
| जलपान व्यय                                | 0                  | 23,209           |
| <b>कुल</b>                                | <b>3,374</b>       | <b>2,47,704</b>  |
| <b>अन्य प्रशासनिक व्यय का विवरण:-</b>     |                    |                  |
| कंप्यूटर व्यय                             | 7,641              | 10,675           |
| उपभोज्य भंडार                             | 64,570             | 2,34,931         |
| जेनरेटर व्यय                              | 73,490             | 90,216           |
| आम व्यय                                   | 0                  | 1,90,767         |
| सदस्यता शुल्क                             | 28,000             | 20,500           |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                       | 16,50,798          | 7,23,796         |
| प्रकाशन व्यय                              | 28,96,556          | 2,79,179         |
| अंकीकरण शुल्क                             | 2,03,959           | 2,90,000         |
| जेनरेटर भाड़ा शुल्क                       | 0                  | 22,000           |
| प्रशिक्षण शुल्क                           | 8,00,027           | 6,23,294         |
| कार्यालय व्यय                             | 48,18,677          | 52,67,975        |
| कूरियर शुल्क                              | 2,64,017           | 6,74,356         |
| टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय                   | 7,27,001           | 5,99,798         |
| इंटरनेट शुल्क                             | 26,860             | 36,764           |
| <b>कुल</b>                                | <b>1,15,61,596</b> | <b>90,64,251</b> |



| मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण              |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| एसी संयंत्रों का रखरखाव                      | 2,50,331           | 23,071             |
| कार्यालय रखरखाव व्यय                         | 1,15,00,478        | 18,55,063          |
| सीएफआरएसएल कोलकाता में मशीन की मरम्मत रखरखाव | 0                  | 13,20,501          |
| वार्षिक रखरखाव शुल्क                         | 27,835             | 5,22,405           |
| <b>कुल</b>                                   | <b>1,17,78,644</b> | <b>1,54,99,684</b> |
| <b>यात्रा एवं वाहन व्यय का विवरण:-</b>       |                    |                    |
| दौरे और यात्रा खर्च                          | 50,88,602          | 36,67,179          |
| मोटर टैक्सी भाड़ा शुल्क                      | 50,83,535          | 32,76,495          |
| वाहन व्यय                                    | 25,643             | 41,092             |
| <b>कुल</b>                                   | <b>1,01,97,780</b> | <b>69,84,766</b>   |
| <b>गृह व्यवस्था और सुरक्षा व्यय</b>          |                    |                    |
| गृह व्यवस्था एवं गेस्ट हाउस व्यय             | 77,794             | 3,32,167           |
| सुरक्षा व्यय                                 | 1,35,187           | 12,07,432          |
| <b>कुल</b>                                   | <b>2,12,981</b>    | <b>15,39,599</b>   |
| <b>चल रहे वाहन एवं रखरखाव का विवरण</b>       |                    |                    |
| चल रहे वाहन                                  | 0                  | 58,277             |
| तेल एवं डीज़ल                                | 1,22,583           | 2,44,575           |
| <b>कुल</b>                                   | <b>1,22,583</b>    | <b>3,02,802</b>    |
| <b>पेशेवर शुल्कों का विवरण</b>               |                    |                    |
| पेशेवर शुल्क                                 | 1,83,54,292        | 3,65,54,958        |
| कानूनी शुल्क                                 | 1,14,560           | 2,62,930           |
| परामर्श शुल्क                                | 0                  | 39,446             |
| नमूने शुल्क                                  | 82,175             | 5,69,346           |
| <b>कुल</b>                                   | <b>1,85,51,027</b> | <b>3,74,26,680</b> |
| <b>सदस्यता शुल्कों का विवरण:-</b>            |                    |                    |
| शुल्क एवं सदस्यता                            | 45,800             | 3,706              |
| अखबार एवं सदस्यता शुल्क                      | 2,29,451           | 2,64,761           |
| <b>कुल</b>                                   | <b>2,75,251</b>    | <b>2,68,467</b>    |

| माल / सेवा के लिए विविध लेनदार का विवरण             |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| ओएसिस टेलीकम्युनिकेशन                               |                    | 3,406              |
| केंद्रीय भंडार                                      | 0                  | 15,34,099          |
| सतगुरु मनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा. लिमि.              | 12,14,056          | 12,14,056          |
| ट्रैक इन्फोविज़न प्रा. लिमि.                        | 5,08,000           | 4,50,000           |
| वरुण इन्फोटेक इंडिया                                | 0                  | 88,350             |
| विद्युत इंजीनियरिंग                                 | 1,655              | 1,655              |
| मनीष यादव   | 0                  | 640                |
| बेदी एवं बेदी                                       | 8,97,655           | -                  |
| बेल्टेक कनाडियन वाटर लिमि.                          | 10,430             | -                  |
| बी.वी.जी. इंडिया लिमि.                              | 9,37,695           | -                  |
| सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी प्रा. लिमि.                   | 32,243             | -                  |
| कॉन्टिनेन्टल कैंटर्स एवं कन्फेक्शनर्स               | 58,515             | -                  |
| क्रेसेंट स्टेशनरी                                   | 14,680             | -                  |
| क्राउन कॉर्पोरेशन प्रा. लिमि                        | 3,32,718           | -                  |
| एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमि.                            | 76,538             | -                  |
| इम्प्रेशन डिस्ट्रिब्यूटिंग कं.                      | 1,03,000           | -                  |
| आईएसएस हिक्केयर प्रा. लिमि.                         | 22,699             | -                  |
| कर्म टैक्सी सर्विस                                  | 2,86,875           | -                  |
| राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ                    | 1,89,840           | -                  |
| नव डाक भारत   | 3,44,940           | -                  |
| रिको इंडिया लिमि.                                   | 74,510             | -                  |
| स्वास्तिक कंपनी                                     | 23,435             | -                  |
| तनु ट्रांसपोर्ट ट्रेवल                              | 29,431             | -                  |
| विविध लैंडस्केप कंस्ट्रलिंग प्रा. लिमि.             | 1,16,350           | -                  |
| वेब क्रॉफ्ट इंडिया                                  | 180                | -                  |
| केंद्रीय पीडब्ल्यूडी                                | 1,69,812           | -                  |
| बालमेर लॉरी कंपनी लिमि.                             | 5,00,000           | -                  |
| इंद्र डी नरायण एंड कं.                              | 80,409             | -                  |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम                               | 47,484             | -                  |
| <b>कुल</b>  | <b>60,73,150</b>   | <b>32,92,206</b>   |
| <b>किराया, दर एवं कर का विवरण</b>                   |                    |                    |
| एनबीसीसी का किराया                                  | 3,15,27,408        | 2,08,63,941        |
| कार्यालय किराया (गुवाहटी)                           | 66,823             | 66,000             |
| एफआरएसएल गाजियाबाद के लिए भुगतान किए गए नगर निगम कर | 54,92,118          | -                  |
| <b>कुल</b>  | <b>3,70,86,349</b> | <b>2,09,29,941</b> |





वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

70



| भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण               |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
| प्राप्ति और भुगतान खाता के अनुसूची का भाग             |              |             |  |
| अनुसूची-क टीडीएस वापसी                                | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष  |  |
| फार्मासोल्व स्पेशलिस्ट इंडिया प्रा. लि.               | 97,530       | -           |  |
| एफआईसीसीआई  | 6,960        | -           |  |
| इंटेलिजेंट सिक्यूरिटी                                 | 1,755        | -           |  |
| नरेश कौशिक  | 4,675        | -           |  |
| स्पान कम्युनिकेशन                                     | 754          | -           |  |
|   | 1,11,674     | -           |  |
| अनुसूची-ख: चेक वापसी:-                                | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष  |  |
| ओएसिस टेलीकम्युनिकेशन                                 | -            | 3,406       |  |
| विद्युत इंजिनियर्स                                    | -            | 1,655       |  |
| मनीष यादव   | -            | 640         |  |
| कुल   | -            | 5,701       |  |
| अनुसूची-ग: संस्थापना खर्च:-                           | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष  |  |
| क) वेतन और मजदूरी                                     | 8,01,71,909  | 5,41,99,716 |  |
| अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान किया गया टीए/डीए           | 19,54,910    | 33,54,654   |  |
| ओवरटाइम भत्ते   | 28,140       | 31,578      |  |
| जलपान खर्च  | -            | 23,209      |  |
| पेशेवर कर   | 45,736       | 51,387      |  |
| ड.) कर्मचारी कल्याण खर्च                              | 3,374        | 2,30,312    |  |
| छ) चिकित्सा खर्च                                      | 5,59,180     | 10,07,784   |  |
| कुल   | 8,27,63,249  | 5,88,98,640 |  |
| अनुसूची-घ: प्रशासनिक खर्च                             | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष  |  |
| विज्ञापन खर्च   | 14,13,89,204 | 66,31,899   |  |
| लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक                          | 1,92,876     | 35,737      |  |
| गाड़ी भाड़ा और आवक माल भाड़ा                          | -            | 28,348      |  |
| बिजली और उर्जा  | 82,25,020    | 90,78,470   |  |
| शुल्क और सदस्यता                                      | -            | 3,706       |  |
| श्रम और प्रोसेसिंग शुल्क (अनुबंध कर्मचारियों का वेतन) | 87,70,715    | 52,24,566   |  |
| डाक और तार  | 2,98,594     | 88,848      |  |
| प्रिंटिंग और स्टेशनरी                                 | 28,21,710    | 27,70,880   |  |
| सीएफआरएसएल पर मशीन का मरम्मत और रखरखाव                | -            | 13,20,501   |  |
| सेमिनार, सभा और सम्मेलन खर्च                          | 36,66,226    | 25,64,833   |  |
| पानी शुल्क  | 3,12,304     | 800         |  |
| वार्षिक रखरखाव शुल्क                                  | 2,24,847     | 6,93,294    |  |
| कंप्यूटर खर्च   | 7,641        | 10,675      |  |
| परामर्श शुल्क   | -            | 30,976      |  |

| उपभोज्य भंडार                         | 45,897       | 1,40,285    |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| सवारी खर्च                            | 24,614       | 41,092      |
| कूरियर शुल्क                          | 3,03,397     | 6,34,941    |
| भागीदारी शुल्क                        | -            | 70,000      |
| सामान्य खर्च                          | 1,29,109     | 1,75,761    |
| जेनरेटर खर्च                          | 72,000       | 90,005      |
| जेनरेटर किराया शुल्क                  | -            | 22,000      |
| गृह व्यवस्था शुल्क                    | 82,104       | 10,08,381   |
| बीमा                                  | -            | 8,552       |
| इंटरनेट शुल्क                         | 29,339       | 36,763      |
| कानूनी खर्च                           | 1,10,958     | 2,35,910    |
| एसी संयंत्र का रखरखाव                 | 75,871       | 2,96,072    |
| सदस्यता शुल्क                         | 11,500       | 37,000      |
| मोटर टैक्सी किराया शुल्क              | 47,35,463    | 31,30,728   |
| अखबार और सदस्यता शुल्क                | 2,50,781     | 77,552      |
| कार्यालय-व्यय                         | 45,59,776    | 52,62,665   |
| कार्यालय रखरखाव खर्च                  | 93,57,595    | 24,14,262   |
| कार्यालय किराया (गुवाहाटी)            | 66,823       | 66,000      |
| तेल और डीजल                           | 78,693       | 2,25,981    |
| अन्य प्रशासनिक खर्च                   | 20,42,351    | 7,22,985    |
| पूर्व अवधि खर्च                       | 2,54,598     | 1,60,113    |
| पेशेवर शुल्क                          | 1,68,33,111  | 3,37,52,033 |
| प्रकाशन खर्च                          | 29,23,481    | 2,02,291    |
| किराये की दर और कर (एनबीसीसी और अन्य) | 3,76,60,235  | 1,58,03,970 |
| नमूना शुल्क                           | 79,085       | 5,67,854    |
| सुरक्षा खर्च                          | 1,32,483     | 11,33,206   |
| टेलीफोन और मोबाइल खर्च                | 8,02,887     | 6,05,598    |
| प्रशिक्षण शुल्क                       | 10,77,162    | 3,97,080    |
| यात्रा एवं वाहन खर्च                  | 50,01,412    | 36,13,259   |
| चल रहे वाहन                           | 52,280       | 58,227      |
| अंकीकरण शुल्क                         | 4,41,562     | -           |
| कुल                                   | 25,31,43,724 | 9,94,74,099 |
| अनुसूची-ड: स्थिर संपत्ति की खरीद:-    | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष  |
| सिस्को 2821 सुरक्षा बंडल              |              | 1,67,777    |
| वोल्टेज स्टेबलाइज़र                   |              | 6,750       |
| कार्यालय सामग्री                      |              | 25,363      |
| यूपीएस                                | 7,49,781     | -           |
| एलसीडी टेलिविजन                       | 4,37,438     | -           |
| फर्नीचर और फिक्सचर                    | 11,87,823    | 3,21,591    |
| इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति मशीन            | 24,589       | 56,019      |
| फोटोकॉपी मशीन                         | 5,75,666     | 12,09,934   |
| स्कैनिंग मशीन                         |              | 1,56,750    |



|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| वैक्यूम क्लीनर                |                  | 7,790            |
| डिजिटल कैमरा                  | 49,250           |                  |
| वीजीए रिवचर                   |                  | 19,800           |
| मोबाइल फोन                    | 12,900           | 20,000           |
| फैक्स मशीन                    | 52,178           | 1,22,956         |
| टाटा स्काई और ईपीआरएस प्रणाली | 3,099            | 20,397           |
| कंप्यूटर                      | 18,85,069        | 4,27,295         |
| प्रिंटर और स्कैनर             | 31,813           | 24,128           |
| फ्रिज                         |                  | 34,320           |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर            | 2,83,864         | 1,15,115         |
| पुस्तकालय सॉफ्टवेयर सिस्टम    |                  | 2,28,800         |
| नेटवर्किंग उपकरण              | 2,08,249         | 1,37,521         |
| पुस्तकालय की पुस्तकें         | 6,19,086         | 4,32,635         |
| मशीनरी किताबें                | 4,93,168         |                  |
| दीवार घड़ी                    | 1,181            |                  |
| कूलर                          | 2,36,131         | -                |
| <b>कुल</b>                    | <b>68,51,285</b> | <b>35,34,941</b> |

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>अनुसूची-च: कर्मचारियों को अग्रिम राशि</b> | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| उप निदेशक चेन्नई                             | 50,000           | 50,000            |
| उप निदेशक कोलकाता                            | 55,000           | 13,090            |
| उप निदेशक मुंबई (अग्रदाय)                    | -                | 10,000            |
| श्री एस बी डोंगड़े                           | -                | 1,08,340          |
| एलटीसी अग्रिम                                | 2,37,051         | 2,65,317          |
| वरिष्ठ एओ (अग्रदाय)                          | 10,000           | 10,000            |
| श्री अनिल मेहता                              | -                | 1,69,725          |
| अशोक कुमार दास                               | -                | 3,300             |
| पी. कार्तिकेयन                               | -                | 3,000             |
| आर. विजय                                     | -                | 49,525            |
| एस. के. हलदर                                 | 19,377           | 30,000            |
| विदेशी दौरे के लिए अग्रिम राशि               | 14,27,850        | -                 |
| एस. के. शर्मा                                | -                | 9,750             |
| उप निदेशक (एफ एवं वीपी)                      | 95,000           | -                 |
| उप निदेशक गुवाहाटी                           | 10,000           | -                 |
| आर. के. सक्सेना                              | 9,608            | -                 |
| अधिकृत अधिकारी चेन्नई                        | 10,000           | -                 |
| अधिकृत अधिकारी समुद्र बंदरगाह                | 10,000           | -                 |
| अधिकृत अधिकारी जेएनपीटी न्हावा शेवा          | 10,000           | -                 |
| <b>कुल</b>                                   | <b>19,43,886</b> | <b>7,22,047</b>   |

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>अनुसूची-छ: सप्लायर्स को अग्रिम राशि</b> | <b>चालू वर्ष</b> | <b>पिछला वर्ष</b> |
| एबीपी प्राइवेट लिमिटेड.                    | -                | 14,134            |
| केंद्रीय खाद्य कोलकाता                     | 28,56,450        | 6,02,932          |
| एफआरएसएल गाजियाबाद                         | 4,55,698         | 3,45,825          |
| एफआईसीसीआई                                 | -                | 3,48,000          |
| टोटल लाइब्रेरी साल्यूशन लिमिटेड.           | 1,29,383         | 93,381            |
| सी.पी.डब्ल्यू.डी                           | -                | 12,35,000         |
| उप निदेशक बागवानी                          | -                | 8,510             |
| राष्ट्रीय सूचना केन्द्र                    | -                | 12,98,777         |
| भारतीय गुणवत्ता परिषद                      | -                | 5,00,000          |
| सतगुरु मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड | -                | 1,82,094          |
| <b>कुल</b>                                 | <b>34,41,531</b> | <b>46,28,653</b>  |





वी के चन्दोक,  
उपनिदेशक (ए.एम.जी.-4)

संस्कृत विभाग का आदेश संस्कृत विभाग के आदेश/ 18/08/2011/ 21

कार्यालय महानिदेशक  
लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)  
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Office of the Director General of Audit  
(Central Expenditure)  
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

16 AUG 2011

प्रिय श्री संजय सिंह,

मैं वर्ष 2010-2011 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के जारी करने के 14 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े पुष्टिकृत समझ लिए जाएंगे। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कृपया ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर ईमेल (Email id: aaoamg4@gmail.com) से भी अवश्य भेजें।

भवन्निष्ठ,

2

श्री संजय सिंह,  
वित्त सलाहकार,  
भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण,  
स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय,  
एफ् डी ए भवन, कोटला रोड,  
नई दिल्ली



1-4981DD158  
18/8/11

## भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा

हमने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संलग्न तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणी केवल श्रेष्ठ लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के साथ वर्गीकरण, समरूपता के संबंध में ही हैं। विधि, नियम एवं विनियम (उपयुक्तता एवं नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा-परीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्टों/पृथक रूप से नियंत्रक और महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।

हमने भारत के सामान्य रूप स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा संचालित की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त होने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें। लेखा-परीक्षा में परीक्षण-आधार पर राशि के समर्थक साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की जांच शामिल होती है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण भी शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों के निर्धारण, प्रबंधन द्वारा तैयार वित्त के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- हमने अपने श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- इस रिपोर्ट में आने वाले तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में लिखे गए हैं।
- जहां तक पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारी राय में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों तथा अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव किया गया है।
- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-

क तुलन पत्र





## क.1 देयताएं

वर्तमान देयताएं और प्रावधान

लेखा पुस्तकों में बीमांकन आधार पर उपदान, अधिवार्षिता/पेंशन और छुट्टी नकदीकरण हेतु कोई प्रावधान देयता साबित नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की न्यूनोक्ति हुई है।

## ख.1 परिसंपत्तियां

### ख.1.1 स्थायी परिसंपत्तियां

अनुसूची-8 क अनुसार 2010-11 के दौरान 91.20 लाख रुपये की परिसंपत्तियां खरीदी गई हैं। तथापि, प्राप्तियां और भुगतान लेखे दर्शाते हैं कि स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय रु. 68.51 लाख है। अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

## ग. आय और व्यय लेखा

### ग.1 व्यय की न्यूनोक्ति

आय और व्यय लेखा में रु. 4.60 लाख का न्यून मूल्यहास दर्शाने के फलस्वरूप व्यय की न्यूनोक्ति और व्यय की अधियोक्ति तथा इसी राशि की पूंजीगत निधि की अधियोक्ति हुई है।

### ग.2 व्यय की न्यूनोक्ति

रु.32.37 करोड़ का कुल अनुदान आय और व्यय लेखा में राजस्व अनुदान के रूप में दर्शाया गया है, जबकि 2010-11 के दौरान आय और व्यय लेखों के अनुसार रु.68.51 लाख की संपत्तियां खरीदी गईं। इसलिए आप और व्यय में से रु.68.51 लाख का पूंजीगत अनुदान न घटाने के परिणामस्वरूप आय पर व्यय के आधिक्य में रु.68.51 लाख की न्यूनोक्ति हुई है और व्यय में से रु.68.51 लाख का पूंजीगत अनुदान न घटाने के परिणामस्वरूप आय पर व्यय के आधिक्य में रु.68.51 लाख की न्यूनोक्ति हुई है।

## घ. सामान्य

- परिसंपत्ति रजिस्टर को विहित प्रपत्र में नहीं बनाया गया है।
- पुस्तकालय की पुस्तकों का प्राप्ति रजिस्टर विहित प्रपत्र में नहीं बनाया गया है। कुछ मामलों में पुस्तकों के मूल्यमान का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए वार्षिक लेखों में उल्लिखित पुस्तकों की कुल लागत प्रामाणिक नहीं हो सकती है।
- अनुसूची-22 में रु. 90.00 लाख "अनुदानों पर व्यय" के रूप में दर्शाए गए हैं लेकिन सत्त्व वस्तु और जारी किए जाने के विवरण संलग्न नहीं किए गए हैं।

## ड. सहायक अनुदान

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्राधिकरण ने मार्च 2011 में रु. 11.37 करोड़ प्राप्त किए) की योजना के अंतर्गत रु. 32.37 करोड़ रुपये का सहायक-अनुदान प्राप्त किया। प्राधिकरण ने रु. 36.98 करोड़ का उपयोग किया।



## भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरणनई दिल्ली 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूचियां

## अनुसूची-24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 1. लेखांकन अभिसमय

वित्तीय विवरण अन्यथा दिए जाने तक ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर तथा लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

### 2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां अंतःवहन, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण की लागत पर दी जाती हैं। परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

### 3. मूल्यहास

- डब्ल्यूडीवी आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास की व्यवस्था की जाती है।
- वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौती के संबंध में तदनुसार मूल्यहास पर विचार किया जाता है।
- रुपए 5000 तक या इससे कम कीमत की परिसंपत्तियां पूर्णतया मुक्त हैं।

### 4. सहायक अनुदान

क) वर्ष के दौरान सहायक अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से राजस्व अनुदानों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं।

ख) भारत सरकार से प्राप्त किए जा रहे सहायक अनुदान प्राप्ति आधार पर दर्शाए जाते हैं।

ग) ब्याज के रूप में प्राप्त अर्जन अन्य छोटी-मोटी आयों को प्राधिकरण द्वारा उपगत किए जा रहे राजस्व व्ययों के साथ उस सीमा तक सरकारी सहायक अनुदानों के उपयोगन में कमी आती है।





### 5. लाइसेंस फीस

अभ्यर्थियों से प्राप्त लाइसेंस फीस, नई दिल्ली में लेखा विभाग में डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति पर आय के रूप में दर्शायी जाती है।

### अनुसूची-25

1 से 25 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।

कृते इन्द्र डी. नारायण एण्ड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट

मनोरंजन दास)  
साझेदार





*fssai*


## भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तीसरा एवं चौथा तल, खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक भवन,  
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

फोन : 011-23237436

वेबसाईट : [www.fssai.gov.in](http://www.fssai.gov.in)

टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर : 1800112100







*fssai*

# Food Safety And Standards Authority Of India



## ANNUAL REPORT 2010-11









# Contents

| S. NO | PARTICULARS   | PAGE NO. |
|-------|---|----------|
| 1.    | Overview  | 01       |
| 2.    | Mandate and Structure- Authority, Central Advisory Committee<br>Scientific Committee, Scientific Panels | 04       |
| 3.    | Important Milestones  | 16       |
| 4.    | Codex Matters   | 23       |
| 5.    | Laboratories  | 24       |
| 6.    | Training and Capacity Building  | 26       |
| 7.    | Administration and Human Resources  | 29       |
| 8.    | Safety of Imported Food   | 37       |
| 9.    | Information Education & Communication (IEC)   | 39       |
|       | (i) Awareness & Communication   |          |
|       | (ii) Information Technology   |          |
| 10.   | Result Framework Document (2010-11), SEVOTTAM   | 41       |
| 11.   | Advisories  | 53       |
| 12.   | Annual Accounts 2010-11   | 54       |





## 1. Overview

The year 2010-11 was a year of rapid strides by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) towards realization of immediate goal of operationalizing the Food Safety and Standards (FSS) Act 2006. The draft FSS Rules and Regulations were notified and on the basis of comments received from the stakeholders the final draft were prepared and submitted to the Government for approval. The remaining 47 sections of the FSS Act were notified on 29<sup>th</sup> July 2010 with the exception of the provision relating to Genetically Modified food in section 22. The Act provides for an entirely new structure, both in the Central Government and in the States, for implementing it.

At the Central level, the Authority, the Central Advisory Committee (CAC), the Scientific Committee and 08 Scientific panels related to different subjects have already been constituted and are functional. Many States have appointed Commissioners of Food Safety and are in the process of appointing Designated officers, Food Safety officers, Adjudicating officers and Appellate Tribunal. The FSSAI was following up with State and Union Territories Governments for taking all preparatory steps particularly for selection of candidates as well as finalization of the appointment of Statutory functionaries. As a result, majority of States and UTs are in readiness towards appointing such functionaries within a short time after the notification of the Rules. The States have also been sensitized about the key features of the new licensing system under the FSS Regulations by organising regional review meetings, workshops, training programmes for Designated Offices and training programmes for trainers of Food Safety Officers.

Realizing the crucial role that the food testing laboratories are going to play in the FSS regime, a Gap Analysis has been conducted in respect of 50 food testing laboratories to assess their requirement for achieving accreditation which has become mandatory under the new law. The details have been shared with the concerned States to take steps for upgrading the Laboratories in a time bound manner to meet the requirements of the law. Separately the work is in progress for preparing draft accreditation standards for the Food Safety Testing Laboratories.

During the year a major development was operationalisation of the provisions relating to the safety of imported food in the FSS Act. After several consultation and sensitization meetings,



The Scientific Panels and the Scientific Committee started working in the right earnest during the year and deliberated on several scientific and standard making subjects which included draft standards for Trans Fatty Acids (TFA) in Partially Hydrogenated Vegetable Oil and caffeinated drinks. Further draft document on Code on Self-regulation in Food Advertisement, Food Safety in Eating Establishment, Imported Food Safety Regulations, Food Safety and Standards Regulations, Guidelines for Accreditation and Certification, Regulation on Dietary supplements, are few others under finalization. Research projects were sanctioned to National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad to undertake study on health effects of consumption of Khesari Dal and study to assess the consumption of processed and non-processed food by Indians. Indian Institute of Management (IIM), Bangalore was assigned a project to develop a template for Food Safety Plan for the Panchayats and Indian Institute of Public Health (IIPH), Hyderabad shall help FSSAI in developing training curricula for the Designated Officers, Food Safety Officers and food Handlers.

The service rules for the employees of the FSSAI were submitted to the Government for approval. Six out of nine such rules have been approved. The task of integrating various cadres of officers transferred to FSSAI under Section 90 of the Act shall commence after the approval of remaining services rules. The FSSAI has been sanctioned 355 posts for which Recruitment Rules are under finalization. The process of filling up these posts will start first by adjusting the transferred officers willing for absorption in the FSSAI.

Thus while continuing to discharge the functions under various Acts and Orders still not repealed, FSSAI worked on various steps which could bring it very close to implementation of the FSS Act. However, there are new challenges on the horizon particularly making of new, as well review of existing standards, preparing the Central and State implementation machinery for the new responsibilities, Up gradation of laboratories and creation of awareness among the consumers, Food Business operators, food handlers etc.





## 2. Mandate And Structure-

### Authority, Central Advisory Committee, Scientific committee, Scientific Panels

The Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 aims to establish a single reference point for all matters relating to food safety and standards, by moving from multi-level, multi-departmental control to a single line of command. To this effect, the Act establishes an independent statutory Authority – the Food Safety and Standards Authority of India.

Various Central Acts and orders will be repealed after commencement of FSS Act, 2006

- (1) Prevention of Food Adulteration Act, 1954,
- (2) Fruit Products Order, 1955,
- (3) Meat Food Products Order, 1973,
- (4) Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947,
- (5) Edible Oils Packaging (Regulation) Order 1998,
- (6) Solvent Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967,
- (7) Milk and Milk Products Order, 1992 etc

### Establishment of Food Safety And Standards Authority Of India (FSSAI)

Food safety and Standards Authority of India, (FSSAI) has been established by Central Government through a notification and shall exercise powers conferred on and to perform the functions assigned to, it under the FSS Act.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India is the Administrative Ministry of FSSAI. The Chairperson and Chief Executive Officer of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) are appointed by Government of India. The Chairperson is in the rank of Secretary to Government of India. The Head office of the Authority shall be at Delhi.

FSSAI has been mandated by the FSS Act, 2006 for performing the following functions:

- Framing of Regulations to lay down the Standards and guidelines in relation to ar-

ticles of food and specifying appropriate system of enforcing various standards thus notified.

- Laying down mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management system for food businesses.
- Laying down procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories.
- To provide scientific advice and technical support to Central Government and State Governments in the matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing of food safety and nutrition .
- Collect and collate data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food, residues of various, contaminants in foods products, identification of emerging risks and introduction of rapid alert system.
- Creating an information network across the country so that the public, consumers, Panchayats etc receive rapid, reliable and objective information about food safety and issues of concern.
- Provide training programmes for persons who are involved or intend to get involved in food businesses.

### Structure of FSSAI

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) consist of a Chairperson, Chief Executive Officer (CEO) as Member Secretary and 22 other Members. It conducts quarterly meetings and during the year 4 meetings were conducted. CEO FSSAI is a member without a right to vote.

### Members:

Chairperson:

Member Secretary



#### Ex-officio Members under Section 5 (1)(a)

JS (Agriculture)  
 JS (Commerce)  
 JS (Consumer Affairs)  
 JS (Food Processing)  
 JS (Health)  
 JS (Legislative)  
 JS (Medium Small and Micro Enterprises)

#### Members:

Two representatives of food industry

**From Small Scale Industry**

**From Large Scale Industry**

**Two representatives of Consumer Organizations**

**Three eminent Food Technologists/Scientist**

**Five representatives of States/Union Territories**

**Two representatives of Farmers' Organisations**

**One representative of Retailers' Organisations**

#### Central Advisory Committee (CAC)

Central Advisory Committee of the FSSAI consists of Commissioners of Food Safety of all States/ Union Territories representative of Food Industry, Agriculture, Consumer, Research Body and Food Laboratories and invitees from concerned Ministries.

The primary mandate of the committee is to be advice the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge. During the year two meetings of the committee were conducted.

#### Scientific Committee:

#### Members:

1. Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Advisor to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.
2. Dr. P.G Chengappa, Vice Chancellor, GKVK Bangalore.
3. Dr. Ashok A..Patel, Principal Scientist & Actg. Head, Dairy Technology, National Dairy Research Institute, Karnal.
4. Dr. M.S.Mithyantha, Ph.D (Agricultural Chemistry) Independent Consultant, Expert in Pesticides Residue and Contaminants, Bangalore.
5. Dr. K.C Bansal, Coordinator, Indian Council Agricultural Research Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
6. Dr. Jagadish S.Pai, Ph.D (Food Science & Technology) Expert in Functional Food, Nutraceuticals, Protein Foods & Nutritional Development Association of India, Mumbai.
7. Chairperson of the Scientific Panel on functional foods, Nutraceuticals, dietetic products and other similar products.
8. Chairperson of the Scientific Panel on method of sampling and analysis.
9. Chairperson of the Scientific Panel on food additives, flavorings, processing aids and materials in contact with food.
10. Chairperson of the Scientific Panel on contaminants in the food chain.
11. Chairperson of the Scientific Panel on biological hazards.
12. Chairperson of the Scientific Panel on pesticides and antibiotics residues.
13. Chairperson of the Scientific Panel on labeling and claims/Advertisements.



14. Chairperson of the Scientific Panel on genetically modified organisms and foods.

#### Functions:

- (i) The Scientific Committee shall be responsible for providing the scientific opinions to the food Authority, and shall have the powers, where necessary, of organizing public hearings.
- (ii) The Scientific Committee shall be responsible for the general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonization of working methods of the Scientific Panel.
- (iii) The Scientific Committee shall provide opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one scientific panel, and on issues which do not fall within the competence of any of the scientific panel.
- (iv) Wherever necessary, and particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel, the Scientific Committee shall set up working groups and in such cases, it shall draw on the expertise of those working groups when groups establishing scientific opinions.

#### Scientific Panels ( 8 Panels)

- (1) Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and other similar products:

##### Members:

1. Dr V. Prakash, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
2. Dr. D. B AnanthaNarayana, Ph.D (Pharmacy) Independent Consultant, Expert in Nutraceuticals, Ayurvedic Products, Bangalore.
3. Ms. Anuja Agarwala, Dietician, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
4. Dr B. C. Ghosh, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore.
5. Dr. K. Madhavan Nair, Scientist-E, National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad.

6. Dr. Shantikumar Nair, Ph.D (Materials Science)-Columbia University, Expert in Nano Technology, Dean of Research of Amrita Vishwa Vidyapeetham (University), Kochi
7. Prof. B. Sashidhar Rao, Professor & Chairman in Department of Biochemistry, UCS Osmania University, Hyderabad, Andhra Pradesh.
8. Dr Vilas Ramrao Shirhatti, Ph.D (Chemistry), Independent Consultant, Expert in Functional Foods and Nutraceuticals, Fats and Oil, Mumbai
9. Shri Kumar Bhatia, Chief Consultant (Post Harvest Management & Marketing), Ministry of Agriculture, New Delhi.
10. Dr. N. Anandavalli, Ph. D Food Micro Biology Expert - Vice President (Tech)FAO/UN Food Safety Consultant/ Auditor, M/s Food Safety Solutions International, Cochin.
11. Dr. Anura Vishwanath Kurpad, DNB (Physiology) Dean, St. John's Research Institute, Bangalore.
12. Dr. P. D. Dwivedi, Scientist EI, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow.
13. Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, IIT, Roorkee.

#### (II) Panel for Method of Sampling and Analysis

##### Members:

1. Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, National Analytical Laboratory of National Dairy Development Board, Anand, Gujarat.
2. Dr. Rakesh Kumar Khandal, Ph.D Chemistry Analytical Expert, Shriram Institute for Industrial Research, New Delhi.
3. Dr. Pitam Chandra, Assistant Director General (Proc. Engg), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
4. Dr. N.V. Rama Rao, Ph.D Chemistry, Analytical Expert, President, Vimta Labs Ltd., Hyderabad.





5. Dr. Vasantha Muthuswamy, Former Senior Deputy Director General and Chief of Division basic medical Sciences and division of reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi (Retd.)
6. Dr. A.K Dikshit, Principal Scientist (pesticide residues) , Indian Agricultural Research Institute (IARI), Pusa Institute, New Delhi.
7. Dr. Deepa Bhajekar, Ph.D (Industrial Microbiology), Proprietor & Chief Executive officer, Micro Chem Laboratory, Mumbai.
8. Dr. M. N Manjunath, Scientist 'F', Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
9. Dr. M. K. Kundu, Consultant, Ex-edible Oils Commissioner, Government of India, New Delhi.
10. Dr Dipankar Sinha, Professor, All India Institute of Hygiene & Public Health, Kolkata.
11. Ms. Sobha Hegde, Independent Consultant, Empanelled Accreditation Assessor, Mumbai (Retried from Bureau of Indian Standards)
12. Dr. Ranjan Sharma, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Karnal.
13. Dr. Jonnalagadda Padmaja Scientist 'C' Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute & Nutrition, ICMR, Hyderabad.

### **(III) Panel for Food Additives, Flavorings, Processing aids and Material in contact with food.**

#### **Members:**

1. Dr. Amarinder Singh Bawa, Director, Defence Food Research Laboratory, Defence Research & Development Organisation, Mysore.
2. Dr. Mukul Das, Deputy Director (Scientist 'F'), Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
3. Dr. (Mrs.) Kalpagam Polasa, Deputy Director (Sr. Scientist 'F'), National Institute of Nutrition, Hyderabad.




4. Dr. Joseph Lewis, Ph.D (Chemical Technology), Independent Consultant, Expert in Labeling Food Additives, Oils and Fats, Mumbai.
5. Dr. Rajiv Dhar, Director & CEO, Indian Institute of Packaging, Mumbai.
6. Dr. K.N Gurudatt, Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
7. Dr. H.N. Mishra, Head Post Harvest Technology Centre, Chairman, Hall Management Centre IIT, Kharagpur.
8. Dr. H.P.S Sachdev, M.D. (Pediatrics), Expert in Pediatrics, Sr. Consultant (Pdiatrics and Clinical Epidemiology), Sita Ram Bharatia Institute of Science and Research, New Delhi.
9. Dr. R.B.N. Prasad, Scientist 'G', Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.
10. Dr. Banwari Lal, Ph.D (Microbiology), Direcgtor, Environmental and Industrial Biotechnology, TheEnergy and resources Institute, New Delhi.
11. Dr. Satish Kulkarni, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore.

### **(IV) Panel for Contaminants in the Food Chain:**

1. Dr. Shiv Lal Special DGHS & Director, National Institute of Communicable Disease, Director General of health Service, Delhi.
2. Dr. A.K. Sharma, Scientific officer 'H' Head, Food Technology Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.
3. Dr. S.K Mendiratta, Senior Scientist, Indian Veterinary Research Institute Izatnagar.
4. Dr. T.K Srinivasa Gopal, Principal Scientist, Head Packaging Sections., Fish Processing Technology, Central Institute of Fisheries Technology, Cochin.
5. Dr. Krishna Jha, Principal Scientist (Microbiology), Indian Council of Agricultural Research, Bhopal.
6. Dr. P Subbian Director (Agribusiness Development), Tamil Nadu Agricultural





University, Coimbatore.

7. Dr. K.L. Gaba, Ph.D (Agricultural, Dairy Animal Husbandry)- NDRI Karnal, Independent Consultant, Expert in Food Additives, Functional Foods and Milk and milk products, New Delhi.
8. Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
9. Dr. G. Vijayalakshmi, Scientist 'F', Central Food Technological Research Institute, Mysore.
10. Dr. Rashmi Kulshrestha, Ph.D (Pharma), Expert in Pesticides Residues and Contaminants, Food and Pharma Regulatory Consultant, Regulatory Wisdom, New Delhi.
11. Dr. V.K. Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan H.P.
12. Shri Praveen Gangadhar, Independent Consultant, Food Safety Expert, Quality Management Services, Delhi (Retired from BIS).

#### **(V) Panel for Biological Hazards**

##### **Members:**

1. Dr. Ashwani Kumar, Scientist 'G' and Head, Environmental Biotechnology, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
2. Dr. Naresh Kumar, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Indian Council of Agricultural Research, Karnal.
3. Dr. Ashish Motiram Paturkar, Professor and Head of Department, Bombay Veterinary College, Mumbai.
4. Dr. Bhupinder Singh, Senior Scientist, NRI, IARI, New Delhi.
5. Dr. Prem Kumar Jaiswal, Ex-Director (Laboratories), Dept. of Agriculture and Cooperation, Central Agmark Laboratory, Nagpur.
6. Dr. Joginder Singh Berwal, Ph.D (Meat Technology), Independent Consultant, Expert Meat Technology, New Delhi.

7. Dr. A. Laxmaiah Deputy Director (Scientist 'E'), National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research, Hyderabad.
8. Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist, Central Research Institute for Dryland Agriculture Indian Council Agriculture Research, Hyderabad.
9. Dr. Jamuna Prakash, Reader, Department of Food Science and Nutrition, University of Mysore.
10. Dr. D. Narasimha Rao (Retd.), Scientist 'F' and Head of the Department, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
11. Dr. Ravi Shankar, C.N Senior Scientist, Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries technology (IACR), Cochin.
12. Dr. Malabika Roy, Scientist 'F' / Deputy Director General (Sr. Gr.) Div. of Reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi.

#### **(VI) Panel for Pesticides and Antibiotic Residues:**

1. Dr. Debabrata Kanungo, Additional Director General (St.), Directorate General of Health and Family Welfare, New Delhi.
2. Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Senior Scientist, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
3. Dr. V. Sudershan Rao, Scientist 'C', National Institute of Nutrition, Hyderabad.
4. Dr. B. Surendra Nath, Principal Scientist, NDRI, Bangalore.
5. Dr. Jai Raj Behari, Scientist 'F', Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
6. Dr. A.G. Appu Rao, Scientist 'G', CFTRI, Mysore.
7. Dr. K.K. Sharma, Network Coordinator, AINP on Pesticide Residues in Project Coordinating Cell, IARI, New Delhi.
8. Dr. Tapan Chakrabarti, Scientist G and Acting Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur.
9. Mrs. Mohini Srivastava, Public Analyst, Prevention of Food Adulteration, Delhi.



10. Dr. S.K. Handa, World Health Organization, Consultant, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

11. Gurudayal Singh Toteja, Scientist 'F', Indian Council of Medical Research, New Delhi.

#### (VII) Panel for Labeling and Claims Advertisements:

##### Members:

1. Dr. B. Sasikera, Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
2. Shri Darshan Singh Chadha, Senior Technical Advisor, Confederation of Indian Industry, New Delhi (Retd. From Government of India).
3. Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, New Delhi.
4. Sh. Pradeep K. Chaudhary, Independent Consultant, Expert in Food Additives, Food Labeling, Nutritional Food, Gurgaon.
5. Dr. Mridul Salgame, Ph.D (Dairy Microbiology)- Analytical Expert, Managing Director, IADFAC Laboratories, Bangalore.
6. Dr. S. Prema Kumari, Ph.D (Food Science and Nutrition), Nutrition Expert, Prof. and Head, Avinashilingam, University for Women, Coimbatore, Tamil Nadu.
7. Dr. Pullabhatla Srinivas, Head, Plantation Products, Spices and Flavour Technology, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
8. Dr. D.P. Attrey, Ph. D Food Science (Meat Science) Professor Emeritus & Consultant in SASTRA University, Thanjavur (Tamil Nadu), DRDO, Ministry of Health, APEDA, DST, BHU, Independent Consultant- Expert in Food Safety, ISO- 9001, 17025, 22000, GAP,GCP,GLP,&GMP, Noida.
9. Dr. R.R. B Singh, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Karnal.
10. Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Nagpur Veterinary College, Nagpur.

11. Dr. S.K. Khana, Retired Director Grade Scientist, Head Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.

#### (VIII) Panel for Genetically Modified Organisms and Foods:

##### Members:

1. Dr. P.L. Gautam, Chairman, National Biodiversity Authority, Ministry of Environment and Forests, Chennai.
2. Dr. Ramesh V Bhat, Consultant, FAO, Hyderabad.
3. Dr. M. Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
4. Dr. P. Balasubramanian, Director, Centre for Plant Molecular Biology, Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore.
5. Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Scientist 'F', Central Food Technological Research Institute (Council of Scientific and Industrial Research), Mysore.
6. Dr. J. Nagaraju, Scientist 'G', & Group Leader, Centre of DNA Finger Printing & Diagnostics, Hyderabad.
7. Dr.D. Yogeswara Rao, Scientist 'G' and Head Technology Networking and Business Development Division, CSIR, New Delhi.
8. Dr. A.B. Dongre, Principal Scientist, central Institute of Cotton Research, ICAR, Nagpur.
9. Dr. S.R. Rao, Scientist 'G', Department of Bio-technology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.
10. Dr. R.P. Singh, Professor, Department of Bio-technology, Indian Institute of Technology, Roorkee.
11. Dr. Satwinder Singh Marwaha, CEO, Punjab Bio-technology Incubator, SAS Nagar, Punjab.
12. Dr. Parmjit Singh Penashar, Assistant Professor, Department of Food and Engineering Technology, Sant Longowal Engineering and Technology, Longowal, Punjab.
13. Dr. Subash Chand, Professor, Indian Institute of Technology, Delhi.

**NB : Apex court observation taken into account to re-constitute the Scientific Panel and Committee.**





### 3. Important Milestones:-

- (i) All provisions of FSS Act have been enabled and operationalized (Notification Issued)
- (ii) Draft FSS rules forwarded to Ministry of Health and Family Welfare, for notification.
- (iii) Section-47 (5) of the FSS Act has been invoked with respect to imported food.
- (iv) 8 Scientific Panels and one Scientific Committee have been re-constituted, and had regular meetings on different aspects of guidelines/draft regulations etc.
  - a. A draft framework for interim arrangement of GM, processed food was approved by the Authority, but the same is to be regulated under Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill 2010, moved by the Department of Biotechnology Government of India.
  - b. Draft regulations on Trans Fatty Acids (TFA) in Partially Hydrogenated Vegetable Oils (PHVO's) finalised and forwarded to Ministry of Health and Family Welfare. The Draft regulations on Food for special Nutritional or Dietary uses prepared and is under consideration of panel.
  - c. A pilot project called "Safe Food, Tasty Food" for upgrading safety and quality of food served in eating establishment across the country circulated to state/UT, for consultation.
  - d. Expert group constituted to handle-
    - AMAZE BRAIN FOOD
    - FATS AND OILS
    - CAFFEINATED DRINKS

- (v) Central Advisory Committee meetings held during the year with full quorum.



Central Advisory Committee Meeting in Progress

- (vi) Accounts of FSSAI have been finalised u/s 83 of FSS Act.
- (vii) Draft Guidelines were framed on Conflict of interest, Disclosures, Confidentiality protocols for members.
- (viii) Expression of Interest (EOI) invited for Development and Implementation of scheme for undertaking-
  - Research and Development,
  - Establishment of Food safety Centers
  - Centers of Excellence.

For Centre of excellence In the 1st phase National Dairy Research Institute (NDRI), National Dairy Development Board (NDDB) and National Institute of Nutrition (NIN) have been identified for working with the authority in areas of Milk supply, Safety in Milk processing, and Nutritional issues. An action plan for milk safety has been drawn.





(ix) Drafts drawn/and under discussions-

- Safety standards of Alcohols
- Water quality standards

(x) Draft guidelines for accreditation and certification of Food Safety systems have been drawn up and shall be the basis for Food Safety Management System (FSMS) to be adopted, by the Authority as the standards for industry.

### Prevention Of Food Adulteration Act, 1954

The Act was promulgated by Parliament in 1954 to make provision for the prevention of adulteration of food, along with the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 which was incorporated in 1955 as an extension to the Act. Broadly, the PFA Act covers food standards, general procedures for sampling, analysis of food, powers of authorized officers, nature of penalties and other parameters related to food. It deals with parameters relating to food additives, preservative, colouring matters, packing & labeling of foods, prohibition & regulations of sales etc. Like FPO, amendment in PFA rules are incorporated with the recommendation made by the Central Committee of Food Standards (CCFS) which has been setup by Central Government under the Ministry of Health and Family Welfare comprising members from different regions of the country. The provisions of PFA Act and Rules are implemented by State Government and local bodies as provided in the rules. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 will be repealed from the date to be notified by the Central Government as per the Food Safety and Standards Act, 2006. Till that date new standards are specified, the requirement and other provisions of the PFA Act, 1954 and Rules, 1955 shall continue to be in force as a transitory provision for food standards.

### Fruit Product Order (FPO), 1955

Fruit Products Order -1955, promulgated under Section 3 of the Essential Commodities Act - 1955, with an objective to manufacture fruit & vegetable products maintaining sanitary and hygienic conditions in the premises and quality standards laid down in the Order. It is mandatory for all manufacturers of fruit and vegetable products including some non fruit prod-



ucts like non fruit vinegar, syrup and sweetened aerated water to obtain a license under this Order. Following minimum requirements are laid down in the Fruit Product Order for hygienic production and quality standards:

- (i) Location and surroundings of the factory
- (ii) Sanitary and hygienic conditions of premises
- (iii) Personnel hygiene
- (iv) Portability of water
- (v) Machinery & Equipment with installed capacity
- (vi) Quality control facility & Technical staff
- (vii) Product Standards
- (viii) Limits for preservatives & other additives

This order was earlier implemented by Ministry of Food Processing Industries (now by FSSAI) through the Directorate of Fruit & Vegetable Preservation, Headquarter at New Delhi. The Directorate has five regional offices with headquarter located at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati as well as a sub-office at Lucknow under Northern Region. The field officers of the Regional Offices undertake periodic inspections of the manufacturing units to ensure maintenance of hygienic conditions in the factory and draw random samples of products from the factories as well as from markets which are analyzed in the laboratories to test their conformity according to the specifications laid under FPO.

The Central Fruit Product Advisory Committee comprising of the officials of concerned Government Departments, Technical experts, representatives of Central Food Technology Research Institute, Bureau of Indian Standards, Fruits and Vegetable Processing Industry and Consumer Organization for recommending amendments in the Fruit Product Order.

### Meat Food Products Order (MFPO) 1973

- Consumption of meat & meat products and consumers preference to these products is gradually increasing. In Meat & Meat Processing sector, poultry meat is the fastest





growing animal protein in India. Per capita consumption of meat products has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005. This is expected to grow further in coming years.

- Indian consumers prefer to buy fresh meat from the wet market, rather than processed or frozen meats. A small percentage of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this only about 1-2 % undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports.
- Meat & Meat Products are highly perishable in nature and can transmit diseases from animals to human-beings. Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order, (MFPO) 1973 which was hitherto being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f. 19.03.2004 on being transferred from the Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture.
- The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry etc.
- Under the provision of MFPO all manufacturers of meat food products engaged in the business of manufacturing, packing, repacking, relabeling meat food products meant for sale are licensed but excluding those manufacturers who manufactures such products for consumption on the spot like a restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment.
- Depending on the source of meat the manufacturers are licensed under category A, B & C. Presently, 279 units are licensed under MFPO as on 31.03.2011. Region-wise details are given below: -

| Region          | Category A | Category B | Category C | Total |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Western Region  | 15         | 44         | 48         | 107   |
| Southern Region | 20         | 38         | 40         | 98    |
| Northern Region | 16         | 42         | 43         | 101   |
| Eastern Region  | 7          | 8          | 18         | 33    |
| TOTAL           | 58         | 132        | 149        | 339   |

- Production of meat is governed under local by-laws as slaughtering is a state subject and Slaughterhouses are controlled by local health Authorities. The current meat production is estimated at 1.9 million MT; out of which about 21% is exported.
- India exports more than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and it's near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly.
- Due to emerging health threats of the diseases communicable to Human through meat, the meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding meat and poultry products processed in clean and sanitary environment In metros and urban areas there are upcoming demands for "convenience items" such as semi cooked, ready-to-eat, ready-to-cooked meat food products.

#### Milk & Milk Product Amendment Regulations - 2009 (MMPR-09)

Consequent upon de-licensing of Dairy Sector in 1991 under Industrial Development & Regulation Act, the Department of AH, Dairying & Fisheries had promulgated the Milk and Milk Product Order (MMPO) 1992, under section 3 of the Essential Commodities Act 1955. The objective of the order is to maintain and increase the supply of liquid milk of desired quality in the interest of the general public and also for regulating the production, processing and distribution of milk and milk products. As per the provisions of this order, any person/dairy





plant handling more than 10,000 liters per day of milk or 500 MT of milk solids per annum needs to be registered with the Registering Authority appointed by the Central Government.

There is no restriction on setting up of new dairy units and expansion in the milk processing capacity, while noting the requirement of registration is for enforcing the prescribed Sanitary and Hygienic Conditions, Quality and Food Safety Measures as specified in Vth Schedule of MMPO-1992. To comply with the provisions of Para 5 (5) (B) of MMPO-92, two inspection agencies i.e. National Productivity Council (NPC) and Export Inspection Council (EIC) of India have been notified for annual inspection of registered dairy units, on rotation basis.

Where the entire activity of procurement, processing and marketing of the dairy units lies within the State or Union Territory, the Registering Authority shall be an officer of the concerned State Govt. or U.T. and the dairy unit handling more than 200.0 TLPD of milk or 10,000 MT of milk solids per annum shall be registered by the Central Registering Authority. Accordingly Registering Authority shall deal with applications of registration and issue Registration Certificate under this order and perform within its jurisdiction.

Since inception the Central and the State Registering Authorities have registered 984 dairy units with combined milk processing capacity 1163.28 lakh litres per day in Cooperative, Private and Government Sector upto 31.03.2011. Further the Central Registering Authority (CRA) has granted 21 new registration units which enhanced the milk processing capacity of 14 dairy units and cancelled the registration of 7-dairy unit during 2010-11. The number of dairy unit inspected by notified inspection agencies i.e. NPC & EICI are 316 units.

#### 4. CODEX Matters:-

FSSAI was declared as National Codex Control Point (NCCP) of India for making liaison with Codex Alimentarius Commission and coordinating codex activities within India. Guidelines for participation of Codex meetings, preparation of response to Codex matters were prepared and subsequently notified.



(A training program on Codex under progress at Head office, Delhi)

The Shadow Committees of the Codex have been set up in various ministries related to specific areas, The NCCP coordinates the work of shadow committees.

From time to time India is represented in the Codex meetings held at various international locations. Among the issues taken up by Indian delegation are Standards relating to Apple, Standard for Chilli Sauce Procedure for cross border inspections and draft standards for infant foods. Sh. Sanjay Dave, Director, APEDA (Agricultural & Processed Food Products Export Development Agency) has been proposed recently as Chairperson of International Codex committee, by Government of India.

FSSAI participated in various Codex meetings - 26th Session of Codex Committee on General Principal (CCGP) held in Paris, (April 2010), 34th Session of Codex Alimentarius Commission (CAC) held in Geneva, (July 2010), 17th Session of Coordinating Committee for Asia (CCASIA) held in Indonesia (Nov 2010).



## 5. Laboratories:-

A Gap analysis was conducted by Quality Council of India (QCI) for 50 Food Laboratories across the country.



(A visit to FRSL, Gaziabad, by CEO, FSSAI)

The report of Gap analysis so received from QCI has been submitted to the States and Union Territories for taking necessary action which includes, up gradation of laboratories in terms of infrastructure, procurement of testing equipments, identification of manpower and training thereof and get NABL (National Accreditation Board for Laboratories) accreditation.

Public Analyst examination has been conducted on All India basis.

### Food Research & Standardization Laboratory, Ghaziabad

Food Research and Standardisation Laboratory, Ghaziabad was established in 1971 under Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, to check adulteration and to undertake analysis of food samples from market for the purpose of determining their quality and purity.

Food Research and Standardisation Laboratory is an Appellate Laboratory (Central Food Laboratory) under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 to check the adulteration of food samples.

Apart from Laboratory, there are other Central Food Laboratories situated in Kolkata, Mumbai, Sonauli, Raxual (Sonauli and Raxaulla laboratories are located on Indo-Nepal Border).

### Central Food Laboratory, Kolkata

Central Food Laboratory, Kolkata was established in 1955 under Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi to undertake analysis of food samples from all over the country and from market to determine the quality and purity of the food and to lay down standards for food Articles. Initially the Central Food Laboratory was established in the premises of All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, afterwards it was shifted to its own building situated at 3, KYD Street, Kolkata-700016.

Prevention of Food Adulteration Act, strives to ensure quality and safety of food, both domestic and imported. There has been constant effort to make the laboratory a Centre of Excellence. The Laboratory is in the process of Accreditation from National Accreditation Board for Laboratories (NABL).

### Details of Number of Samples Analysed and Found Adulterated at the Four Central Food Laboratories during the year 2010-11

| Name of the Central Food Lab | From trial Courts under Section 12 (2A) 13 (2B) of the PFA Act |             | From Customs, Court Health Officers, Government Department & Specials Samples not connected with PFA Act |             | Investigational Samples and those of Collaborative Studies |             | Total    |             |
|------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|----------|-------------|
|                              | Analysed   | Adulterated | Analysed   | Adulterated | Analysed   | Adulterated | Analysed | Adulterated |
| CFL, Pune                    |  |             |  |             | 48   |             | 1086     | 554         |
| CFL, Kolkata                 |  |             |  |             | 86   |             | 1072     | 49          |
| FRSL, Ghaziabad              |  |             |  |             |  |             | 575      | 406         |
| CFTRI, Mysore                |  |             |  |             | 100  |             | 3994     | 821         |

\* Blank Columns/Rows indicate data under compilation.



## 6. Training and Capacity Building:-



(Training program being conducted at Head Office, Delhi)

Draft Training policy statement drawn by the Authority is under consultation with stakeholders. The document outlines the strategy for capacity building and Human resources Development in Food Safety Sector which shall be carried forward by the stakeholders and other partners.

### Major Initiatives:

- Orientation Training programme for Food Safety Commissioners (FSC), at FSSAI head office at New Delhi.
- Training of Trainers (ToT) programs for Food Safety Officers were conducted at various places in the country. The downline program by trainers have also been conducted at a few states.
- 5 day programme for Designated Officers at various locations in the country
- Regional Workshop- For understanding preparedness- of States /Union Territories for Implementation of FSS Act and Rules.

### International Programmes

- International Conference on Best Practice in Food Safety Implementation organized

in collaboration with Tata Energy Research Institute and Michigan State University (MSU) from 9th-11th November, 2010 at New Delhi.

- FSSAI officials nominated for overseas trainings on laboratory, fellowships

### Workshops

Workshops and other similar programmes were arranged throughout the year on Food Safety stakeholders including Customs, Airport Authority, Ministry of Shipping, Custom House Agents & Import & Export associations etc.

### In addition the following programmes were organised on:

- Sevottam- Citizen charter
- Quality- ISO Systems ISO 2000, 17025 other Quality systems
- Empowering of Mission Food Safety
- Stake holder's Consultation- Imports, Framing of Regulations
- Food Safety Lecture Series
- Codex Trainings
- Training for FSSAI Authorised Officers.

### Linkage With Professional Institutions

- Indira Gandhi National Open University (IGNOU), for developing syllabus in imparting skills to housewives, young girls.
- Indian Institute of Public Health (IIPH), Hyderabad for capacity building i.e. designing



course contents for state regulatory staff Food Safety Officer, Designated Officer, Adjudicating Officer and Food Handlers.

- c. National Institute of Nutrition, (NIN) Hyderabad – for Dietary Supplements
- d. Institute of Management (IIM) Bangalore – for Food Safety Plan.
- e. National Dairy Research Institute, Karnal – Centre for excellence
- f. National Dairy Development Board, Anand – Centre for excellence
- g. Export Inspection Council – Testing of Import Food Samples.
- h. Quality Council of India (QCI) – Gap studies for Laboratories.
- i. CFTRI Mysore – Nodal Laboratory in Mysore for Meat issues.
- j. Agricultural & Processed Food Products Export Development Agency (APEDA) – exchange of information with reference to SPS measures to harmonize the standards.
- k. Indian Veterinary Research Institute (IVRI) – Meat related issues.

## 7. Administration and Human Resources:-

New structure of FSSAI was approved and 355 posts sanctioned as per details attached. Posts of all the Directors have been filled up at headquarters and at laboratories. Efforts were made during the year for filling up the posts as per the advertisements. The deemed deputation for employees u/s 90 Act will be regularized during the next year i.e. during 2011-12. The total strength of the employees of Authority on 31st March 2011 is 189.

### Offices

Offices at Ports including Airports have been established in the premises offered by Port authorities for Authorized Officer to handle Imported Food. Regional office premises also finalized at Mumbai and NBCC place, at Delhi.

Hon'ble Health Minister has accorded in principle approval for construction of a FSSAI Head Office, in allocated space, near FDA Bhawan, New Delhi

The services of Logistics, Housekeeping, Security, Fire and safety, Air-conditioning

Horticulture, Plasma TV in committee room and conference hall are fully functional. Approval is accorded at Headquarters for similar services at hired premises at various locations for ensuring safe and good quality of working.

As the regular recruitment process for the posts sanctioned by the ministry, takes time, certain technical services are outsourced through a local reputed HR agency.

### Regional Offices of FSSAI

- A. **Northern Region**-(FSSAI, East Tower, 1st Floor, NBCC Place Pragati Vihar, Bhisham Pitamah Marg, New Delhi-110003) Ph-(011-24360936)
  - (i) Sub Region Office FSSAI Hall No.3, 9th Floor, Kendriya Bhawan, Sector H, Aliganj Lucknow -226024 Ph :0522-2381899
  - (ii) Sub Region Office FSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection, 2nd Floor, Kendriya Sadan, Sector – 9A, Chandigarh – 110017
- B. **Southern Region**-FSSAI, Southern Region, C-10 D, Rajaji Bhawan, Besant Nagar, Chennai- 90 Ph : 044-24912421 Fax : 044-2443569



(Authorised Officer (Chennai Dock)- FSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection, Shastri Bhawan, 4th Floor 6th Block, 26, Haddows Road Chennai - 600006  
Ph : 044-28278065, Fax : 044-28271738, Mobile : 0944201926

- C. **Eastern Region-** FSSAI, Eastern Region, Mayukh Bhawa, Top Floor, Salt Lake, Kolkata, Ph : (033-235580391) Fax: 033-235845625

Authorised Officer (Kolkata Dock)

FSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection, CGO Complex, 4th Floor, A-Wing, DF-Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata- 700064

- D. **North Eastern Region-** FSSAI, North Eastern Region, 6th Mile, Panjabari Road, PO Paryabari, Guhawati 761037, Telefax : 0361-2332446

Shri. Pancham, Senior Inspecting Officer

- E. **Western Region-** FSSAI, Western Region, Old CGO Building, 101, M.K. Marg Mumbai, PH : 022-22071474, Fax : 022-2205206, e-

1. Shri Ais Kumar, Senior Inspecting Officer-

Authorised Officer - JNPT, Mumbai

2. Dr. S.K. Halder, Senior Marketing Officer Authorised Officer- Haldia Dock, FSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection, New CGO Building, New Marine Lines, Mumbai - 400020 Ph : 022-22091103

Annual Reports from Milk units, Meat offices, Fruits & Vegetables Products departments and test reports from Laboratories were collected and compiled from time to time.

**Inter-ministerial Coordination:** FSSAI coordinated with various ministries departments States/UT Governments and other government agencies on various Food safety issues..

**Welfare and Grievances:** A Committee for handling sexual harassment in work place has been constituted.

Committee constituted to examine and dispose cases under Assured Career Progression and Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS)

**Official Language:** All orders/ Circulars related to Rajbhasha as issued from the Department of Official language were circulated and implemented.

The name plates, stamps, letter heads, file covers similar stationary were got printed in bilingual format as circulated. FSSAI is following the directions issued by Rajbhasha samiti for implementation of Official language and taking action further.

### Statement Indicating Posts in FSSAI (Hq)/Zonal/Sub-Zonal Office/Laboratories

| Designation                       | Pre-revised Pay Scale | Revised pay band (Rs.) | Grade pay (Rs.) | Posts retained | Posts sanctioned by MOF | Total Posts |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Chairperson, FSSAI                | 26000 (Fixed)         | 80000 (Fixed)          | Nil             | 1              |                         | 1           |
| Chief Executive Officer           | 22400-24500           | 37400-67000 [PB-4]     | 12000           | 1              |                         | 1           |
| Dy. CEO (Sanctioned Separately)   | 18400-22400           | 37400-67000 [PB-4]     | 10000           | 0              | 1                       | 1           |
| Chief Scientific Advisor          | 22400-24500           | 67000-(A1@3%-79000)    |                 | 0              | 1                       | 1           |
| Scientist Group IV(5)             | 16400-20000           | 37400-67000 [PB-4]     | 8900            | 0              | 2                       | 2           |
| Scientist Group IV(4)             | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 0              | 4                       | 4           |
| Scientist Group IV (3)            | 12000-16500           | 15600-39100 [PB-3]     | 7600            | 0              | 6                       | 6           |
| Scientist Group IV (2)            | 10000-15200           | 15600-39100 [PB-3]     | 6600            | 0              | 6                       | 6           |
| Scientist Group IV (1)            | 8000-13500            | 15600-39100 [PB-3]     | 5400            | 0              | 12                      | 12          |
| Chief PAQA Officer                | 18400-22400           | 37400-67000 [PB-4]     | 10000           | 0              | 1                       | 1           |
| Chief Enforcement Officer         | 18400-22400           | 37400-67000 [PB-4]     | 10000           | 0              | 1                       | 1           |
| Chief Management Services Officer | 18400-22400           | 37400-67000 [PB-4]     | 10000           | 0              | 1                       | 1           |
| <b>Sub Total</b>                  |                       |                        |                 | 2              | 35                      | 37          |
| <b>DIRECTORS</b>                  |                       |                        |                 |                |                         |             |
| Director (PAQA)                   | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 0              | 1                       | 1           |
| Director (Surveillance)           | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 1              |                         | 1           |
| Director (Enforcement)            | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 1              |                         | 1           |
| Director (Management Services)    | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 1              |                         | 1           |
| Director (Codex Division)         | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 0              | 1                       | 1           |
| Zonal Director (04 Zones)         | 14300-400-18300       | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 0              | 2                       | 2           |
| Zonal Director (New Delhi Zone)   | 14300-400-18300       | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 1              |                         | 1           |
| <b>Sub Total</b>                  |                       |                        |                 | 4              | 4                       | 8           |
| <b>FINANCIAL ADVISOR</b>          |                       |                        |                 |                |                         |             |
| Financial Advisor                 | 14300-18300           | 37400-67000 [PB-4]     | 8700            | 0              | 1                       | 1           |
| <b>Sub Total</b>                  |                       |                        |                 | 0              | 1                       | 1           |
| <b>JOINT DIRECTORS</b>            |                       |                        |                 |                |                         |             |
| Joint Director (PAQA)             | 12000-16500           | 15600-39100 [PB-3]     | 7600            | 0              |                         | 0           |
| Joint Director (Enforcement)      | 12000-16500           | 15600-39100 [PB-3]     | 7600            | 0              | 1                       | 1           |
| Joint Director (Management)       | 12000-16500           | 15600-39100 [PB-3]     | 7600            | 0              | 2                       | 2           |
| Joint Director (F&A)              | 12000-16500           | 15600-39100 [PB-3]     | 7600            | 0              | 1                       | 1           |





|   |                 |                    |      |    |    |    |
|---|-----------------|--------------------|------|----|----|----|
| Joint Director (Vig.)                     | 12000-16500     | 15600-39100 [PB-3] | 7600 | 0  | 1  | 1  |
| Joint Director (04 Zonal offices)         | 12000-375-16500 | 15600-39100 [PB-3] | 7600 | 0  | 2  | 2  |
| Joint Director (New Delhi zone)           | 12000-375-16500 | 15600-39100 [PB-3] | 7600 | 1  | 1  | 2  |
| <b>Sub Total</b>                          |                 |                    |      | 1  | 8  | 9  |
| <b>DEPUTY DIRECTOR</b>                    |                 |                    |      |    |    |    |
| Deputy Director (PAQA)                    | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  | 1  | 2  |
| Deputy Director (Surveillance)            | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  | 1  | 2  |
| Deputy Director (Enforcement)             | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  | 1  | 2  |
| Deputy Director (Management)              | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 2  | 2  | 4  |
| Deputy Director (Codex Division)          | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  | 1  | 2  |
| Deputy Director (04 zones)                | 10000-325-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 4  | 4  | 8  |
| Deputy Director (New Delhi Zone)          | 10000-325-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 2  | 4  | 6  |
| <b>Sub Total</b>                          |                 |                    |      | 12 | 14 | 26 |
| <b>ASSISTANT DIRECTORS</b>                |                 |                    |      |    |    |    |
| Assistant Director (PAQA)                 | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 0  | 2  | 2  |
| Assistant Director (Surveillance)         | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1  | 1  | 2  |
| Assistant Director (Enforcement)          | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1  | 1  | 2  |
| Assistant Director (Management)           | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 2  | 4  | 6  |
| Assistant Director (Vig.)                 | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1  | 1  | 2  |
| Assistant Director (Codex)                | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1  | 1  | 2  |
| Assistant Director (Hindi)                | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 0  | 1  | 1  |
| Assistant Director (04 Zonal)             | 8000-275-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 4  | 2  | 6  |
| Assistant Director (New Delhi Zone)       | 8000-275-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1  | 2  | 3  |
| <b>Sub Total</b>                          |                 |                    |      | 11 | 15 | 26 |
| <b>LAW OFFICER</b>                        |                 |                    |      |    |    |    |
|   | 8000-13500      | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 0  | 2  | 2  |
| <b>Sub Total</b>                          |                 |                    |      | 0  | 2  | 2  |
| <b>SR. FINANCE &amp; ACCOUNTS OFFICER</b> |                 |                    |      |    |    |    |
| Sr. Finance & Accounts Officer            | 10000-15200     | 15600-39100 [PB-2] | 5400 | 0  | 1  | 1  |
| <b>Sub Total</b>                          |                 |                    |      | 0  | 1  | 1  |

|                                       |            |                    |      |   |   |   |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------|---|---|---|
| <b>FINANCE &amp; ACCOUNTS OFFICER</b> |            |                    |      |   |   |   |
| Finance & Accounts Officer            | 8000-13500 | 15600-39100 [PB-2] | 4800 | 0 | 3 | 3 |
| <b>Sub Total</b>                      |            |                    |      | 0 | 3 | 3 |
| <b>SR. PRIVATE SECRETARY</b>          |            |                    |      |   |   |   |
| Sr. Private Secretary                 | 8000-13500 | 15600-39100 [PB-2] | 4800 | 2 | 1 | 3 |
| <b>Sub Total</b>                      |            |                    |      | 2 | 1 | 3 |

|  |  |                    |      |   |    |    |
|--|--|--------------------|------|---|----|----|
| PRIVATE SECRETARY (PS)                     |  |                    |      |   |    | 0  |
| Private Secretary (PS)-FSSAI H.Q.          | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 4 | 8  | 12 |
| Private Secretary (PS)- 04 Zones           | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 1 | 2  | 3  |
| Sub Total                                  |  |                    |      | 5 | 10 | 15 |
| PERSONAL ASSISTANT                         |  |                    |      |   |    |    |
| Personal Assistant , FSSAI, H.Q.           | 5500-9000  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 0 | 15 | 15 |
| Sub Total                                  |  |                    |      | 0 | 15 | 15 |
| TECHNICAL OFFICER                          |  |                    |      |   |    |    |
| Technical Officer (FSSAI,H.Q.)             | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 5 |    | 5  |
| Technical Officer(04 Zones)                | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |   | 10 | 10 |
| Technical Officer(New Delhi Zone)          | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |   | 5  | 5  |
| Sub Total                                  |  |                    |      | 5 | 15 | 20 |
| ADMN & ACCT. OFFICER                       |  |                    |      |   |    |    |
| Admin and Account Offi- cer(04 Zones)      | 8000-275-13500   | 15600-39100 [PB-2] | 4800 | 0 | 3  | 3  |
| Admin and Account Officer (New Delhi Zone) | 8000-275-13500   | 15600-39100 [PB-2] | 4800 | 0 | 1  | 1  |
| Sub Total                                  |  |                    |      | 0 | 4  | 4  |
| ASSISTANTS                                 |  |                    |      |   |    |    |
| Assistants -FSSAI,H.Q.                     | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 0 | 5  | 5  |
| Sub Total                                  |  |                    |      | 0 | 5  | 5  |
| PROJECT ASSOCIATES                         |  |                    |      |   |    |    |
| Project Associates- FSSAI,H.Q.             | To be taken on contract basis as per intern scheme of Department of Economic Affairs |                    |      |   |    |    |
|  |  |                    |      |   |    |    |
| LIBRARIAN                                  |  |                    |      |   |    |    |
| Librarian- FSSAI H.O.                      | 6500-10500   | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 0 | 1  | 1  |



|  |             |                    |      |    |               |    |     |
|--|-------------|--------------------|------|----|---------------|----|-----|
| Sub Total  |             |                    |      |    | 0             | 1  | 1   |
| PEON(*)  |             |                    |      |    |               |    |     |
| Peons, FSSAI, H.Q.   | 2650-4000   | 4440-7440 [-1S]    | 1650 | 22 |               |    | 22  |
| Peons (04 Zones)   | 2650-4000   | 4440-7440 [-1S]    | 1650 |    |               |    |     |
| Peons (New Delhi Zone)   | 2650-4000   | 4440-7440 [-1S]    | 1650 |    |               |    |     |
| Sub Total  |             |                    |      |    | 22            |    | 22  |
| (*) includes Sweeper, Chowkidar, Grading Attendant, Peon, Darban |             |                    |      |    | Sub total (A) |    | 198 |
| LABORATORY STAFF   |             |                    |      |    |               |    |     |
| The Central Food Laboratory, Kolkata                             |             |                    |      |    |               |    |     |
| Director   | 14300-18300 | 37400-67000 [PB-4] | 8700 | 1  |               |    | 1   |
| Jt. Director   | 12000-16500 | 15600-39100 [PB-3] | 7600 |    | 1             |    | 1   |
| Microbiologist   | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  |               |    | 1   |
| Chief Technical Officer  | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1  | 1             |    | 2   |
| Dy. Director(Admn. & Fin)  | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 |    | 1             |    | 1   |
| Senior Account Officer   | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-2] | 5400 |    | 1             |    | 1   |
| Senior Analyst   | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 2  | 1             |    | 3   |
| Pvt. Secretary   | 6500-12000  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |    | 1             |    | 1   |
| Technical Officer/lecturer                                       | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 6  | 9             |    | 15  |
| Junior Analyst (4) + Junior Analyst (Microbiologist) [1]         |             |                    |      |    |               |    |     |
| Account Assistant  | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |    | 1             |    | 1   |
| Assistant  | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |    | 2             |    | 2   |
| Senior Laboratory Assistant                                      | 4500-7000   | 5200-20200 [PB-1]  | 2800 | 4  | 1             |    | 5   |
| Laboratory Assistant   | 3200-4900   | 5200-20200 [PB-1]  | 2000 | 8  | 2             |    | 10  |
| LDC  | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 1  |               |    | 1   |
| Store Keeper/LDC   | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 1  |               |    | 1   |
| Hindi Typist/LDC   | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 1  |               |    | 1   |
| Store Clerk  | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 1  |               |    | 1   |
| Laboratory Attendant   | 2650-4000   | 4440-7440 [S-1]    | 1650 | 13 |               |    | 13  |
| Peon   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1300 | 3  |               |    | 3   |
| Durwan   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1300 | 1  |               |    | 1   |
| Watchman   | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1300 | 2  |               |    | 2   |
| Sweeper  | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1300 | 2  |               |    | 2   |
| Sub Total  |             |                    |      |    | 48            | 21 | 69  |
| FRSL, Ghaziabad  |             |                    |      |    |               |    |     |
| Director   | 14300-18300 | 37400-67000 [PB-4] | 8700 | 1  |               |    | 1   |

|                             |             |                    |      |           |           |           |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Jt. Director                | 12000-16500 | 15600-39100 [PB-3] | 7600 |           | 1         | 1         |
| Chief Technical Officer     | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1         |           | 1         |
| Microbiologist              | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1         |           | 1         |
| Dy. Director (Admn. & Fin)  | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 |           | 1         | 1         |
| Senior Account Officer      | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-2] | 5400 |           | 1         | 1         |
| Senior Analyst              | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 2         |           | 2         |
| Pvt. Secretary              | 6500-12000  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |           | 1         | 1         |
| Junior Analyst/TO           | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 4         | 11        | 15        |
| Account Assistant           | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |           | 1         | 1         |
| Assistant                   | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |           | 2         | 2         |
| Senior Laboratory Assistant | 4500-7000   | 5200-20200 [PB-1]  | 2800 | 1         | 2         | 3         |
| Laboratory Assistant        | 3200-4900   | 5200-20200 [PB-1]  | 2000 | 3         |           | 3         |
| Lower Division Clerk        | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 2         |           | 2         |
| Driver                      | 3050-4590   | 5200-20200 [PB-1]  | 1900 | 1         |           | 1         |
| Laboratory Attendant        | 2650-4000   | 4440-7440 [S-1]    | 1650 | 6         |           | 6         |
| Peon                        | 2550-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1300 | 1         |           | 1         |
| <b>Sub Total</b>            |             |                    |      | <b>23</b> | <b>20</b> | <b>43</b> |

|  |             |                    |      |          |          |           |
|--|-------------|--------------------|------|----------|----------|-----------|
| <b>Raxaul &amp; Sonauli Laboratories</b> |             |                    |      |          |          |           |
| Senior Analyst                           | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 2        |          | 2         |
| Junior Analyst                           | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 | 2        |          | 2         |
| Lab Assistant                            | 3200-4900   | 5200-20200 [PB-1]  | 2000 | 2        | 2        | 4         |
| Assistant                                | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |          | 2        | 2         |
| Peon                                     | 2650-3200   | 4440-7440 [S-1]    | 1650 |          |          | 0         |
| <b>Sub Total</b>                         |             |                    |      | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>10</b> |
| <b>Central Food Laboratory, Mumbai</b>   |             |                    |      |          |          |           |
| Director                                 | 14300-18300 | 37400-67000 [PB-4] | 8700 | 1        |          | 1         |
| Jt. Director                             | 12000-16500 | 15600-39100 [PB-3] | 7600 |          | 1        | 1         |
| Microbiologist/CTO                       | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 | 1        | 2        | 3         |
| Dy. Director (Admn. & Fin)               | 10000-15200 | 15600-39100 [PB-3] | 6600 |          | 1        | 1         |
| Senior Analyst (GM Foods)                | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1        | 3        | 4         |
| Senior Analyst                           | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-3] | 5400 | 1        |          | 1         |
| Sr. Account Officer                      | 8000-13500  | 15600-39100 [PB-2] | 5400 |          | 1        | 1         |
| Pvt. Secretary                           | 6500-12000  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |          | 1        | 1         |
| Account Assistant                        | 6500-10500  | 9300-34800 [PB-2]  | 4200 |          | 1        | 1         |





|                           |            |                   |      |    |    |     |
|---------------------------|------------|-------------------|------|----|----|-----|
| Assistant                 | 6500-10500 | 9300-34800 [PB-2] | 4200 |    | 1  | 1   |
| Junior Analyst            | 6500-10500 | 9300-34800 [PB-2] | 4200 | 1  | 8  | 9   |
| Junior Analyst (GM Foods) | 6500-10500 | 9300-34800 [PB-2] | 4200 | 1  |    | 1   |
| Sr. Lab Assistant         | 4500-7000  | 5200-20200(PB-1)  | 2800 |    | 4  | 4   |
| Lab Assistant             | 3200-4900  | 5200-20200 [PB-1] | 2000 | 4  | 2  | 6   |
| Sub Total                 |            |                   |      | 10 | 25 | 35  |
| TOTAL (B)                 |            |                   |      |    |    | 157 |
| G. Total (A)+ (B)         |            |                   |      |    |    | 355 |

#### Parliament Matters, RTI Request, Court Cases

The parliament questions raised during the session of parliament were on adulteration, pesticide residues, FSS Rules, Laboratory Standards, Constitution of scientific panels etc. The replies were compiled and forwarded to ministry of Health.

Right to Information requests were compiled and replies submitted in a time bound manner by CPIO. CEO FSSAI is appellate authority at FSSAI for RTI matters.

Notices and replies to various court notices were handled through Government counsel at various High courts



## 8. SAFETY OF IMPORTED FOOD



National Institute for Smart Government (NISG) Hyderabad was engaged by FSSAI for conceptualization, design and implementation of an Food Import Clearance system (FICS) to ensure that food imported into India, is safe.

NISG also helped FSSAI to operationalize Imported Food Clearance process at the following Sea and Air Ports.

- 1) Chennai Sea and Air Port
- 2) Mumbai Sea and Air Port Trust, Mumbai
- 3) Jawaharlal Nehru Port Trust, Nhava Sheva, Mumbai
- 4) Kolkata Sea and Air Port Trust, Kolkata and
- 5) Haldia Dock Complex, Purba, Medinipur, West Bengal
- 6) New Delhi Air Port
- 7) Tuglakabad Inland Container Depots (ICD), Dadri ICD-Delhi NCR





FSSAI notified Authorized Officers u/s 47 (5), for Imported Food Clearance, A meeting at each location was held with the involvement of all stakeholders during the year.

The Import Food Safety process includes the following steps:

1. Sampling request from Custom House Agents
2. Sampling of food item according to its hazard
3. Submission of sample to laboratory for testing
4. Receipt of laboratory report
5. Submission of No Objection Certificate (NOC) to customs for clearance of food import.



## 9. Information Education Communication (IEC)

- (i) Awareness & Communication:-

### Advertisements on Food Safety- PAN India

A more nuanced Strategy of Communication was adapted after detailed discussions with other stakeholders,. FSSAI through its empanelled agencies could finalize and release of Print Media advertisement in multilingual mode across all the country. Pamphlets, Brochures on FSSAI, and similar literature were designed and distributed.

MOU signed with DAVP for design, produce and release of TV spots at various TV channels on issues related to Food Safety and General Hygiene.

### Radio jingles on A.I.R. (PanIndia)

The Radio Jingles so finalized were broadcast on FM Gold and other channels of All India Radio- which made significant impact during the ICC World Cup Cricket 2011.

### Feature Programme on Doordarshan-"Kalyani" I

MOU signed with Doordarshan for 6 episodes of 30 minutes "Kalyani Program" on Food Safety to be telecasted through 8 regional Doordarshan stations, Lucknow, Bhopal, Jaipur, Raipur, Ranchi, Guwahati, Bhubneshwar Patna.

Awareness generation amongst cross-section of population and identification of target audience for Food Safety issues has been focal point of Communication strategy. However a more issue based awareness campaign is under preparation which shall incorporate awareness about the new Food Rules and Regulations, the aspects of Enforcement processes, Standards, Labelling, Surveillance, Food Recall. Improvement notices for general awareness about the new Food Laws and their regulations. The awareness campaign will be on multilingual and multimedia format by involvement of NGO, media resource person's trade bodies and industry association etc.





## (ii) Information Technology and Library Services:-

All works of Authority are now on electronic modes. Digitization of old records related to FPO, PFA, hoisting of FSSAI website on NIC Data centre. Servers maintained at NIC centre. FSSAI Data Recovery Centre at NIC premises, is under finalization. Security audit and e-office training and implementation by NIC team.

Software support for Imported Food clearance by NISG through in house agency M/s Logicsoft. The central licensing software design and development is under consideration and if found workable, could be integrated with inputs from states.

All FSSAI offices including at Ports including sea ports, laboratory are 100% IT enabled with modern computers and printing/reprographic devices. Once fully operational and trained, all employee will have access to e-office.

Food Safety Commissioner reporting system has been designed inhouse.

Library Services- Periodical and relevant journals on Food Technology, Food safety, etc are available at the library. All important volumes of publications are available at FDA Bhawan library, Delhi.

FSSAI has taken Institutional membership with American Centre, and British council Library Membership of DELNET (Delhi Library Net work) for reference and issue of books, journal for employees. Minutes of meeting, copies of rules regulations, notifications, career advertisements, newsletters, reports of panels and scientific committee, RFD, Training modules, and media related documents are also kept at the library for reference.



## 10. Result Framework Document (RFD-2010-11) :-

RFD for 2011-11 identified action points, deliverable and milestones. It included standards of service delivery.

### SEVOTTAM Project :-

The Vision, Mission document and other service delivery document of the authority were discussed and draft was circulated for consultation. Upon finalization it shall be the Citizen Charter of the Authority.

### Vision:

A Food Safety System of India which ensures full participation of the government, private & public institutions and organizations, food business operators, consumers and other stakeholders in the process of building and maintaining the confidence that the food available to the consumers is safe, wholesome and adheres to the highest international standards.

### Mission:

The Authority will work with stakeholders to build and maintain at acceptable levels of reliability, an effective food regulatory and monitoring system using modern science & technology and provide science-based information to the stakeholders to make choices relating to food and to lead a healthy and productive lives.

### Objectives:

- Transition from PFA and other orders to FSS Act
- Strengthening food safety regulation in the States
- Strengthening of Food Testing Laboratories facilities
- Review of existing food standards and developing new standards
- Food Safety Surveillance
- Training and capacity building for regulatory staff/ stakeholders



- Establishing the structure of the Authority
- Communication campaign on food safety
- Research and Development

#### Functions laid down under the Act:

- Framing of Regulations, Standards and guidelines in relation to articles of food
- Guidelines for accreditation of certification bodies / Laboratories
- Scientific advice and technical support to the Central Government and State Governments in matters of framing the policy and rules in areas related to food safety and nutrition
- Collect and collate data on food consumption, Incidence and Prevalence of biological risk, Contaminants in food, Residues of contaminants in food and introduction of rapid alert system
- Procedure and guidelines for Risk Analysis methodologies
- Creating Information Dissemination Network across the country about food safety
- Capacity Building for various stakeholders
- Contribute to development of International Technical Standards for food and harmonize national standards to the extent possible.
- Promote general awareness about Food Safety and Food Standards

#### Inter-se Priorities among key objectives and Success Indicators

| S r .<br>No. | Objective  | Weight | Actions   | Success Indicators  | Unit                                 | Weight                               | Target/Criteria Value  |  |  |  |  |
|--------------|--|--------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|              |  |        |   |   |                                      |                                      | Excellent<br>100%  | Very Good<br>90%   | Good<br>80%  | Fair<br>70%  | Poor<br>60%  |
| 1.           | Transition from PFA and other orders to FSS Act    | 16.00  | a) Notification of FSS Rules and Regulations<br>b) Initiate transition to the new system of licensing<br>c) Notification of the remaining sections of the Act to enable FSSAI to take up various functions  | Send draft Rules to Ministry for notification<br>Notification of Regulations<br>Finalize framework and guidelines<br>Notification of sections   | Date<br>Date<br>Date<br>Date         | 4.00<br>4.00<br>5.00<br>3.00         | 30.10.2010<br>31.01.2011<br>31.01.2011<br>31.12.2010               | 30.11.2010<br>14.02.2011<br>14.02.2011<br>17.01.2011               | 31.12.2010<br>28.02.2011<br>28.02.2011<br>31.01.2011               | 31.01.2011<br>15.03.2011<br>15.03.2011<br>14.02.2011               | 28.02.2011<br>31.03.2011<br>31.03.2011<br>28.02.2011               |
| 2.           | Strengthening food safety regulation in the States | 14.00  | a) Developing framework of the scheme for strengthening food safety regulations in states<br>b) Food Safety Management System (FSMS) and compliance arrangements<br>c) INDIA-HACCP/ accreditation arrangements  | Finalize scheme after review of existing schemes and consultation with states<br>Prepare drafts/ Start Consultation on Drafts<br>Finalize documents on FSMS<br>Prepare draft / Start Consultation on Draft<br>Finalize INDIA-HACCP  | Date<br>Date<br>Date<br>Date<br>Date | 4.00<br>3.00<br>2.00<br>3.00<br>2.00 | 05.03.2011<br>31.12.2010<br>05.03.2011<br>31.12.2010<br>05.03.2011 | 12.03.2011<br>17.01.2011<br>12.03.2011<br>17.01.2011<br>12.03.2011 | 19.03.2011<br>31.01.2011<br>19.03.2011<br>31.01.2011<br>19.03.2011 | 26.03.2011<br>14.02.2011<br>26.03.2011<br>14.02.2011<br>26.03.2011 | 31.03.2011<br>28.02.2011<br>31.03.2011<br>28.02.2011<br>31.03.2011 |
| 3.           | Strengthening Food Testing Laboratories facilities | 13.00  | a) Identification of Public food Labs<br>b) Notify food labs /finalise standard and initiate up-gradation of identified laboratories in the States over a period of two years.<br>c) Notification of food testing laboratories under section 43 of the Act<br>d) Notify procedure for referral laboratories and arrangements for audit/ certification<br>e) Notify food testing laboratories for testing food imports | Identify public food labs<br>Finalize MOU to be signed with States<br>Finalize draft notification<br>Notify referral labs/ & Finalize Auditing/ Certification arrangements for notification<br>Notify laboratories and jurisdiction | Date<br>Date<br>Date<br>Date<br>Date | 4.00<br>3.00<br>2.00<br>2.00<br>2.00 | 05.03.2011<br>05.03.2011<br>05.03.2011<br>05.03.2011<br>05.03.2011 | 12.03.2011<br>12.03.2011<br>12.03.2011<br>12.03.2011<br>12.03.2011 | 19.03.2011<br>19.03.2011<br>19.03.2011<br>19.03.2011<br>19.03.2011 | 26.03.2011<br>26.03.2011<br>26.03.2011<br>26.03.2011<br>26.03.2011 | 31.03.2011<br>31.03.2011<br>31.03.2011<br>31.03.2011<br>31.03.2011 |



|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|----|--|-------|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4. | Review of existing food standards and developing new standards | 12.00 | Develop procedures for revision of standards   | Finalize procedure for standards revision  | Date | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
| 5. | Food Safety Surveillance                                       | 9.00  | a) Creating a network of institutions/ Food Safety Centres to carry out food surveillance<br>b) Putting in place food safety groups at five major ports<br>c) Milk safety action plan in collaboration with the States/ Centre of Excellence in Milk | Draft Regulations<br>Start Consultation<br>Draft- Consultation- Guidelines<br>Identify committees and relevant issues - prepare country positions - on going process-<br>Identify institutions - Surveillance framework<br>Take up surveillance at five main ports of entry<br>Draft guidelines & Action Plan<br>MOU with identified Centres of Excellence | Date | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |       |  |  |      |      |            |            |            |            |            |

|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|----|--|------|---|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6. | Training and capacity building for regulatory staff/stakeholders | 8.00 | a) Finalize training policy for FSSAI<br>b) Orientation programme for Food Safety Commissioners/Food Safety Officers<br>c) Orientation Programme for Designated Officers & Adjudicating Officers<br>d) Collaboration with the IGNOU in finalizing training module for housewives and school children<br>e) Work with the Indian Institute of Public Health to develop training material for regulatory staff and food handlers.<br>f) Conduct exam for Food Analysts and review existing curriculum | Training Policy<br>Develop background training material & Complete training programmes for FSOs<br>Develop training material & conduct training programme in association with States where DOs and AO have been appointed.<br>Finalise project<br>Conclude MoU with IIPH<br>Conduct Exam<br>Review curriculum for food analysts<br>Post creation<br>Finalize recruitment rules<br>Establish offices at identified locations<br>Finalize Communication Strategy<br>Design campaign - Launch<br>Finalize the scheme<br>Finalize interface arrangements<br>Finalize programme - Identify projects<br>Identify centres - Finalize format for the agreement | Date | 1.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
| 7. | Establishing the structure of the Authority                      | 6.00 | a) Creation of posts and start the process of recruitment<br>b) Establish the regional offices  | Post creation<br>Finalize recruitment rules<br>Establish offices at identified locations   | Date | 2.00 | 30.10.2010 | 15.11.2010 | 30.11.2010 | 15.12.2010 | 31.12.2010 |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
| 8. | Communication campaign on food safety                            | 5.00 | a) Draw up a communication strategy<br>b) Launch a communication campaign to disseminate food safety messages<br>c) Evolve a scheme to associate NCOs and other citizen organisations in food safety<br>d) Develop industry interface for dissemination and capacity building   | Finalize Communication Strategy<br>Design campaign - Launch<br>Finalize the scheme<br>Finalize interface arrangements  | Date | 2.00 | 31.12.2010 | 17.01.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |
| 9. | Research and Development   | 4.00 | a) Launch the first tranche of R&D projects to be awarded competitively.<br>b) Identify Centres of Excellence to assist FSSAI in critical areas, carryout R&D and technical inputs in standard formulation  | Finalize programme - Identify projects<br>Identify centres - Finalize format for the agreement   | Date | 2.00 | 05.03.2011 | 12.03.2011 | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 31.03.2011 |
|    |  |      |   |  |      |      |            |            |            |            |            |





|  |      |   |   |      |      |            |            |            |            |            |
|--|------|---|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Efficient functioning of RFD system  | 5.00 | Timely submission of draft for approval   | On time submission  | Date | 2.00 | 5.3.2010   | 8.3.2010   | 9.3.2010   | 10.3.2010  | 11.3.2010  |
|  |      |   |   |      |      | 2.5.2011   | 3.5.2011   | 4.5.2011   | 5.5.2011   | 6.5.2011   |
| Improving internal efficiency/ Responsiveness/Service Delivery of the organization | 6.00 | Develop RFDs for all subordinate Offices  | Finalize a strategic plan for next 5 years  | Date | 2.00 | 10.12.2010 | 15.12.2010 | 20.12.2010 | 24.12.2010 | 31.12.2010 |
|  |      |   |   |      |      | 30.12.2010 | 10.01.2011 | 14.01.2011 | 20.01.2011 | 25.01.2011 |
| Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework                      | 2.00 | Timely submission of ATNs on Audit Paras of C&AG  | Percentage of ATNs covered  | %    | 1.00 | 100        | 95         | 90         | 85         | 80         |
|  |      |   |   |      |      | 100        | 95         | 90         | 85         | 80         |
| Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework                      | 2.00 | Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. On PAC Reports  | Percentage of ATRs submitted within due date (4 months) from date of presentation of Report to Parliament by CAG during the year. | %    | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |      |   |   |      |      | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
| Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework                      | 2.00 | Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.03.2010 | Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year.  | %    | 0.50 | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |
|  |      |   |   |      |      | 100        | 90         | 80         | 70         | 60         |

\* Mandatory Objective (s)

## Trend Values of the Success Indicators

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was established in 2008 and still is in the process of developing regulatory framework for food sector. From the section 2 above, it may be seen that most of the objectives and corresponding actions requires development of rules, regulations and guidelines. As such, indicating the trend values for the success indicators in terms of activities of FSSAI at this stage may not be practically possible. The FSSAI proposes to benchmark current levels of food safety and regulation at central, state and lower levels through a series of surveys, studies etc. This will enable us to determine the base level of food safety regulations and outline the separate targets in each area.

The communication of RFD framework was received from government on 25.06.2010. The finalisation of the RFD document was completed by 11.08.2010. Activities which spill over until next year have been indicated separately with the likely completion rate by March 2011.

## Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

- Food Safety and Standards Authority was constituted in September 2008 and the first meeting of the Authority was held in December, 2008. 8 Scientific Panels and Scientific Committee were constituted in May 2009. Central Advisory Committee of 45 Members was set up in October 2009.
- Staff belonging to various food related orders has been integrated and the current licensing procedures have been brought under the purview of FSSAI. The regional offices have also been transferred to the new Authority. The Scientific Panels and Scientific Committee have also started operations.
- The Rules and Regulations for transition from PFA to FSSA have been finalised after extensive consultations and forwarded to the Ministry for notification. It is expected that these will be rolled out in the States from September 2010 onwards. Meetings have been held with States to take stock of the readiness of the implementation of Act and the supporting measures required.
- It will be seen that in the first year Authority has been engaged in integrating the personnel from various ministries and setting up of various organs of the Authority. Systems and procedures have also been finalised for functioning of the Authority and these have received the approval of the Government. The additional scientific staff required for functioning of the Authority will be recruited as soon as the requisite number of posts are sanctioned by





the Government. Proposals in this regard have already been finalised and are being considered by the Ministry of Finance.

5. At present Authority is accessing scientific skills from a large number of agencies outside the Authority and the stakeholders. One of the main difficulties in laying down specific performance parameters for the Authority is the severe lack of information relating to critical parameters such as, food borne diseases, specific levels of contamination in various foods, awareness of food safety among the stakeholders and the absence of surveys and studies, bench marking impact of the current levels of food safety regulations. The Food Authority proposes to draw up a detailed set of surveys to profile and bench mark the current levels of food safety regulations and implementation of laws, contamination of various food items, food safety surveillance and impact of various regulatory measures. Till these data emerge in the next few years, it may not be possible to lay down any specific target in respect of success parameters.

The first 2-3 years of the Authority would be spent in establishing its regulatory presence by drawing up the various food safety regulations, revision of the current standards, initiating studies and surveys to assess the current levels of effectiveness of various food laws and levels of contamination. These are expected to be initiated during the current year. As soon as reliable and adequately disaggregated data emerge related to food safety regulations, food contamination and regulatory impact, these will be incorporated in the performance management documents of the Authority.

### Glossary of Terms

**Food Safety Plan-** refers to scheme, program or methods identifying action areas and responsibilities worked out for the accomplishment of objective of food safety in a particular locality viz. panchayat, taluka, municipality or district. This is expected to involve the village/town community, local bodies, panchayats and other stakeholders in the food safety programme.

**Food Safety Management System (FSMS)** - means the adoption of Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP), Hazard Analysis and Critical Control Point and such other practices as may be specified by regulation, for the food business. FSSAI will develop a reference Food Safety Management System which can prescribe levels of safety and provide guidance and which can at the same time, be evaluated. Such a standard should be widely available to the food business operators who can adopt them with whatever resources available and gradually achieve acceptable levels of safety. This will encourage self compliance and reduces the

need for detailed inspections.

**INDIA-HACCP-** Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - The Codex has defined HACCP guidelines which was the first published food safety management system. However, there are no freely available domestic HACCP standards. FSSAI proposes to develop its own FSSAI-India-HACCP standard which can be offered to units catering to the domestic market and a voluntary HACCP certification system against this standard. This can be used by food businesses to demonstrate compliance with safety regulations.

**Functional Foods-** are those foods that encompass potentially healthful products including any modified food or ingredient that may provide a health benefit beyond the traditional nutrients it contains. FSSAI is working on developing regulations for functional foods. Currently there are no regulations for functional foods.

**Food Additives-** mean any substance used as a typical ingredient of the food and intentionally added to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport etc. FSSAI will review the existing standards for food additives under PFA Act to harmonise with codex standards and best practice.

**Capacity Building for safety assessment of GM foods-** Food Authority has to regulate all genetically modified foods in terms of FSS Act. As an interim arrangement till final regulatory framework is ready for GM foods, FSSAI proposes to create capabilities to undertake safety assessment of GM foods as and when the relevant sections are notified by government.

**Trans fatty acids-** Trans fatty acids (TFAs) are primarily associated with Vanaspati during the process of partial hydrogenation that affects is a significant component of Indian diet. TFAs links with diabetes and Cardiovascular Diseases (CVDs) is well established. Keeping in view the risks involved, FSSAI proposes to come out with regulatory standards for TFAs.

**Centres of Excellence-** A centre of excellence is an existing institute where research and technological development is performed of a high standard, in terms of measurable scientific output (including training) and/or technological innovation. FSSAI proposes to have a framework agreement with Centres of Excellence in the country on various aspects related to food science to assist FSSAI in critical areas, carryout R&D and provide technical inputs in developing science based standards.

**Network of Institutions for Surveillance-** FSSAI proposes to have a framework for food safety surveillance, initially capturing the existing databases, coordination & networking among various institutions involved. This may include existing food science colleges, universities and other





institutions. FSSAI is developing an appropriate structure of food safety surveillance so as to advise government on the appropriate responses required and provide inputs on communicating market conditions and safety levels.

**Food Safety Groups for Import-** FSSAI will be posting Authorized Officers at all the major ports of the country in a phased manner to ensure the safety of imported food coming into India and developing a risk analysis framework for food import clearance process.

**Codex Alimentarius Commission-** The Codex Alimentarius Commission was created in 1963 by FAO and WHO to develop food standards, guidelines and related texts such as codes of practice with the objective of protecting health of the consumers and ensuring fair trade practices in the food trade, and promoting coordination of all food standards work undertaken by international governmental and non-governmental organizations. National Codex Contact Point (NCCP) is now in FSSAI. The FSSAI is strengthening codex cell in terms of infrastructure, manpower, sufficient budgetary provision so as to ensure effective participation in codex issues.

**IGNOU-** Indira Gandhi National Open University (IGNOU) is an Apex Body which co-ordinates and monitors distance education system throughout the country. It develops and produces courses for delivery through open learning and distance education mode and actively involved in research, training and extension education activities. FSSAI proposes to take help of IGNOU's expertise in launching distance training programmes to disseminate the concept of food safety upto grass root level.

**Indian Institute of Public Health-** IIPH - Hyderabad is the premier institute involved in building capacity in public health using the pool of highly qualified and diverse faculty of nationally and internationally trained public health professionals. FSSAI proposes to work with IIPH in its capacity building programme of food safety regulators and food handlers.

**Accreditation** – is the third party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks. In India, Quality Council of India (QCI) is the main Accreditation Body for accrediting agencies for certification schemes for food safety and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for food laboratories.

**Communication Campaign-** The food safety message needs to be effectively conveyed to various stakeholders such as panchayats, school children, households and industry. This is essential to build the demand for safe food and encourage steps by all concerned to take the required steps. Food safety is a multi-stakeholder activity which requires effective and focussed communication.

**NGOs-** Consumer is the main stakeholder in food safety and the activities of FSSAI have to be evaluated with reference to the effectiveness in assuring safety of food available to the consumer, effective association of consumers in standard development, capacity building, surveillance and informed choice.

**Industry Interface-** the FSS Act specifies that the primary responsibility for safety is on the food business operators. Keeping in view this FSSAI proposes to develop Industry Interface framework for dissemination of concept of food safety and capacity building to achieve the food safety.

**R&D-** Research & Development: with the mandate of laying down science based standards for food, FSSAI proposes to support research projects and related innovative R&D proposals pertaining to food safety and quality control by extending financial assistance to various institutions/Universities and recognized R&D laboratories.

**Procedure for revision of standards:** Under the law FSSAI is expected to undertake risk assessment and public consultation before it forwards its recommendation to government. Draft proposals and the risk assessment reports have to be approved by the concerned Scientific Panel and Scientific Committee before they are approved by the Authority. Since in most cases trade is involved, notification under WTO is mandatory with a period of public consultation. The drafts once finalized, are sent to Ministry of Health & Family Welfare for notification. The Ministry notifies the draft again for public comments and thereafter, sends it for notification in the gazette.

### **Specific Requirements from other Departments and Ministries**

#### **Notification of the remaining Articles of the Act**

1. The various sections of the Food Safety and Standards Act are required to be notified by the Ministry of Health & Family Welfare before appropriate rules and regulations are drawn up. The rules and regulations with respect to transition from PFA and other food related orders to FSSA have been sent to the Ministry in May 2010. This includes regulations relating to licensing which integrate the existing licensing provisions under the various orders into a single format. These rules and regulations have been drafted after extensive consultations with the stakeholders and making available the draft on the portal. Enabling notifications are required before the relevant rules and regulations are taken up.

#### **Sanctioning of posts**

2. A total of 250 posts have been brought within the purview of Food Authority from staff administering the various food related orders in the Ministry of Food Processing Industries,



Ministry of Health & F.W., Department of Animal Husbandry and, Department of Food and Public Distribution. These are the staff which have been administering the various orders and come from technical background of various disciplines. Under the Food Safety and Standards Act, the Food Authority is required to perform a number of new functions, such as, food safety surveillance, risk assessment, regulation of genetically modified food, preparation of food safety plans, food testing in laboratories, harmonisation of food standards with the international norms etc. These additional functions require expertise in a range of disciplines which are not presently available with the Authority. On the basis of experience of other Food Authorities and a review of the scientific skills required, Food Authority has drawn up a minimum requirement of posts and submitted to the Ministry. These are now under consideration of the Ministry of Finance. Approval for the required number of 150 posts is essential to enable the Authority to take up the full range of its functions as expected in the Act.

#### Adequate budget allocation

3. The budget allocation for the year 2009-10 was in the range of Rs.10 crores. For the year 2010-11, Authority had projected Rs.60 crores. This is likely to go up substantially in the coming years. Provision of adequate budgetary support by the Ministry would be essential for the performance of the functions by the Authority.

#### Working with the State Governments to ensure effective implementation of food safety laws

4. Food related laws are implemented by the Central Government, State Governments and the local bodies. While standards are determined by the Food Authority, implementation essentially rests with the State Governments. Under the new licensing provisions, sub sectors with the high risk potential or those with interstate ramifications will continue to be licensed and regulated by the Food Authority. However, the major part of food regulation will be within the purview of municipalities, panchayats and the State Governments. State Governments are required to notify the staff required for the implementation of the Food Safety and Standards Act. They will have to fill up the existing vacancies and also enable the food testing laboratories to upgrade themselves to take up food testing more reliably. Activities such as, food surveillance, sampling, prosecution cases etc. are also required to be performed by the State Governments. The existing levels of implementation of food laws vary from State to State, depending on the priorities attached to them, the resources made available and the leadership provided. The contribution of the State Governments and the local bodies will be critical to the effective implementation of the food laws in the country.

## 11. Advisories Issued

### Advisories Issued (including issued to States under PFA rules)

The existing Acts and Central orders on Food are being implemented at States and union territories.

The various ministries and departments which have data on scientific research also provided help to FSSAI in overall management of the Food Laws during the year. The PFA Wing in Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi was earlier issuing advisories to states and Union territories about adulteration, contaminations etc related to Food and the same were also reviewed from time to time.

Advisories were also issued by FSSAI, during the year as a special effort about various on going issues, including the radiation in Food after the Tsunami and radiation leak in Japan as well as contaminants of milk and milk products imported from china.

The advisories were based on inputs from panel as well as research on the subject..

- (i) Antibiotics in Honey.
- (ii) Prohibition of use of Carbide Gas for ripening of food.
- (iii) Quality Control of packaged drinking water under PFA rules.
- (iv) Misleading claims for food and beverages on T.V. and other media.
- (v) Sale of vegetable injected with hazardous chemicals & colouring of vegetables.
- (vi) Products containing in Steroid/ like substances marketed as dietary supplement.
- (vii) Adulteration of Imported edible oil at ports.
- (viii) Monitoring on pesticides residues in foods.
- (ix) Analysis of Cinnamon and Cassia samples.



## ACCOUNTS

### FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31.03.11

|  | Schedules | 2010-11<br>₹       | 2009-10<br>₹       |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Corpus/Capital Fund &amp; Liabilities</b> |           |                    |                    |
| Corpus/Capital Fund                          | 1         | 5,93,02,240        | 7,71,70,934        |
| Reserves & Surplus                           | 2         | -                  | -                  |
| Earmarked/Endowment Fund                     | 3         | -                  | -                  |
| Secured Loans & Borrowings                   | 4         | -                  | -                  |
| Unsecured Loans & Borrowings                 | 5         | -                  | -                  |
| Deffered Credit Liabilities                  | 6         | -                  | -                  |
| Current Liabilities & Provisions             | 7         | 1,10,46,809        | 1,52,56,504        |
| <b>Total</b>                                 |           | <b>7,03,49,049</b> | <b>9,24,27,438</b> |
| <b>Assets</b>                                |           |                    |                    |
| Fixed Assets                                 | 8         | 1,45,20,205        | 1,11,47,456        |
| Investment- from earmarked /endowment fund   | 9         | -                  | -                  |
| Investment- Others                           | 10        | -                  | -                  |
| Current Assets, Loans & Advances etc.        | 11        | 5,58,28,844        | 8,12,79,982        |
| Misc. Expenditures                           |           | -                  | -                  |
| ( Excess of Expenditure Over Income)         |           |                    |                    |
| <b>Total</b>                                 |           | <b>7,03,49,049</b> | <b>9,24,27,438</b> |

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 24  
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT 25

### FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

|  | Schedules | 2010-11<br>₹         | 2009-10<br>₹        |
|--|-----------|----------------------|---------------------|
| <b>Incomes</b>   |           |                      |                     |
| Income from Sale & Services                              | 12        | -                    | -                   |
| Grants/ Subsidy  | 13        | 32,37,00,000         | 21,00,00,000        |
| Fees/ Subscriptions                                      | 14        | -                    | -                   |
| Income From Investments                                  | 15        | -                    | -                   |
| Income From Royalty, Publications                        | 16        | -                    | -                   |
| Interest Earned  | 17        | 9,90,147             | 9,00,022            |
| Other Incomes  | 18        | 55,11,901            | 40,57,497           |
| Increase/Decrease in Stock                               | 19        | -                    | -                   |
| Total Income Before Prior Period Income                  |           | <b>33,02,02,048</b>  | <b>21,49,57,519</b> |
| Prior period Income                                      |           | 6,94,201             | 26,070              |
| <b>Total Income After Prior Period Income</b>            |           | <b>33,08,96,249</b>  | <b>21,49,83,589</b> |
| <b>Expenditures</b>                                      |           |                      |                     |
| Establishment Expenses                                   | 20        | 8,36,77,855          | 6,21,80,898         |
| Other Administrative Expenses                            | 21        | 25,21,81,242         | 10,39,82,613        |
| Expenditure on Grants, Subscriptions etc                 | 22        | 90,00,000            | 1,15,00,000         |
| Interest   | 23        | 15,633               | 10,262              |
| Depreciation   |           | 35,90,998            | 35,74,366           |
| Total Expenditure Before Prior Period Expense            |           | <b>34,84,65,728</b>  | <b>18,12,48,139</b> |
| Prior Period Expense                                     |           | 2,99,215             | 45,88,465           |
| Total Expenditure After Prior Period Expense             |           | <b>34,87,64,943</b>  | <b>18,58,36,604</b> |
| <b>Income over Expenditure/(Expenditure Over Income)</b> |           | <b>(1,78,68,694)</b> | <b>3,37,09,380</b>  |
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES                          | 24        |                      |                     |
| CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT              | 25        |                      |                     |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

|  | 2010-11<br>₹        | 2009-10<br>₹         |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>Schedule 1:- Corpus/Capital Fund:</b>   |                     |                      |
| Balance at the beginning of year   | 7,71,70,934         | 4,80,23,949          |
| Add: Contribution towards corpus/capital fund  | 0                   | -                    |
| Add (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from Income & Expenditure A/c | (1,78,68,694.04)    | 2,91,46,985          |
| <b>Balance as at year end:-</b>  | <b>5,93,02,240</b>  | <b>7,71,70,934</b>   |
| <b>Schedule 2:- Reserves &amp; Surplus:</b>  | <b>Current Year</b> | <b>Previous Year</b> |
| 1. Capital Reserves:   |                     |                      |
| As per last Account  | 0                   |                      |
| Add: Addition during the year  | 0                   |                      |
| Less: Deduction during the year  | 0                   | -                    |
| 2. Revaluation Reserves:   |                     |                      |
| As per last Account  | 0                   |                      |
| Add: Addition during the year  | 0                   |                      |
| Less: Deduction during the year  | 0                   | -                    |
| 3. Special Reserves  |                     |                      |
| As per last Account  | 0                   |                      |
| Add: Addition during the year  | 0                   |                      |
| Less: Deduction during the year  | 0                   | -                    |
| 4. General Reserves*   |                     |                      |
| As per last Account  |                     |                      |
| Add: Addition during the year  |                     |                      |
| Less: Deduction during the year  |                     |                      |
| Balance as at year end:  |                     |                      |
| <b>Schedule 3:- Earmarked/Endowment Fund:</b>  | <b>Current Year</b> | <b>Previous Year</b> |
| a) Opening balance of the funds  | 0                   | -                    |
| b) Additions to the funds:   | 0                   | -                    |
| i) Donations/grants  | 0                   | -                    |
| ii) Income from investment made on account of funds  | 0                   | -                    |
| iii) Other additions   | 0                   | -                    |
| <b>Total ( a+b )</b>   |                     |                      |
| c) Utilisations/Expenditures towards objective of funds                                      |                     |                      |
| i) Capital Expenditure   | 0                   | -                    |
| - Fixed Assets   | 0                   | -                    |
| - Others   | 0                   | -                    |
| Total  | 0                   | -                    |
| ii) Revenue Expenditures   |                     |                      |
| - Salaries, Wages & Allowances etc.  | 0                   | -                    |
| - Rent   | 0                   | -                    |
| - Other Administrative Expenses  | 0                   | -                    |
| Total  | 0                   | -                    |
| <b>Total ( c )</b>   |                     |                      |
| Net Balance as at year end ( a + b - c )   | 0                   | -                    |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

| Schedule 4:- Secured Loans & Borrowings:                                      | Current Year        | Previous Year        |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. Central Government   | 0                   | -                    |
| 2. State Government   | 0                   | -                    |
| 3. Financial Institutions:  |                     | -                    |
| a) Terms Loans  | 0                   | -                    |
| b) Interest accrued thereon   | 0                   | -                    |
| 4. Banks:   |                     |                      |
| a) Terms Loans  | 0                   | -                    |
| b) Interest accrued & due thereon   | 0                   | -                    |
| 5. Other Institutions & Agencies  | 0                   | -                    |
| 6. Debentures & Bonds   | 0                   | -                    |
| 7. Others   | 0                   | -                    |
| Net Balance as at year end  | 0                   | -                    |
| <b>Schedule 5:- Unsecured Loans &amp; Borrowings:</b>                         | <b>Current Year</b> | <b>Previous Year</b> |
| 1. Central Government   | 0                   | -                    |
| 2. State Government   | 0                   | -                    |
| 3. Financial Institutions:  | 0                   | -                    |
| 4. Banks:   |                     |                      |
| a) Terms Loans  | 0                   | -                    |
| b) Others   | 0                   | -                    |
| 5. Other Institutions & Agencies  | 0                   | -                    |
| 6. Debentures & Bonds   | 0                   | -                    |
| 7. Fixed Deposits   | 0                   | -                    |
| 8. Others   | 0                   | -                    |
| Net Balance as at year end  | 0                   | -                    |
| <b>Schedule 6:- Deffered Credit Liabilities</b>                               | <b>Current Year</b> | <b>Previous Year</b> |
| a) Acceptance secured by hypothecation of capital equipments and other assets | 0                   | -                    |
| b) Others   | 0                   | -                    |
| Net Balance as at year end  | 0                   | -                    |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

| Schedule 7:- Current Liabilities & Provisions: | Current Year       | Previous Year      |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>A. Current Liabilities:</b>                 | 0                  | -                  |
| 1. Acceptances                                 |                    |                    |
| 2. Sundry Creditors                            | 60,73,150          | 32,92,206          |
| - For Goods/Services                           | 15,55,235          | 95,93,700          |
| - Expenses Payable                             | 5,90,000           | 35,000             |
| 3. Advance Received                            |                    |                    |
| 4. Interest accrued but not due on:            | 0                  | -                  |
| - Secured Loans/Borrowings                     | 0                  | -                  |
| - Unsecured Loans/Borrowings                   |                    |                    |
| 5. Statutory liabilities:                      | 0                  | -                  |
| a) Overdue                                     | 13,61,770          | 20,76,265          |
| b) TDS Payable                                 | 5,25,703           | 2,58,183           |
| c) CPF Payable                                 | 0                  | 1,150              |
| d) professional tax                            | 9,40,951           | -                  |
| e) Stale Cheques                               |                    |                    |
| <b>Total (A)</b>                               | <b>1,10,46,809</b> | <b>1,52,56,504</b> |
| <b>B. Provisions:</b>                          | 0                  | -                  |
| 1. For taxations                               | 0                  | -                  |
| 2. Gratuity                                    | 0                  | -                  |
| 3. Superannuation/ Pension                     | 0                  | -                  |
| 4. Accumulated Leave Encashment                | 0                  | -                  |
| 5. Trade Warranties/Claims                     | 0                  | -                  |
| 6. Others                                      | 0                  | -                  |
| <b>Total (B)</b>                               | <b>0</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Net Balance as at year end (A + B)</b>      | <b>1,10,46,809</b> | <b>1,52,56,504</b> |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedule Forming part of Balance Sheet as on 31.03.2011:-

**Schedule 8:- Fixed Assets:-**

| Particulars                              | Balance as on 01.04.2010 | Addition upto 30.09.2010 | Gross Block Addition after 30.09.2010 | Total       | On Opening Balance | on add. before 30.09.2010 | on add. after 30.09.2010 | As on 01.04.2010 | Depreciation During the Year | Total as on 31.03.2011 | Net Block As on 31.03.2011 | As on 31.03.2010 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Land:-</b>                            |                          |                          |                                       |             |                    |                           |                          |                  |                              |                        |                            |                  |
| a) Freehold                              | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| b) Leasehold                             | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| <b>Buildings:-</b>                       |                          |                          |                                       |             |                    |                           |                          |                  |                              |                        |                            |                  |
| a) On Freehold Land                      | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| b) On Leasehold Land                     | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| c) Ownership Bhau/Parities               | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| d) Superannuation on Land                | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| e) Not belonging to entity.              | -                        | -                        | -                                     | -           | -                  | -                         | -                        | -                | -                            | -                      | -                          | -                |
| <b>Plant, Machinery &amp; Equipments</b> |                          |                          |                                       |             |                    |                           |                          |                  |                              |                        |                            |                  |
| Lab Equipments                           | 15%                      | 79,054                   | -                                     | 4,93,169    | -                  | 11,858                    | 31,059                   | -                | 42,917                       | 42,917                 | 4,30,251                   | -                |
| Water Pipeline                           | 15%                      | -                        | -                                     | 12,35,000   | -                  | -                         | 92,635                   | -                | 92,635                       | 92,635                 | 11,42,375                  | -                |
| <b>Vehicles- Ambassador Car</b>          | 15.00%                   | 5,63,772                 | -                                     | 5,63,772    | 53,271             | -                         | -                        | 2,08,603         | 53,271                       | 2,61,874               | 3,01,868                   | 3,51,199         |
| <b>Furniture &amp; Fixtures</b>          | 10.00%                   | 10,16,513                | 5,04,086                              | 6,14,332    | 82,192             | 30,409                    | 30,718                   | 1,94,598         | 1,63,318                     | 3,57,916               | 17,77,035                  | 8,21,915         |
| <b>Office Equipments</b>                 |                          |                          |                                       |             |                    |                           |                          |                  |                              |                        |                            |                  |
| 1) Electronic Attendance Machine         | 15.00%                   | 56,019                   | 24,589                                | 80,608      | 7,773              | 3,685                     | -                        | 4,201            | 11,461                       | 15,662                 | 64,946                     | 51,818           |
| 2) photocopy Machine                     | 15.00%                   | 12,09,934                | 3,26,858                              | 15,36,792   | 1,65,430           | 49,029                    | 24,269                   | 1,06,597         | 2,38,727                     | 3,45,664               | 15,14,446                  | 11,02,897        |
| 3) Refrigerator                          | 15.00%                   | 34,320                   | -                                     | 34,320      | 5,376              | 6,133                     | -                        | 5,148            | 10,509                       | 15,657                 | 1,00,438                   | 29,172           |
| 4) Scanning Machine                      | 15.00%                   | 1,56,750                 | -                                     | 1,56,750    | 21,749             | -                         | -                        | 11,756           | 21,749                       | 33,505                 | 1,23,445                   | 1,44,994         |
| 5) Vacuum Cleaner                        | 15.00%                   | 7,290                    | -                                     | 7,290       | 993                | -                         | -                        | 1,169            | 993                          | 2,162                  | 5,628                      | 6,622            |
| 6) VCA Switcher                          | 15.00%                   | 19,800                   | -                                     | 19,800      | 2,747              | 2,970                     | -                        | 1,485            | 5,717                        | 7,202                  | 32,298                     | 18,315           |
| 7) Beetal Twin Phones                    | 15.00%                   | 7,228                    | -                                     | 7,228       | 814                | -                         | -                        | 1,804            | 814                          | 2,618                  | 4,610                      | 5,424            |
| 8) Mobile Phones                         | 15.00%                   | 83,299                   | 12,400                                | 95,699      | 10,034             | 1,935                     | -                        | 16,908           | 11,969                       | 28,876                 | 67,822                     | 66,891           |
| 9) Cordless Phones                       | 15.00%                   | 8,475                    | -                                     | 8,475       | 915                | -                         | -                        | 2,376            | 915                          | 3,291                  | 5,185                      | 6,100            |
| 10) Fax Machine                          | 15.00%                   | 18,845                   | -                                     | 18,845      | 2,14,810           | -                         | -                        | 23,852           | 25,148                       | 49,000                 | 1,66,810                   | 1,44,344         |
| 11) Greer A/C                            | 15.00%                   | 13,895                   | -                                     | 13,895      | 16,042             | -                         | -                        | 4,496            | 1,732                        | 6,228                  | 9,814                      | 11,546           |
| 12) Micro Wave                           | 15.00%                   | 13,590                   | -                                     | 13,590      | 1,528              | -                         | -                        | 3,162            | 1,528                        | 4,690                  | 8,660                      | 10,188           |
| 13) Oil Field Radiator                   | 15.00%                   | 25,365                   | -                                     | 25,365      | 2,986              | -                         | -                        | 5,457            | 2,986                        | 8,443                  | 16,922                     | 19,908           |
| 14) Voltage Stabilizer                   | 15.00%                   | 25,965                   | -                                     | 25,965      | 3,121              | -                         | -                        | 5,144            | 3,121                        | 8,265                  | 17,685                     | 20,806           |
| 15) Water Dispenser                      | 15.00%                   | 6,500                    | 7,000                                 | 13,500      | 702                | 1,050                     | 525                      | 1,822            | 2,277                        | 4,098                  | 16,401                     | 4,678            |
| 16) Audio Conference System              | 15.00%                   | 10,51,812                | -                                     | 10,51,812   | 1,23,827           | -                         | -                        | 2,26,300         | 1,23,827                     | 3,50,127               | 7,01,685                   | 8,25,512         |
| 17) LCD Tv                               | 15.00%                   | 13,69,209                | 2,58,900                              | 16,28,109   | 1,70,653           | 58,535                    | 4,350                    | 2,31,520         | 2,13,838                     | 4,45,358               | 12,40,751                  | 11,57,689        |
| 18) Plasma Tv                            | 15.00%                   | 25,68,875                | -                                     | 25,68,875   | 2,97,198           | -                         | -                        | 5,87,555         | 2,97,198                     | 8,84,753               | 16,84,122                  | 19,81,320        |
| 19) Tan Shy & EPRS System                | 15.00%                   | 29,495                   | -                                     | 29,495      | 89,462             | -                         | -                        | 4,613            | 3,732                        | 8,345                  | 21,150                     | 24,882           |
| 20) Sinner Hi Path 1150 Digital          | 15.00%                   | 3,01,573                 | -                                     | 3,01,573    | 33,752             | -                         | -                        | 75,065           | 33,752                       | 1,09,041               | 1,92,532                   | 2,26,508         |
| 21) Speaker                              | 15.00%                   | 14,350                   | -                                     | 14,350      | 1,359              | -                         | -                        | 2,153            | 1,359                        | 3,982                  | 10,367                     | 12,198           |
| 22) Digital Camera                       | 15.00%                   | 33,800                   | 49,250                                | 83,050      | 3,979              | -                         | 3,694                    | 7,272            | 7,073                        | 14,945                 | 68,105                     | 26,528           |
| 23) office Appliances                    | 15.00%                   | 25,365                   | -                                     | 25,365      | 3,519              | -                         | -                        | 1,802            | 3,519                        | 5,421                  | 19,942                     | 23,461           |
| 24) Blue Ray Disc Player                 | 15.00%                   | 99,000                   | -                                     | 99,000      | 9,000              | -                         | -                        | 14,850           | 14,850                       | 14,850                 | 84,150                     | -                |
| 25) LCD Projector                        | 15.00%                   | -                        | 1,62,000                              | 1,62,000    | -                  | 24,300                    | -                        | -                | 24,300                       | 24,300                 | 1,37,700                   | -                |
| 26) Cooler                               | 15.00%                   | -                        | -                                     | -           | 72,000             | -                         | 5,400                    | -                | 5,400                        | 5,400                  | 66,600                     | -                |
| 27) Stove/Heater                         | 15.00%                   | -                        | 3,44,940                              | 3,44,940    | -                  | -                         | 25,871                   | -                | 25,871                       | 25,871                 | 3,19,069                   | -                |
| 28) Viscooler & Deep Freezer             | 15.00%                   | -                        | 68,000                                | 68,000      | -                  | -                         | 651                      | -                | 651                          | 651                    | 8,026                      | -                |
| 29) Phone                                | 15.00%                   | -                        | 3,600                                 | 3,600       | -                  | -                         | 5,100                    | -                | 5,100                        | 5,100                  | 62,900                     | -                |
| 30) DVD Writer                           | 15.00%                   | -                        | 4,239                                 | 4,239       | -                  | -                         | 4,239                    | -                | 4,239                        | 4,239                  | -                          | -                |
| 40) FAX Sky                              | 15.00%                   | -                        | 3,099                                 | 3,099       | -                  | 3,099                     | -                        | -                | 3,099                        | 3,099                  | -                          | -                |
| 41) FAX Wireless Phone                   | 15.00%                   | -                        | 1,500                                 | 1,500       | -                  | -                         | -                        | -                | 1,500                        | 1,500                  | -                          | -                |
| 42) Wall Clock                           | 15.00%                   | -                        | -                                     | 1,181       | -                  | -                         | 1,181                    | -                | 1,181                        | 1,181                  | -                          | -                |
| <b>Computer Peripherals</b>              |                          |                          |                                       |             |                    |                           |                          |                  |                              |                        |                            |                  |
| 1) Computer                              | 60%                      | 34,87,222                | 9,33,020                              | 44,20,242   | 3,84,302           | 5,59,830                  | 4,03,983                 | 23,96,146        | 13,48,315                    | 37,54,461              | 15,72,181                  | 6,40,896         |
| 2) UPS                                   | 15%                      | 3,75,604                 | 62,889                                | 4,38,493    | 5,27,491           | 9,433                     | 6,625                    | 1,28,521         | 25,628                       | 1,54,149               | 3,73,444                   | 2,96,793         |
| 3) Printer & Scanner                     | 15%                      | 17,00,597                | 1,02,096                              | 18,02,693   | 1,40,314           | 15,314                    | 3,473                    | 7,65,531         | 1,59,101                     | 9,24,632               | 9,24,724                   | 9,33,426         |
| 4) Cisco 2821 Security Bundle            | 15%                      | 1,71,366                 | -                                     | 1,71,366    | 23,769             | -                         | -                        | 12,848           | 23,769                       | 36,617                 | 1,34,691                   | 1,58,458         |
| 5) Computer Software                     | 60%                      | 91,050                   | 5,48,564                              | 6,39,614    | 33,599             | 3,29,138                  | 1,00,716                 | 35,353           | 4,24,633                     | 4,97,998               | 4,75,001                   | 55,515           |
| 6) Library Software System               | 60%                      | 2,28,800                 | -                                     | 2,28,800    | 96,296             | -                         | -                        | 68,640           | 96,296                       | 1,64,736               | 64,064                     | 1,60,160         |
| 7) Networking Equipment                  | 15%                      | 1,44,321                 | 2,08,249                              | 3,52,570    | 19,929             | -                         | 15,919                   | 35,704           | 34,911                       | 50,616                 | 3,01,955                   | 1,28,617         |
| 8) Web Cam                               | 15%                      | 18,900                   | -                                     | 18,900      | 2,481              | -                         | -                        | 2,363            | 2,481                        | 4,843                  | 14,057                     | 16,538           |
| <b>Library books</b>                     | 100%                     | 2,68,775                 | 1,11,383                              | 3,80,158    | 4,071              | 1,11,383                  | 2,53,852                 | 2,26,705         | 4,03,305                     | 6,34,010               | 2,53,851                   | 40,071           |
| <b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>             |                          | 1,47,37,754              | 32,56,788                             | 1,79,94,542 | 56,63,309          | 17,96,098                 | 12,28,622                | 10,36,506        | 53,89,639                    | 66,18,261              | 1,45,20,205                | 94,51,397        |
| <b>PREVIOUS YEAR</b>                     |                          | 1,16,44,930              | 10,05,488                             | 1,26,50,418 | 43,30,907          | 23,74,562                 | 7,97,023                 | 22,75,503        | 35,74,346                    | 58,49,849              | 1,11,47,456                | 93,85,427        |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

| Schedule 9:- Investments from Earmarked /Endowment Fund | Current Year | Previous Year |
|---|--------------|---------------|
| 1. In Government Securities                             | 0            | -             |
| 2. Other approved Securites                             | 0            | -             |
| 3. Shares   | 0            | -             |
| 4. Debentures & Bonds                                   | 0            | -             |
| 5. Subsidiaries & Joint Ventures                        | 0            | -             |
| 6. Others   | 0            | -             |
| Net Balance as at year end                              | 0            | -             |
| Schedule 10:- Investments ( Others)                     | Current Year | Previous Year |
| 1. In Government Securities                             | 0            | -             |
| 2. Other approved Securites                             | 0            | -             |
| 3. Shares   | 0            | -             |
| 4. Debentures & Bonds                                   | 0            | -             |
| 5. Subsidiaries & Joint Ventures                        | 0            | -             |
| 6. Others   | 0            | -             |
| Net Balance as at year end                              | 0            | -             |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

| Schedule 11:- Current Assets, Loans & Advances etc.                  | Current Year       | Previous Year      |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>A. Current Assets</b>   |                    |                    |
| 1. Inventories:  |                    |                    |
| a) Stores & Spares   | 0                  | -                  |
| b) Loose Tools   | 0                  | -                  |
| c) Stock in trade  |                    |                    |
| Finished Goods   | 0                  | -                  |
| Work in Progress   | 0                  | -                  |
| Raw Material   | 0                  | -                  |
| 2. Sundry Debtors:   |                    |                    |
| a) Outstanding for a period exceeding 6 months                       | 0                  | -                  |
| b) Others  | 0                  | -                  |
| 3. Cash balances in hand   | 10,000             | -                  |
| 4. Bank balances:  |                    |                    |
| a) With Scheduled Bank   |                    |                    |
| - On Current Account   | 0                  | -                  |
| - On Deposit Account   | 0                  | -                  |
| - On Saving Account  | 2,55,99,749        | 6,28,91,646        |
| b) With Non- Scheduled Bank  |                    |                    |
| - On Current Account   | 0                  | -                  |
| - On Deposit Account   | 0                  | -                  |
| - On Saving Account  | 0                  | -                  |
| 5. Post Office- Saving Account                                       | 0                  | -                  |
| <b>Total (A)</b>   | <b>2,56,09,749</b> | <b>6,28,91,646</b> |
| <b>B. Loans &amp; Advances:-</b>                                     |                    |                    |
| 1. Loans:  |                    |                    |
| a) Staff   | 17,06,473          | 8,01,279           |
| b) Other Entities engaged in similar activities                      | 0                  | -                  |
| c) Others  | 1,79,31,439        | 1,08,97,807        |
| 2. Advances recoverable in cash or kind or for value to be received: |                    |                    |
| a) On Capital Account  | 0                  | -                  |
| b) Others(security deposit)  | 1,05,81,183        | 66,89,250          |
| 3. Interest accrued :-   |                    |                    |
| a) On Investments from earmarked/ endowment fund                     | 0                  | -                  |
| b) On Bank Balances  |                    | -                  |
| c) On Loans & Advances   | 0                  | -                  |
| d) Others  | 0                  | -                  |
| 4. Claims Receivable :-  | 0                  | -                  |
| <b>Total (B)</b>   | <b>3,02,19,095</b> | <b>1,83,88,336</b> |
| <b>Total</b>   | <b>5,58,28,844</b> | <b>8,12,79,982</b> |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

| Schedule-12 - Income from Sales/ Services- | Current Year | Previous year |
|--|--------------|---------------|
| 1. Income From Sale:                       | 0            | -             |
| a) Sale of Finished Goods                  | 0            | -             |
| b) Sale of Raw Material                    | 0            | -             |
| c) Sale of Scraps                          |              |               |
| 2. Income From Services:                   | 0            | -             |
| a) Labour & Processing Receipts            | 0            | -             |
| b) Professional Consultancy fee            | 0            | -             |
| c) Agency Commission & Brokerages          | 0            | -             |
| d) Maintenance Services                    | 0            | -             |
| e) Others                                  |              |               |
| Total                                      | 0            | -             |
| Schedule-13 - Grants/Subsidies:-           | Current Year | Previous year |
|  | 32,37,00,000 | 21,00,00,000  |
| 1. Central Government                      | 0            | -             |
| 2. State Government                        | 0            | -             |
| 3. Government Agencies                     | 0            | -             |
| 4. Institutions/Welfare bodies             | 0            | -             |
| 5. International Organisations             | 0            | -             |
| 6. Others                                  |              |               |
| Total                                      | 32,37,00,000 | 21,00,00,000  |
| Schedule-14 - Fees/Subscriptions:-         | Current Year | Previous year |
|  | 0            | -             |
| 1. Entrance Fees                           | 0            | -             |
| 2. Annual Fees/ Subscriptions              | 0            | -             |
| 3. Seminar Fee/ Program Fees               | 0            | -             |
| 4. Consultancy Fees                        | 0            | -             |
| 5. Others                                  |              |               |
| Total                                      |              | -             |
| Schedule-15- Income From Investments:      | Current Year | Previous year |
| 1. Interest on:                            | 0            | -             |
| a) Government Securities                   | 0            | -             |
| b) Other Bonds/Debentures                  |              |               |
| 2. Dividends on:                           | 0            | -             |
| a) On Shares                               | 0            | -             |
| b) On Mutual Fund Securities               | 0            | -             |
| 3. Rents                                   | 0            | -             |
| 4. Others                                  |              |               |
| Total                                      | 0            | -             |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

| Schedule-16- Income From Royalty, Publications etc.       | Current Year | Previous year |
|---|--------------|---------------|
| 1. Income From Royalty                                    | 0            | -             |
| 2. Income From Publications                               | 0            | -             |
| 3 Others  | 0            | -             |
| Total   | 0            | -             |
| Schedule-17- Interest Earned:                             | Current Year | Previous year |
| 1. On Term Deposit:                                       |              |               |
| a) With Scheduled Bank                                    | 0            | -             |
| b) With Non-Scheduled Bank                                | 0            | -             |
| c) With Institutions                                      | 0            | -             |
| d) Others   | 0            | -             |
| 2. On Saving Accounts:                                    |              |               |
| a) With Scheduled Bank                                    | 9,90,147     | 9,00,022      |
| b) With Non-Scheduled Bank                                | 0            | -             |
| c) With Institutions                                      | 0            | -             |
| d) Others   | 0            | -             |
| 3. On Loans   |              |               |
| a) Employees/ Staff                                       | 0            | -             |
| b) Others   | 0            | -             |
| 4. Interest on Debtors & Other Receivables                | 0            | -             |
| Total   | 9,90,147     | 9,00,022      |
| Schedule-18- Other Incomes:                               | Current Year | Previous year |
| 1. Profit on Sale /Disposal of Assets                     |              |               |
| a) Owned Assets   | 0            | -             |
| b) Assets acquired out of grants,or received free of cost | 0            | -             |
| 2. Export Incentive Realized                              | 0            | -             |
| 3. Fees for Misc. Services                                | 54,19,065    | 40,31,972     |
| 4. Misc. Income   | 92,836       | 25,525        |
| Net Balance as at year end                                | 55,11,901    | 40,57,497     |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

| Schedule-19- Increase/Decrease in Stock of Finished Stock, W.I.P & Raw Material: |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Current Year        | Previous year       |
| a) Closing Stock   |                     |                     |
| - Finished Stock   | 0                   | -                   |
| - Work in Progress   | 0                   | -                   |
| b) Less; Opening Stock   |                     |                     |
| - Finished Stock   | 0                   | -                   |
| - Work in Progress   | 0                   | -                   |
| Net Increase/Decrease in Stock ( a - b )   | 0                   | -                   |
| Schedule-20- Establishment Expenses:   |                     |                     |
|  | Current Year        | Previous Year       |
| a) Salaries & Wages  | 8,05,94,152         | 5,75,54,136         |
| b) Allowances  | 24,90,772           | 33,91,232           |
| c) Contribution to PF  | 0                   | -                   |
| d) Contribution to Other Fund  | 0                   | -                   |
| e) Staff Welfare Expenses  | 3,374               | 2,47,704            |
| f) Expenses on Employee retirement & Benefits                                    | 0                   | -                   |
| g) Medical Expenses  | 5,89,557            | 9,87,826            |
| <b>Total</b>   | <b>8,36,77,855</b>  | <b>6,21,80,898</b>  |
| Schedule-21- Other Administrative Expenses:                                      |                     |                     |
|  | Current Year        | Previous Year       |
| a) Purchase  |                     | -                   |
| b) Labour & Processing Charges(salary to contractual Employees)                  | 92,03,823           | 56,12,540           |
| c) Cartage & Carriage Inwards  | 0                   | 28,348              |
| d) Electricity & Powers  | 37,07,360           | 45,57,303           |
| e) Water Charges   | 4,34,151            | 800                 |
| f) Insurances  | 0                   | 8,552               |
| g) Repairs & Maintenance   | 1,17,78,644         | 37,21,040           |
| h) Excise Duty   | 0                   | -                   |
| i) Rent, Rates & Taxes   | 3,70,86,349         | 2,09,29,941         |
| j) Vehicle Running & Maintenance   | 1,22,583            | 3,02,802            |
| k) Postage & Telegram  | 2,98,594            | 88,848              |
| l) Printing & Stationery   | 29,39,094           | 28,66,734           |
| m) Travelling & Conveyance Expenses  | 1,01,97,780         | 69,84,766           |
| n) Seminar, Meeting & Conference Expenses  | 37,54,765           | 36,90,377           |
| o) Subscriptions Expenses  | 2,75,251            | 2,68,467            |
| p) Fees  | 0                   | 70,000              |
| q) Auditor's Remunerations   | 2,23,981            | 66,000              |
| r) House Keeping and Security Exp  | 2,12,981            | 15,39,599           |
| s) Professional Charges  | 1,85,51,027         | 3,74,26,680         |
| t) Advertisement Expenses  | 14,18,33,263        | 67,55,565           |
| u) Others Administration Expenses  | 1,15,61,596         | 90,64,251           |
| <b>Total</b>   | <b>25,21,81,242</b> | <b>10,39,82,613</b> |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

| Schedule-22- Expenditure on Grants, Subsidies etc. |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
|  | Current Year     | Previous Year      |
| a) Grants given to Institutions/ Organisations     | 90,00,000        | 1,15,00,000        |
| b) Subsidies given to Insitutions/Organisations    | 0                | -                  |
| <b>Total</b>                                       | <b>90,00,000</b> | <b>1,15,00,000</b> |
| Schedule-23- Interest Paid                         |                  |                    |
|  | Current Year     | Previous Year      |
| a) On Fixed Loans                                  |                  |                    |
| b) On Other Loans                                  | 0                | -                  |
| c) Others  | 15,633           | 10,262             |
| <b>Total</b>                                       | <b>15,633</b>    | <b>10,262</b>      |



**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
Grouping Forming Part of Schedules

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Details of Expense payable</b>      |                  |                  |
| Advertisement                          | 0                | 1,06,812         |
| Audit Fees Payable                     | 0                | 66,000           |
| Conference Seminar Exp. Payable        | 10,88,790        | 11,21,215        |
| Interest Payable                       | 0                | 10,262           |
| Annual Maintenance Charges Payable     | 0                | 33,945           |
| Consulting Charges Payable             | 0                | 8,470            |
| Consumable Store Payable               | 0                | 41,065           |
| courier exp. Payable                   | 15,000           | 60,000           |
| Digitisation Charges Payable           | 0                | 2,90,000         |
| General Expense Payable guest house    | 11,700           | 15,000           |
| Legal Charges Payable                  | 0                | 7,855            |
| Motor Taxi Hire Charges                | 0                | 3,59,184         |
| News Paper & Subscription Charges      | 0                | 8,283            |
| Office Maintenance Payable             | 0                | 2,71,792         |
| Oil & diesel Charges Payable           | 0                | 18,594           |
| Publication Expense Payable            | 0                | 76,888           |
| Salary to contractual Employee Payable | 0                | 6,61,861         |
| Security Expense Payable               | 1,30,537         | 91,499           |
| Office Exp. Payable                    | 0                | 5,310            |
| Training Expense Payable               | 1,82,094         | 1,82,094         |
| Rent Trade & Taxex Payable             | 0                | 24,44,248        |
| salary payable                         | 73,911           | 33,71,323        |
| Telephone Exp. Payable                 | 32,634           | 28,956           |
| Interest Payable                       | 20,569           | -                |
| Travel Exp. Payable                    | 0                | 3,13,044         |
| <b>Total</b>                           | <b>15,55,235</b> | <b>95,93,700</b> |
| <b>Detail of Advances to Staff</b>     |                  |                  |
| Foreign Tour Advance                   | 10,52,354        |                  |
| Deputy director Chennai                | 1,10,000         | 60,000           |
| Deputy director Kolkatta               | 52,336           | 13,090           |
| Deputy director Mumbai                 | 10,000           | 10,000           |
| LTC Advance                            | 85,631           | 2,65,317         |
| Senior AO DO FSSAI                     | 0                | 10,000           |
| Sh. S.B. Dongre                        | 68,475           | 1,08,340         |
| Shri Anil Mehta                        | 0                | 1,69,725         |
| Ashok Kumar Dass                       | 0                | 3,300            |
| P. Karthikeyan                         | 0                | 3,000            |
| R.Vijay                                | 0                | 49,525           |
| S.K. Haldar                            | 10,000           | 30,000           |
| S.K. Sharma                            | 0                | 9,750            |
| Leave Encashment in Advance            | 0                | 69,232           |
| Deputy Director (F&VP) NBCC            | 95,000           | -                |
| Deputy Director Guwahati               | 10,000           | -                |
| J P Dongre                             | 2,09,077         | -                |
| R K Saxena                             | 3,600            | -                |
| <b>Total</b>                           | <b>17,06,473</b> | <b>8,01,279</b>  |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Detail of Other Loans:-</b>                           |                    |                    |
| Authorised Officer JNPT NHAVA SHEVA                      | 10,000             | -                  |
| ABP Pvt. Ltd.  | 14,134             | 14,134             |
| BAG Full   | 1,200              | 1,200              |
| Central food lab calcutta                                | 35,40,690          | 6,28,606           |
| Deputy director Horticulture                             | 8,510              | 8,510              |
| FRSL Ghahjiabad  | 10,00,490          | 3,63,591           |
| Prasar Bharti  | 0                  | 56,180             |
| H.S.C.C.   | 16,414             | 16,414             |
| Food Drugs Authority of India. (Controller General Drug) | 1,08,16,464        | 53,01,476          |
| FICCI  | 3,48,000           | 3,54,960           |
| Pharmasolve Specialists India Pvt. Ltd.                  | 0                  | 48,765             |
| Span Communication                                       | 0                  | 754                |
| M/S Intelligent Security                                 | 0                  | 1,755              |
| Naresh Kumar Kaushik                                     | 0                  | 4,675              |
| Vimita Labs  | 16,011             | 16,011             |
| C.P.W.D.   | 0                  | 12,35,000          |
| DAVP   | 0                  | 3,000              |
| National Information Centre                              | 0                  | 21,67,495          |
| Quality council Of India                                 | 0                  | 5,50,000           |
| Balmer Lawrie co. Ltd.                                   | 0                  | 400                |
| British Concil   | 0                  | 16,500             |
| Hindustan petroleum                                      | 0                  | 15,000             |
| Total Liabrary solution India pvt. Ltd.                  | 2,22,764           | 93,381             |
| National Institute of nutrition                          | 19,26,582          | -                  |
| Authorised Officer Sea Port Chennai                      | 10,000             | -                  |
| Rakesh jain & Mrs. Usha Jain                             | 180                | -                  |
| <b>Total</b>   | <b>1,79,31,439</b> | <b>1,08,97,807</b> |



|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Detail of Misc. Incomes:-</b>                   |                    |                    |
| RTI Fees   | 820                | 835                |
| Sale of Newspaper                                  | 9,616              | 10,340             |
| Sale of Tender Form                                | 3,000              | 14,350             |
| Other Miscellaneous Income                         | 79,400             |                    |
| <b>Total</b>                                       | <b>92,836</b>      | <b>25,525</b>      |
| <b>Detail of Allowances Paid:-</b>                 |                    |                    |
| TA/DA Paid to Officers/Staff                       | 24,62,632          | 33,59,654          |
| Overtime Allowances                                | 28,140             | 31,578             |
| <b>Total</b>                                       | <b>24,90,772</b>   | <b>33,91,232</b>   |
| <b>Detail of Staff Welfare Expenses:-</b>          |                    |                    |
| Staff welfare Expenses                             | 3,374              | 2,24,495           |
| Refreshment Expenses                               | 0                  | 23,209             |
|  |                    | 2,47,704           |
| <b>Total</b>                                       | <b>3,374</b>       | <b>2,47,704</b>    |
| <b>Detail of Other Administrative Expenses:-</b>   |                    |                    |
| computer Expenses                                  | 7,641              | 10,675             |
| Consumable Store                                   | 64,570             | 2,34,931           |
| Generator Expenses                                 | 73,490             | 90,216             |
| General Expenses                                   | 0                  | 1,90,767           |
| membership Fees                                    | 28,000             | 20,500             |
| Other Administration Expenses                      | 16,50,798          | 7,23,796           |
| Publication expenses                               | 28,96,556          | 2,79,179           |
| Digitisation charges                               | 2,03,959           | 2,90,000           |
| Generator Hire Charges                             | 0                  | 22,000             |
| Training Charges                                   | 8,00,027           | 6,23,294           |
| Office Expenses                                    | 48,18,677          | 52,67,975          |
| Courier Charges                                    | 2,64,017           | 6,74,356           |
| Telephone & Mobile Expenses                        | 7,27,001           | 5,99,798           |
| Internet Charges                                   | 26,860             | 36,764             |
| <b>Total</b>                                       | <b>1,15,61,596</b> | <b>90,64,251</b>   |
| <b>Detail of Repair &amp; Maintenance Expenses</b> |                    |                    |
| Maintenace of AC Plant                             | 2,50,331           | 23,071             |
| Office Maintenance Expnses                         | 1,15,00,478        | 18,55,063          |
| Repair Maintenance of Machine at CFRSL calcuta     | 0                  | 13,20,501          |
| Annual Maintenance Charges                         | 27,835             | 5,22,405           |
|  |                    | 1,17,78,644        |
| <b>Total</b>                                       | <b>1,17,78,644</b> | <b>1,54,99,684</b> |

# FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Grouping Forming Part of Schdules

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Detail of Travelling &amp; Conveyance Expenses:-</b> |                    |                    |
| Tour & Travelling Expenses                              | 50,88,602          | 36,67,179          |
| Motor Taxi Hire Charges                                 | 50,83,535          | 32,76,495          |
| Conveyance Expenses                                     | 25,643             | 41,092             |
| <b>Total</b>  | <b>1,01,97,780</b> | <b>69,84,766</b>   |
| <b>House Keeping and Security Exp</b>                   |                    |                    |
| House Keeping & Guest House Charges                     | 77,794             | 3,32,167           |
| Security Expenses                                       | 1,35,187           | 12,07,432          |
| <b>Total</b>  | <b>2,12,981</b>    | <b>15,39,599</b>   |
| <b>Detail of vechile running &amp; maintenance:-</b>    |                    |                    |
| Vechile running   | 0                  | 58,227             |
| oil & Diesel  | 1,22,583           | 2,44,575           |
| <b>Total</b>  | <b>1,22,583</b>    | <b>3,02,802</b>    |
| <b>Detail of Professional charges:-</b>                 |                    |                    |
| professional charges                                    | 1,83,54,292        | 3,65,54,958        |
| Legal charges   | 1,14,560           | 2,62,930           |
| consulting Charges                                      | 0                  | 39,446             |
| sample charges  | 82,175             | 5,69,346           |
| <b>Total</b>  | <b>1,85,51,027</b> | <b>3,74,26,680</b> |
| <b>Detail of Subscription Charges:-</b>                 |                    |                    |
| Fees & Subscription                                     | 45,800             | 3,706              |
| News Paper & Subscription Charges                       | 2,29,451           | 2,64,761           |
| <b>Total</b>  | <b>2,75,251</b>    | <b>2,68,467</b>    |
| <b>Detail of Sundry Creditors for Goods/ Services</b>   |                    |                    |
| Oasis Telecommunications                                |                    | 3,406              |
| Kendriya Bhandar  | 0                  | 15,34,099          |
| Satguru Management Consultants P Ltd                    | 12,14,056          | 12,14,056          |
| Track Infovision P Ltd                                  | 5,08,000           | 4,50,000           |
| Varun Infotech India                                    | 0                  | 88,350             |
| Viduut Engineering                                      | 1,655              | 1,655              |
| Manish Yadav  | 0                  | 640                |



|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Bedi & Bedi                              | 8,97,655           | -                  |
| Beltek Canadian Water Ltd.               | 10,430             | -                  |
| B.V.G India Ltd                          | 9,37,695           | -                  |
| Central News Agency P Ltd.               | 32,243             | -                  |
| Continental Caterers & confectioners     | 58,515             | -                  |
| Crescent Stationers                      | 14,680             | -                  |
| Crown corporation P Ltd.                 | 3,32,718           | -                  |
| HCL Infosystems Ltd.                     | 76,538             | -                  |
| Impression Distributing Co.              | 1,03,000           | -                  |
| ISS Hicare P Ltd.                        | 22,699             | -                  |
| Karam Taxi Service                       | 2,86,875           | -                  |
| National Cooperative Consumer Federation | 1,89,840           | -                  |
| Neo Post India                           | 3,44,940           | -                  |
| Ricoh India Ltd.                         | 74,510             | -                  |
| Swastik Company                          | 23,435             | -                  |
| Tanu Transport Travel                    | 29,431             | -                  |
| Vividh Landscape Consulting P Ltd        | 1,16,350           | -                  |
| Web Craft India                          | 180                | -                  |
| Central PWD                              | 1,69,812           | -                  |
| Balmer LawrieCo Ltd                      | 5,00,000           | -                  |
| Indra D Narayan & Co.                    | 80,409             | -                  |
| Hindustan Petroleum                      | 47,484             | -                  |
| <b>Total</b>                             | <b>60,73,150</b>   | <b>32,92,206</b>   |
| <b>Detail of Rent, Rates &amp; Taxes</b> |                    |                    |
|  |                    |                    |
| Rent of NBCC                             | 3,15,27,408        | 2,08,63,941        |
| Office Rent ( Guwahati )                 | 66,823             | 66,000             |
| Municipal Taxes paid for FRSL Ghaziabad  | 54,92,118          | -                  |
| <b>Total</b>                             | <b>3,70,86,349</b> | <b>2,09,29,941</b> |

**FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
**Receipt & Payment Account for the year ended 31.03.2011**

| RECEIPTS                | Schedules | Current Year | Previous year | PAYMENTS  | Schedules | Current Year | Previous year |
|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|
| <b>OPENING BALANCES</b> |           |              |               | <b>Expenses</b>                                 |           |              |               |
| a) cash In Hand         |           | -            | -             | a) Establishment Expenses                       | C         | 8,27,63,249  | 5,88,98,640   |
| b) Bank Balance         |           | -            | -             | b) Administration Expense                       | D         | 25,31,43,724 | 9,94,74,099   |
| i) Current Deposit      |           | -            | -             |   |           |              |               |
| ii) Deposit Account     |           | -            | -             | Payment made against funds for various Projects |           |              |               |
| iii) Saving Deposit     |           | 6,28,91,646  | 3,87,70,044   | Grant in Aid                                    |           | 90,00,000    | 1,15,00,000   |
|                         |           |              |               | Security Deposit                                |           | 39,48,933    | 67,08,000     |
| Grant Received          |           | 32,37,00,000 | 21,00,00,000  | Expenditure on Fixed assets                     | E         | 68,51,285    | 35,34,941     |
| Interest From bank      |           | 8,70,548     | 8,56,576      | Advance to Employees                            | F         | 19,43,886    | 7,22,047      |
| Licence Fees            |           | 54,19,465    | 40,31,972     | Advances to Suppliers/Others                    | G         | 34,41,531    | 46,28,653     |
| RTI fees                |           | 820          | 835           | TDS on Contractors                              |           | 11,81,059    | 2,23,134      |
| Sale of Newspaper       |           | 9,616        | 10,340        | TDS on Rent                                     |           | 38,65,726    | 21,26,874     |
| Sale of Tender Form     |           | 3,000        | 14,350        | TDS on Professional                             |           | 9,34,100     | 1,66,002      |
| Prior Period Income     |           | 5,92,364     | -             | TDS on salary                                   |           | 26,97,883    | 30,29,095     |
| Misc. Income            |           | 17,565       | -             | Refund to P.L. Suvrathan                        |           | -            | 13,687        |
|                         |           |              |               |   |           |              |               |
| <b>Amount Received</b>  |           |              |               |   |           |              |               |
| From P.L. Suvrathan     |           | -            | 2,00,000      |   |           |              |               |
| From S.K. Sharma        |           | -            | 2,000         |   |           |              |               |
| From Anil Mehta         |           | 63,233       | -             |   |           |              |               |
| From Ashok Kumar Dass   |           | 2,614        | -             |   |           |              |               |
| From S B Dongre         |           | 39,865       | -             |   |           |              |               |
| From R Vijay            |           | 21,291       | -             |   |           |              |               |
| From SK Sharma          |           | 6,915        | -             |   |           |              |               |
| From JP Dongre          |           | 64,558       | -             |   |           |              |               |
|                         |           |              |               |   |           |              |               |
| TDS Refund              | A         | 1,11,674     | -             |   |           |              |               |
| Cheque/cash refunded    | B         | -            | 5,701         |   |           |              |               |
| Earnest Money deposit   |           | 5,55,000     | 5,000         |   |           |              |               |
| security depopsit       |           | 60,000       | 20,000        |   |           |              |               |
| Stale Cheques           |           | 9,40,951     | -             |   |           |              |               |
|                         |           |              |               |   |           |              |               |
|                         |           |              |               |   |           |              |               |
|                         |           |              |               | <b>CLOSING BALANCES</b>                         |           |              |               |
|                         |           |              |               | a) cash In Hand                                 |           | -            | -             |
|                         |           |              |               | b) Bank Balance                                 |           | -            | -             |
|                         |           |              |               | i) Current Deposit                              |           | -            | -             |
|                         |           |              |               | ii) Deposit Account                             |           | -            | -             |
|                         |           |              |               | iii) Saving Deposit                             |           | 2,55,99,749  | 6,28,91,646   |
|                         |           |              |               |   |           |              |               |
| <b>Total</b>            |           | 39,53,71,125 | 25,39,16,818  | <b>Total</b>                                    |           | 39,53,71,125 | 25,39,16,818  |





| FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA   |              |               |  |
|--|--------------|---------------|--|
| Schedule Forming part of Receipt & Payment A/c |              |               |  |
| Schedule A TDS Refund                          | Current Year | Previous Year |  |
| Pharmasolve Specialist India P Ltd.            | 97,530       | -             |  |
| FICCI  | 6,960        | -             |  |
| Intelligent Security                           | 1,755        | -             |  |
| Naresh Kaushik                                 | 4,675        | -             |  |
| Span Communication                             | 754          | -             |  |
|  | 1,11,674     | -             |  |
| Schedule-B :Cheques refunded :-                | Current Year | Previous year |  |
| Oasis Telecommunications                       | -            | 3,406         |  |
| Vidyut Engineers                               | -            | 1,655         |  |
| manish yadav                                   | -            | 640           |  |
| Total  | -            | 5,701         |  |
| Schedule-C :Establishment Expense :-           | Current Year | Previous year |  |
| a) Salaries & Wages                            | 8,01,71,909  | 5,41,99,716   |  |
| TA/DA Paid to Officers/Staff                   | 19,54,910    | 33,54,654     |  |
| Overtime Allowances                            | 28,140       | 31,578        |  |
| Refreshment Expenses                           | -            | 23,209        |  |
| Professional tax                               | 45,736       | 51,387        |  |
| e) Staff Welfare Expenses                      | 3,374        | 2,30,312      |  |
| g) Medical Expenses                            | 5,59,180     | 10,07,784     |  |
| Total  | 8,27,63,249  | 5,88,98,640   |  |

| Schedule-D:Administrative Expense :-                         | Current Year | Previous year |
|--|--------------|---------------|
| Advertisement Expenses                                       | 14,13,89,204 | 66,31,899     |
| Auditor's Remunerations                                      | 1,92,876     | 35,737        |
| Cartage & Carriage Inwards                                   | -            | 28,348        |
| Electricity & Powers   | 82,25,020    | 90,78,470     |
| Fees & Subscription  | -            | 3,706         |
| Labour & Processing Charges(salary to contractual Employees) | 87,70,715    | 52,24,566     |
| Postage & Telegram   | 2,98,594     | 88,848        |
| Printing & Stationery  | 28,21,710    | 27,70,880     |
| Repair Maintenance of machine at CFRSL                       | -            | 13,20,501     |
| Seminar, Meeting & Conference Expenses                       | 36,66,226    | 25,64,833     |
| Water Charges  | 3,12,304     | 800           |
| Annual Maintenance Charges                                   | 2,24,847     | 6,93,294      |
| computer Expenses  | 7,641        | 10,675        |
| consulting Charges   | -            | 30,976        |
| Consumable Store   | 45,897       | 1,40,285      |
| Conveyance Expenses  | 24,614       | 41,092        |
| Courier Charges  | 3,03,397     | 6,34,941      |
| Participation Fees   | -            | 70,000        |
| General Expenses   | 1,29,109     | 1,75,761      |
| Generator Expenses   | 72,020       | 90,005        |
| Generator Hire Charges                                       | -            | 22,000        |
| House Keeping Charges  | 82,104       | 10,08,381     |
| Insurance  | -            | 8,552         |
| Internet Charges   | 29,339       | 36,763        |
| Legal charges  | 1,10,958     | 2,35,910      |
| Maintenace of AC Plant                                       | 75,871       | 2,96,072      |
| membership Fees  | 11,500       | 37,000        |
| Motor Taxi Hire Charges                                      | 47,35,463    | 31,30,728     |
| News Paper & Subscription Charges                            | 2,50,781     | 77,552        |
| Office Expenses  | 45,59,776    | 52,62,665     |
| Office Maintenance Expneses                                  | 93,57,595    | 24,14,262     |
| Office Rent ( Guwahati )                                     | 66,823       | 66,000        |
| oil & Diesel   | 78,693       | 2,25,981      |
| Other Administration Expenses                                | 20,42,351    | 7,22,985      |
| Prior Period expense   | 2,54,598     | 1,60,113      |
| professional charges   | 1,68,33,111  | 3,37,52,033   |
| Publication expenses   | 29,23,481    | 2,02,291      |
| Rent Rates & Taxes ( NBCC & others)                          | 3,76,60,235  | 1,58,03,970   |
| sample charges   | 79,085       | 5,67,854      |
| Security Expenses  | 1,32,483     | 11,33,206     |
| Telephone & Mobile Expenses                                  | 8,02,887     | 6,05,598      |
| Training Charges   | 10,77,162    | 3,97,080      |
| Travelling & Conveyance Expenses                             | 50,01,412    | 36,13,259     |
| Vechile running  | 52,280       | 58,227        |
| Digitisation Charges   | 4,41,562     | -             |
| Total  | 25,31,43,724 | 9,94,74,099   |



| Schedule-E, Purchase of Fixed Assets :- |                  | Current Year     | Previous year |
|---|------------------|------------------|---------------|
| CISCO 2821 Security Bundle              |                  |                  | 1,67,777      |
| Voltage stablizer                       |                  |                  | 6,750         |
| Office Appliances                       |                  |                  | 25,363        |
| UPS                                     | 7,49,781         | -                |               |
| LCD Tv                                  | 4,37,438         | -                |               |
| Furnitures & Fixtures                   | 11,87,823        | 3,21,591         |               |
| Electronic Attendance Machine           | 24,589           | 56,019           |               |
| photocopy Machine                       | 5,75,666         | 12,09,934        |               |
| Scanning Machine                        |                  | 1,56,750         |               |
| Vaccum Cleaner                          |                  | 7,790            |               |
| Digital Camera                          | 49,250           |                  |               |
| VGA Switcher                            |                  | 19,800           |               |
| Mobile Phones                           | 12,900           | 20,000           |               |
| Fax Machines                            | 52,178           | 1,22,956         |               |
| Tata Sky & EPRS System*                 | 3,099            | 20,397           |               |
| Computer                                | 18,85,069        | 4,27,295         |               |
| Printer & Scanner                       | 31,813           | 24,128           |               |
| Refrigator                              |                  | 34,320           |               |
| Computer Software                       | 2,83,864         | 1,15,115         |               |
| Library Software Sysyem                 |                  | 2,28,800         |               |
| Networking Equipment                    | 2,08,249         | 1,37,521         |               |
| Library books                           | 6,19,086         | 4,32,635         |               |
| Machinery Equipment                     | 4,93,168         |                  |               |
| Wall clock                              | 1,181            |                  |               |
| Cooler                                  | 2,36,131         | -                |               |
| <b>Total</b>                            | <b>68,51,285</b> | <b>35,34,941</b> |               |

| Schedule-F :Advance to Staff :-     |  | Current Year     | Previous year    |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Deputy director Chennai             |  | 50,000           | 50,000           |
| Deputy director Kolkatta            |  | 55,000           | 13,090           |
| Deputy director Mumbai (Imprest)    |  | -                | 10,000           |
| Sh. S.B. Dongre                     |  | -                | 1,08,340         |
| LTC Advance                         |  | 2,37,051         | 2,65,317         |
| Senior Ao(Imprest)                  |  | 10,000           | 10,000           |
| Shri Anil Mehta                     |  | -                | 1,69,725         |
| Ashok Kumar Dass                    |  | -                | 3,300            |
| P. Karthikeyan                      |  | -                | 3,000            |
| R.Vijay                             |  | -                | 49,525           |
| S.K. Haldar                         |  | 19,377           | 30,000           |
| Foreign Tour Advance                |  | 14,27,850        | -                |
| S.K. Sharma                         |  | -                | 9,750            |
| Deputy Director (F&VP)              |  | 95,000           | -                |
| Deputy Director Guwahati            |  | 10,000           | -                |
| R K Saxena                          |  | 9,608            | -                |
| Authorized Officer Chennai          |  | 10,000           | -                |
| Authorized Officer Sea Port         |  | 10,000           | -                |
| Authorized Officer JNPT NHAVA SHEVA |  | 10,000           | -                |
| <b>Total</b>                        |  | <b>19,43,886</b> | <b>7,22,047</b>  |
| Schedule-G :Advance to Suppliers :- |  | Current Year     | Previous year    |
| ABP Pvt. Ltd.                       |  | -                | 14,134           |
| Central food calcutta               |  | 28,56,450        | 6,02,932         |
| FRSL Ghahjiabad                     |  | 4,55,698         | 3,45,825         |
| FICCI                               |  | -                | 3,48,000         |
| Total Library Solution Ltd.         |  | 1,29,383         | 93,381           |
| C.P.W.D.                            |  | -                | 12,35,000        |
| Deputy director Horticulture        |  | -                | 8,510            |
| National Information Centre         |  | -                | 12,98,777        |
| Quality council Of India            |  | -                | 5,00,000         |
| Satguru Mgt. Consultants PVT. Ltd.  |  | -                | 1,82,094         |
| <b>Total</b>                        |  | <b>34,41,531</b> | <b>46,28,653</b> |





वी के चन्दोक,  
उपनिदेशक (ए.एम.जी.-4)

सत्यमेव जयते

संख्या: 12/एसएफ&एस/एसएस/क/आ/10-8/2011-12/812

कार्यालय महानिदेशक  
लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)  
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Office of the Director General of Audit  
(Central Expenditure)  
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

16 AUG 2011

प्रिय श्री संजय सिंह,,


मैं वर्ष 2010-2011 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के जारी करने के 14 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े पुष्टिकृत समझ लिए जाएंगे। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कृपया ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर ईमेल (Email id : aaoamg4@gmail.com) से भी अवश्य भेजें।

भवन्निष्ठ,

2

श्री संजय सिंह,  
वित्त सलाहकार,  
भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण,  
स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय,  
एफ् डी ए भवन, कोटला रोड,  
नई दिल्ली



## Draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India as at March 2011 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of food safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. this Separate Audit Report contains the comments of the controller & auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting Standards and disclosure norms etc. Audit observation on financial transaction with regards to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report Separately.

We have conducted our audit in accordance with audition Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An Audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements, An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates. An audit also includes assessing the accounting principles the overall presentation of financial made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that :-

- We have obtained all the information and explanations, which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appear from our examination of such books.

iv) We further report that:

A Balance Sheet

A.1 Liabilities





## Current Liabilities and Provisions

No provision liability for gratuity, superannuation/pension and leave encashment had been proved on actuarial basis in the books of accounts, resulting in under statement of liabilities.

### B.1 Assets

#### B.1.1 Fixed assets

As per schedule-8, assets worth Rs. 91.20 lakh have been purchased during 2010-11. However, Receipts and Payments Accounts depicts that expenditure on fixed assets is Rs.68.51 lakh. The difference has not been reconciled.

### C Income and Expenditure Account

#### C.1 Understatement of expenditure

Depiction of less depreciation of Rs. 4.60 lakh in the Income & Expenditure Account resulted into understatement of expenditure and overstatement of expenditure and overstatement of capital fund with the same amount.

#### C.2 Understatement of expenditure

In Income & Expenditure account the whole grant of Rs. 32.37 crore received has been depicted as revenue grant, whereas, as per Receipts & Payments Accounts during 2010-11, assets worth Rs. 68.51 lakh were purchased. Therefore non-deduction of capitalization grant of Rs. 68.51 lakh from Income & Expenditure has resulted into understatement of excess of expenditure over income by Rs. 68.51 lakh.

### D General

- i Assets register has not been maintained in the prescribed form.
- ii Accession Register of the library books have not been maintained in the prescribed form. Price value of the books had not been mentioned in some cases. As such, total cost of books mentioned in annual accounts could not be vouched-safe.
- iii In schedule-22 Rs. 90.00 lakh has been depicted as " expenditure on grants" but details of entities object and released have not been enclosed.

### D Grants in Aid

The Food Safety & Standards Authority of India received grant-in-aid of Rs. 32.37 crore under plan from M/O Health & Family welfare (The Authority received Rs. 11.37 crore in March 2011) during the year 2010-11. The Authority utilized Rs. 36.98 crore.

## FOOD SAFETY & STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NEW DELHI

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2011

#### SCHEDULE -24

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

##### 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

##### 2. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. Assets are capitalized on the basis of date for being available for use.

##### 3. DEPRECIATION

- 3.1 Depreciation is provided as per the rates specified in the Income Tax Act, 1961 on WDV basis.
- 3.2 In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.
- 3.3 Assets costing Rs.5000 or less each are fully provided for.







#### 4. GRANTS- IN -AID

- a) Grants -in- Aid are received during the year from the Ministry of Health and Family Welfare, GOI, as revenue grants.
- b) Grants -in- Aid being received from the government of India are accounted for on receipt basis.
- c) Earnings received as interest and other incomes being insignificant are adjusted against revenue expenses being incurred by the authority thereby resulting in reduced utilisation of Govt. grants-in-aid to that extent.

#### 5. LICENCE FEES

Licence fees received from applicants are accounted for as income on receipt of the demand drafts in the accounts department at New Delhi.

#### SCHEDULE -25

Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2011 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

FOR INDRA D. NARAYAN & CO.  
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MANORANJAN DAS)  
PARTNER





## Food Safety And Standards Authority Of India

III<sup>rd</sup>-IV<sup>th</sup> Floor, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002

Tel. : 011-23237496

Website : [www.fssai.gov.in](http://www.fssai.gov.in)

Toll Free helpline No. 1800112100

